खण्ड-315, अंक-9
शुक्रवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1897
(11 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	969–973
प्रश्नोत्तर	973–996
प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का स्थगन .	996–997
राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	997–998
भारतीय लोक दल बरेली के कार्यकर्त्ता श्री नत्थू लाल गंगवार की गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	998–1002
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1002–1007
1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत) ..	1007–1059
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1060
नत्थियां	1061–1064

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 11 अप्रल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—359

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवारजमील श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मिया
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नश्तर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)

चन्दन सिंह, 'कामरेड'
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह मन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फरजद अली बेग, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री

बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा,,श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद, खां
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, श्री
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री

रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रति बिन्दु, श्री एडवोकेट
रामरती देवी श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री

सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1975

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री शारदा प्रसाद रावत—

[6वें मंगलवार में 29(4) में प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

इटावा जिले के बरालोकपुर गांव की हरिजन महिला द्वारा आत्म हत्या

*2—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इटावा जिले के बरालोकपुर गांव की एक हरिजन महिला ने 14 मार्च, 1975 से 18 मार्च, 1975 के बीच इसलिए आत्म-हत्या कर ली क्योंकि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और अन्न के अभाव में उक्त महिला अपने बच्चों को खाने का प्रबन्ध करने में पूर्णतया असमर्थ थी? यदि हां, तो ग्रामीण अन्चलों के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अन्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या ठोस व्यवस्था कर रही है?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

7 मार्च, 1975 के प्रश्नोक्त ग्राम की एक हरिजन महिला ने फांसी लगाकर आत्म-हत्या कर ली, परन्तु इसका कारण अन्न का अभाव नहीं था।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, इटावा जिले के बरालोकपुर गांव की यह घटना है। मान्यवर, फांसी लगाना तो सुनिश्चित है और मेरी यह जानकारी सुनिश्चित है कि उसके लड़कों को कई दिनों से भोजन नहीं मिला था और स्वयं उस महिला ने भी नहीं खाया था। अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकी इसलिए उसने फांसी लगा ली। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या इसकी जांच करायी और जांच करायी तो किस व्यक्ति ने जांच की? क्या पड़ोसियों से भी पूछतांछ की, उनका बयान लिया? यदि हां, तो पड़ोसियों का बयान क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमान्, इसकी जांच दिनांक 23 मार्च, 1975 को पहले तो नायब तहसीलदार श्री के0 बी0 पांडेय ने एस0 डी0 एम0 के निर्देशन के अनुसार की और प्रधान तथा एक और आदमी का बयान लिया। फिर परगनाधीश ने खुद जांच की और उन्होंने गांव के आस-पास के लोगों का भी बयान लिया। जो महिला मरी थी उसकी सास का भी बयान लिया, उसके देवरों का बयान लिया और जब उसका शौहर मजदूरी करके लौट कर आया तो उसका भी बयान लिया तथा उसके बच्चों और उसके श्वसुर का भी बयान लिया। किसी ने मरने का कारण भूख नहीं बतलाया। कोई और कारण था जिसको उन लोगों ने नहीं बतलाया। सब-इन्सपेक्टर ने पंचनामा लिखाया क्योंकि उसका पोस्ट-मार्टम नहीं कराया गया था। चूंकि वह एक रस्सी में लटकी हुई पायी गयी, हमारे सब इन्सपेक्टर ने लिखा कि भूख के कारण पेट में दर्द था और वह मर गयी।

जब दारोगा जी का बयान लिया गया तो उसने बतलाया कि मैं नहीं बतला सकता कि कैसे मरी लेकिन ऐसा लगता है कि मरने के कुछ और कारण हो सकते हैं लेकिन लोगों ने कहा कि पेट दर्द और भूख थी, इसलिए मैंने वह लिख दिया।

श्री बाबूलाल वर्मा---

मेरी यह जानकारी सुनिश्चित है कि वह महिला भूख के कारण और अपने बच्चों को भोजन न देने के कारण ही मरी है और फांसी लगायी थी। तो क्या सरकार पुन: इस मामले की जांच करायेगी कि उसने फांसी क्यों लगायी ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने बतला दिया है।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)---

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ? उसके मेदे में क्या निकला ?

श्री अध्यक्ष---

पोस्ट-मार्टम तो हुआ ही नहीं, यह उन्होंने पहले ही बतला दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जिस इन्सपेक्टर ने यह लिखा था कि वह महिला भूख और पेट के दर्द की वजह से मरी और जांच के बाद कहा गया है कि भूख से नहीं मरी उसका और कोई कारण था, तो उस इन्सपेक्टर के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की जिसने गलत लिखा था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उस इन्सपेक्टर के खिलाफ शासन ने होम विभाग को लिखा है कि उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, पंचनामा में लिखा है कि उस महिला की भूख से मृत्यु हुई, तो उस पंचनामा में पंचों के भी दस्तखत दर्ज होंगे, तो जिस पंचनामें पर पंचों के दस्तखत हैं, जिसमें लिखा है कि भूख से उसकी मृत्यु हुई, तो क्या उन पंचों के भी बयान लिए गए ? और सब इन्सपेक्टर से भी पूछा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उनके बयान परगनाधीश ने लिए, उन्होंने बतलाया कि कुछ नहीं मिला तो पेट में दर्द और भूख लिख दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया है कि जब कोई बहाना नहीं मिला पुलिस को तब उन्होंने लिख दिया कि भूख के कारण उसकी मृत्यु हुई, तो क्या माननीय मन्त्री जी उसकी पुन: जांच कराने का कष्ट करेंगे कि दूसरे कारण क्या थे, जिसके कारण उसने फांसी लगायी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उसके शौहर ने अपने स्टेटमेन्ट में लिखाया कि कोई और कारण में सम्भवत : कलह नहीं था, सास बहू में कभी-कभी झगड़ा हो जाया करता था लेकिन सम्भवत : किसी का उसके साथ इज्जत का प्रश्न आया होगा उसी वजह से सम्भवत : वह लटक गयी या किसी ने उसे मार कर लटका दिया था।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उस औरत की उम्र कितनी थी और उसके कितने बच्चे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, उसके 3 बच्चे थे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष जी, इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है कि भूख से मरी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जानकारी की गयी कि इन्सपेक्टर को यह तथ्य किस आधार पर मिला ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके हैं, यह बता चुके हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 एवं श्री गोपाल दत्त ओझा का नाम पुकारने पर)

एक सदस्य—

मन्त्री जी हैं ही नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हैं।

एक सदस्य—

वन मन्त्री नहीं हैं, वन मन्त्री बने हुए हैं। (हंसी)।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम क्वीटी के खेत नं० ७८२२ को आबादी में परिणित करने की मांग

*1—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम क्वीटी के अन्तर्गत खेत नं0 7822, 7823, जिसका रकबा 381 नाली है, के बावजूद लगातार लगान देने के जंगलात विभाग (मजिया का हांउरिजर्व फारेस्ट) द्वारा आबादी करने पर रोक लगायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

पिथौरागढ़ के ग्राम क्वीटी का प्लाट सं0 7822 जिसका रकबा चौंतीस नाली दस मुट्ठी है, बन विभाग का रक्षित बन है तथा कम्पार्टमेंट संख्या 10 मजिया का डांडा में स्थित है। चूंकि उक्त प्लाट रक्षित वन के अन्दर है, अत : उस पर किसी को आबादी करने नहीं दिया जा सकता।

प्लाट नं0 7823 रक्षित बन की सीमा में नहीं है। अत : उस पर आबादी करने में कोई रोक नहीं है।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्लाट नं0 7822 जंगलात विभाग के अधिकार क्षेत्र में कब से आया और क्या यह सच है कि जो इसके भूमिधर हैं, उनसे लगान बराबर लिया जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, 1911 में फारेस्ट सेटिलमेंट हुआ उस समय यह भूमि वन संरक्षित भूमि घोषित की गयी और तब से रक्षित बन भूमि के अन्दर यह है। यह बात सही है कि 5 कृषकों से 0.65, इतना लगान पड़ता है। 1964 में राजस्व बन्दोबस्त हुआ उस समय ऐसा

लगता है कि कृषकों ने बन्दोबस्त वालों से मिलकर अपने नाम इस भूमि को करा दिया है जिससे उनको लगान देना पड़ा। इस सम्बन्ध में सरकार ने वहां के जिलाधिकारी से 1964 से पहले के रिकार्ड के बारे में पूछा है। जैसे ही वह रिकार्ड उपलब्ध होंगे सरकार उनसे जो लगान लेती है, उस लगान को माफ कर देगी। अगर लगान माफ नहीं होगा तो वह जमीन उनको दे दी जायगी। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

माननीय, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने बड़ा अजीब उत्तर दिया। राजस्व विभाग सरकार का एक विभाग ह। राजस्व विभाग के सारे रिकार्ड आथेन्टिक रिकार्ड हैं। तो माननीय, मन्त्री जी ने किस आधार पर कहा कि किसानों ने मिलकर रिकार्ड में दर्ज करा लिया?

श्री बलदेव सिंह आर्य----

मैंने बताया कि 1911 में फारेस्ट सेटिलमेन्ट हुआ जिससे वह भमि वन रक्षित की गयी और 1964 में राजस्व विभाग का बन्दोबस्त हुआ तो उस समय हो सकता है कि उसमें पेड़ कम रहे हों या वहां आबादी से जमीन लगी हुयी हो, प्लाट इसलिए उन्होंने अपने नाम लिखा लिया हो। 1964 के पहले का कोई रिकार्ड लेखपाल के पास नहीं है जिससे यह पता लग कि भूमि पहले से किसकी है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय, मन्त्री जी कहते हैं कि 1911 में फारेस्ट सेटिलमेन्ट हुआ और 1964 में राजस्व सेटिलमेंट हुआ है। तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों बन्दोबस्तों में सरकार किस बन्दोबस्त को सही समझती है?

श्री अध्यक्ष---

यह गलत है, इसको नहीं।

श्री ऊदल---

माननीय, प्रश्न यह है कि अभी मन्त्री जी ने कहा कि 1911 में यह रिजर्व भूमि घोषित की गयी और 1964 में काश्तकारों ने मिलकर कब्जा कर लिया। मैं जानना चाहता हूं कि रेवेन्यू विभाग ने जिन लोगों का शिकमी कब्जा होता है, खसरा खतौनी में दर्ज करते हैं और भूमिधरी का राइट उनको मिलता है और वह लगान पहुंचा देते हैं। तो क्या मन्त्री जी उस जंगलात की भूमि पर रेवेन्यू विभाग द्वारा जांच करायेंगे कि उनका कब्जा था कि नहीं? यदि था, तो क्या उस भूमि को उनको देने के लिये आदेश देंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

माननीय, मैंने निवेदन कर दिया कि इस सम्बन्ध में छानबीन जारी है। यदि साबित होगा कि पहले से किसानों की भूमि है तो उनको दे दी जाएगी। यदि फर्जी हुआ तो नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

माननीय, बहुत से फर्जी तरीके के कराए रहते हैं। इसलिये उनको नहीं दी जाएगी।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यदि फर्जी मामला है, तो नहीं दिया जाएगा।

(शोरगुल)

ग्राम पनेर गांव के चक आलियागाढ़ के खेत नं० १३९७ के अन्तर्गत रास्ता होने की पुष्टि

*2---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---

विधान सभा की बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 की नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि चक आलियागाढ़ के खेत नं0 1397

में जो रास्ता बताया गया है ? रास्ता इसी नम्बर पर है या दूसरे खेत नम्बर पर ? क्या इसकी पुष्टि किसी रिकार्ड आफिसर द्वारा की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भू-अभिलेख में खेत नम्बर 1397 में ही प्रश्नगत रास्ता है। इसकी पुष्टि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की गई है।

*3—श्री इन्द्र लाल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिस खेत नं0 1396 को जल मग्न भूमि व रौली बताया गया है इसमें गेहूं की फसल बोए जाने का आधार क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

चक आलियागढ़ के खेत नम्बर 1396 में गेहूं की फसल बोई गई है। इसका आधार कब्जा करके फसल बोया जाना है।

[11 अप्रैल, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कुमायूं और गढ़वाल जिले के कतिपय क्षेत्रों में वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट

*1—श्री इन्द्र लाल (अनुपस्थित)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 की नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के क्रम में क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर के संलग्नक 6(1) में की गयी कार्यवाही पर वन विभाग तथा राजस्व विभाग के जिन अधिकारियों ने कथित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, ये अधिकारी कौन-कौन थे और किस तारीख में यह निरीक्षण किया गया ? क्या सरकार इनकी निरीक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

लामाचौड़ व उससे लगे क्षेत्र चांदनी चौक, गढ़वाल तथा मीठा आवंला क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण राजस्व व वन विभाग के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने जिस दिनांक को किया इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) लामाचौड़ व उससे लगे क्षेत्र—इस क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 6 दिसम्बर, 1973 को सहायक अरण्यपाल, वन बन्दोवस्त राजि अधिकारी, भाकड़ा रेन्ज, हल्का पटवारी, लामाचौड़ तथा सर्वे अमीन ने किया।,

(2) चांदनी चौक गढ़वाल क्षेत्र—इस क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 22 अगस्त, 1974 को राजि अधिकारी, भाकड़ा रेन्ज, वन रक्षक, सर्वे अमीन, सुपरवाइजर कानूनगो तथा हल्का पटवारी ने किया।

(3) मीठा आवंला क्षेत्र—इस क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 22 अक्तूबर, 1974 को वन विभाग की ओर के मानचित्रकार वन विद्, फतेहपुर, वन रक्षक, फतेहपुर तथा माल विभाग की ओर के सर्वे अमीन, सुपरवाइजर कानूनगो व हल्का पटवारी फतेहपुर ने किया।

उपरोक्त तीनों संयुक्त निरीक्षणों की रिपोर्ट संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1061—1063 पर।)

*2—श्री इन्द्र लाल (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री यह बतायेंगे कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के उत्तर के संलग्नक 6(2) के उत्तर में लामाचौड़ के जिन 18-19 हैक्टेयर के प्लाट दी नं0 1 व 2 का हवाला दिया गया है इसकी स्वीकृति किस तारीख में की गयी ? क्या इन तिथियों के माह में कोई फसल प्लान्टेशन में बोई जाती है ? यदि हां, तो कौन सी फसल बोई गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

दिनांक 30 अक्तूबर, 1974 को गेहूं, चना व मसूर बोया जा सकता था ?

मथुरा जिले में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से सरकारी वसूली

*3---श्री राम प्रकाश यादव---(जिला मथुरा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को पता है कि मथुरा जनपद में सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल बरबाद हो जाने के बाद भी किसानों से सरकार की सभी प्रकार की वसूलियां (लगान, तकावी, सहकारी ऋण, विकास कर आदि) चालू हैं। यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस जनपद की तहसील छाता को छोड़कर अन्य तहसीलों में सूखा से खरीफ की फसल प्रभावित हुई। प्रभावित क्षेत्र के काश्तकारान स्वेच्छा से ही भुगतान कर रहे थे। उनके विरुद्ध वसूली में कोई कड़ाई नहीं की गई ?

कानपुर जिले में चकबन्दी से सम्बन्धित अपीलों का निस्तारण

*4---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में चकबन्दी के कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में 118 ग्रामों की चक अपीलों के निस्तारण फर्जी तौर पर दिखा कर लक्ष्य की पूर्ति की सूचना शासन को दी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र तथा तथ्य दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो वह क्या है ? जिन ग्रामों का इस प्रकार फर्जी निस्तारण दिखाया गया है उनकी प्रत्येक सी0 ओ0 सर्किल वार अलग-अलग संख्या क्या है और इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

वर्ष 1973-74 में कानपुर जिले के 118 ग्रामों में कब्जा परिवर्तन के लक्ष्य के पूरा होने की सूचना बन्दोवस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा चकबन्दी आयुक्त को दी गई थी। उक्त अवधि में 60 ग्रामों की जितनी भी अपीलें दायर हुई थीं, उनका निस्तारण हो चुका था और शेष 58-ग्रामों में कोई अपील मार्च, 1974 के अन्त तक दायर ही नहीं हुई थी। इन 58 ग्रामों में अपीलें मार्च, 1974 के बाद दायर की गई थी। इन 58 ग्रामों में अपील की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही कब्जा परिवर्तन गलत तरीके से दिखाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित ब दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है और उसके परीक्षण के बाद उनके विरुद्ध यथा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त 57 ग्रामों में से 9 सुलाबाद 13 झींझक, 15 टोकनगांव, 14 डेरापुर, और 7 सन्दलपुर चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र के हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र चकबन्दी आयुक्त को अथवा शासन के राजस्व विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई

*5---चौधरी रामपाल सिंह यादव (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत सी0 ओ0 अपनी-अपनी अदालतों में रात में बैठकर चक काटने और मुकदमों को सुनने का कार्य करते हैं ? जिसके फलस्वरूप किसान, अपने प्रमाण तथा सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाते और चक तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर चकबन्दी क्रियाओं के अनुसार नहीं फैसला हो पा रहे हैं। क्या सरकार इस प्रकार की प्राक्रिया को रोकने तथा किसानों को प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक समुचित समय दिए जाने की क ई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कानपुर जिले के डेरापुर तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी अपनी-अपनी अदालतों में रात में बैठकर न तो चक काटते हैं और न मुकदमों को सुनने का ही कार्य करते हैं। चक काटने का कार्य चकबन्दी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। चकों की आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारियों द्वारा ग्राम में बैठकर ही किया जाता है। चक आपत्तियों के मौके पर निस्तारण में किसी भी प्रमाण को दाखिल करने की आवश्यकता कृषकों को नहीं पड़ती है। फिर भी चकबन्दी आयुक्त ने चकबन्दी अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि वह शाम को 5 बजे के पश्चात् वादों की सुनवाई न किया करें।

*6—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री ओम प्रकाश सिंह—

[15-4-75 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त।]

*7—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[13वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

भूकम्प तथा हिमपात से बद्रीनाथ मन्दिर को कथित क्षति

*8—श्री गोपाल दत्त ओझा तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में जो भूकम्प तथा अत्यधिक हिमपात प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में हुआ उससे बद्रीनाथ मन्दिर को क्षति पहुंची है? यदि हां, तो उस क्षति पूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो बद्रीनाथ में क्षति पहुंची है उसको रिकार्ड में दर्शाया है कि नहीं? क्या बद्रीनाथ टेम्पिल की कोई रिपोर्ट आयी है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो रिपोर्ट आयी है, उसमें यह सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

बद्रीनाथ को क्षति नहीं पहुंची है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हां, कोई क्षति नहीं पहुंची है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, बद्रीनाथ, में 14-15 फीट बर्फ पड़ी है। इसलिए वहां कोई जा नहीं सकता है। तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई आदमी वहां गया था और उसने रिपोर्ट दिया है?

श्री अध्यक्ष—

जो आदमी बद्रीनाथ जाते हैं क्या उसकी सूची यहां होती है। यह नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिलाधिकारियों की रिपोर्ट मंगायी गयी है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, बद्रीनाथ में भूकम्प से क्षति पहुंची है। तमाम अखबारों में लिखा गया है।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

इलाहाबाद जिले के कतिपय ग्रामों की जिलाधीश द्वारा घोषित की गई पाकिस्तानी जायदाद का कस्टोडियन के नाम इन्दराज

*9—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम श्यामपुर उर्फ मलहोपुर व ग्राम पुरखास, परगना व तहसील चायल, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत खाता नम्बर 77 के 9 नम्बरान क्षेत्रफल 7 बीघा 15 विस्वा 4 धुर तथा नम्बर, 85 क्षेत्रफल 9 विस्वा, नम्बर 164 क्षेत्रफल 7 बिस्वा अतिरिक्त जिलाधीश, इलाहाबाद ने वर्ष 1972 में पाकिस्तानी जायदाद करार देकर उपर्युक्त जमीन को कस्टोडियन के नाम इन्द्राज किए जाने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अनधिकृत कब्जेदारों के नाम अब तक खारिज नहीं हुए और जमीन का इन्द्राज कस्टोडियन के नाम नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और कस्टोडियन और अतिरिक्त जिलाधीश के आदेशों के अनुपालन में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं, किन्तु परगनाधिकारी, चायल के आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 1974 द्वारा परवाना अमलदरामद जारी किया गया तथा कस्टोडियन के नाम अमलदरामद मार्च, 1975 में किया गया। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला सरकार की जानकारी में सर्वप्रथम कब आया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सरकार की जानकारी में कब आया इसकी सूचना नहीं है।

मथुरा जिले की सादाबाद तहसील के अन्तर्गत पुनः चकबन्दी किये जाने की मांग

*10—श्री राम प्रकाश यादव (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि तहसील सादाबाद, जनपद मथुरा में जब सर्वप्रथम चकबन्दी हुयी थी उस समय लगभग सभी काश्तकारों के कई-कई चक वह भी टेढ़े मेढ़े बनाए गए थे तथा खेतों को जाने के लिए कोई चक रोड नहीं बनायी गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार दुबारा चकबन्दी कराएगी जिससे उपरोक्त कठिनाइयां दूर हो सकें। यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र समाप्त होने के बाद ही किसी भी तहसील में दुबारा चकबन्दी कराना सम्भव हो सकेगा। योजना के प्रारम्भ में जिन तहसीलों में कार्य हुआ था, उनमें अधिनियम की त्रुटियों के कारण चक रोड आदि की यथेष्ट व्यवस्था नहीं हो सकी थी। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम बनाते समय सादाबाद तहसील में दुबारा चकबन्दी कराने पर विचार कर लिया जायगा।

मिर्जापुर जिले के दुद्धी जंगल में लकड़ी की अवैध कटान

*11—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर के किसी विधायक द्वारा दुद्धी के जंगलों से अवैध लकड़ी कटान के विषय में माह जनवरी, 1975 में कोई पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसके विषय में क्या तथ्य सामने आए और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। प्रश्नगत अवैध कटान को संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को पकड़ लिया था। मामले में छानबीन करने पर अवैध कटान में वन रक्षक की साजिश पायी गयी। विभागीय जांच के भलस्वरूप वन रक्षक का आरोप सिद्ध होने पर उनको दिनांक 15 मार्च, 1975 से सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

वह पत्र जरा पढ़ कर सुनाइए।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिए। वह चला गया। क्या उसे लौटाना चाहते हैं? पत्र पढ़वा कर।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह अवैध कटान किसने कराया और किस तरह से कराया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो वहां फारेस्ट गार्ड था उसकी शरारत से यह जंगल काटा गया था। जब बात पकड़ में आ गयी तो उसके खिलाफ जांच की गयी और उसको बरखास्त कर दिया गया।

जिला टेहरी-गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में वन पंचायतों की स्थापना की मांग

*12—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टिहरी गढ़वाल एवं उत्तर काशी में प्रदेश के दूसरे जनपदों की तरह वन पंचायतों की स्थापना हेतु गत वर्ष 1974 में कोई समिति इस सम्बन्ध में आवश्यक नियमावली तैयार करने हेतु गठित की गयी थी। यदि हां, तो वन पंचायतों को स्थापित करने में किन कारणों से विलम्ब हो रहा है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में वन पंचायतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक नियमावली तैयार करने हेतु गत वर्ष 1974 में कोई समिति नहीं गठित की गयी थी। पंचायती वन नियमावली, 1972 जो प्रदेश के कुमायूं व गढ़वाल मण्डलों के दूसरे जनपदों में लागू है उसमें संशोधन आदि के मामलों पर विचार करने के लिए तथा शासन को सुझाव देने हेतु गत वर्ष 1974 में एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने संस्तुति की है कि उपर्युक्त पंचायती वन नियमावली को उसमें आवश्यक संशोधन करके टिहरी व उत्तरकाशी जिलों तथा देहरादून जिले के चकराता तहसील में भी लागू की जाय। समिति की इस संस्तुति तथा अन्य संस्तुतियों के अनुसार उक्त नियमावली में संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है। संशोधित नियमावली लागू हो जाने पर जिला टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में भी दूसरे जनपदों की तरह वन पंचायतें स्थापित हो जायेंगी।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

इस नियमावली को लागू करने में सरकार कितना समय और लेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नियमावली का अन्तिम प्रारूप तैयार करके कई विधायकों तथा अरण्यपाल के पास प्रसारित किया गया है और उस पर उनके विचार मांगे गए हैं। उनके उत्तर आ जाने के पश्चात ही उनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—(जिला बलिया)

वन पंचायतों का कार्य क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

यह जो समिति बनायी थी इसने कब अपना प्रतिवेदन दिया और विधायकों की राय जानने के लिए इसे अभी भेजा गया है या नहीं भेजा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है मैंने उसी सूचना के तहत में सदन को सूचना दी है। एक समिति बनी थी श्री रामचन्द्र उनियाल की अध्यक्षता में, और उसने दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और एक समिति बनायी थी श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी, उपाध्यक्ष, पर्वतीय विकास परिषद् की अध्यक्षता में, उसने भी अपनी संस्तुति बहुत पहले यहां दे दी है और उन संस्तुतियों के आधार पर ही नियमावली को अन्तिम रूप दिया गया है। इसी को माननीय विधायकों के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया है।

*13—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बस्ती जिले के ग्राम गायघाट का राप्ती नदी से कटाव

*14—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 1973 में बस्ती के नवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गाय घाट नाम का गांव क्या नदी से कट कर बह गया है ? यदि हां, तो यहां के ग्रामीणों को बसाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

गाय घाट गांव का कुछ भाग 1973 की बाढ़ में राप्ती नदी से कट गया था। इस कटान से 34 परिवार प्रभावित हुए थे। प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु गांव सभा की भूमि आवंटित की गई थी। विस्थापित परिवारों में से दस परिवार आवंटित भूमि पर बस गए किन्तु 24 परिवार गांव में ही वैकल्पिक व्यवस्था करके अन्य भूमि पर बस गए हैं ?

श्री राम रेखा यादव—

माननीय मंत्री महोदय को यह सूचना गलत दी गई है। अधिकांश गांव कट कर नदी में गिर गए हैं और गांव सभा की ओर से जो जमीन एलाट की गई, उसमें उनका कहना है कि सारी जमीन में पानी भरा पड़ा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी उस जमीन को ऊंचा कराने या कोई अन्य ऊंची जमीन एलाट करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, 24 परिवार जो थे, वह सब वहां नहीं गए क्योंकि सभी लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुए। केवल 10 परिवार ही वहां बसाए गये।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो दस परिवार वहां बसाए गए उनके सम्बन्ध में पूछा गया है कि जहां पर उनको बसाया गया वहां पर जमीन बहुत गहरी है। तो उनका मतलब यह है कि उन लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाने की आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जो 10 परिवार बसाए गए हैं, अगर वह जमीन नीची होती तो वे वहां जाने के लिए तैयार क्यों होते। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं जांच करवा लूंगा।

इलाहाबाद जिले के ग्राम मसाढ़ी में हुई चकबन्दी में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*15--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद), श्री सत्यवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री धरम राम (जिला गाजीपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील के ग्राम मसाढ़ी में पिछले वर्ष चक सही ढंग से नहीं काटे गए और और न तो सही चक रोड एवं नाली तथा हरिजन आबादी नियमत : छोड़ी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार हजिनों के उद्धार हेतु पुन : विचार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ग्राम-मसाढ़ी के चक पिछले वर्ष नहीं बल्कि अगस्त, 1970 में काटे गए थे। चकरोड व नाली की यथासम्भव व्यवस्था नियमानुसार की गई थी और हरिजन-आबादी के लिए 12 विस्वा भूमि सुरक्षित की गई थी ? हरिजन-आबादी के लिए और भूमि सुरक्षित कराने के लिए चकबन्दी आयुक्त ने बन्दोवस्त अधिकारी, चकबन्दी को निदेश भेज दिए हैं।

*16--श्री अठई राम, श्री सत्यवीर सिंह, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री धरम राम--

क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव मसाढ़ी के तमाम किसानों ने अपनी परेशानी दूर करने हेतु मुख्य मन्त्री के पास रजिस्ट्री एवं टेलीग्राम दिनांक 12 फरवरी, 1975 को भेजा है ? यदि हां, तो सरकार अब तक इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित ग्राम-मसाढ़ी के हरिजनों का एक टेलीग्राम दिनांक 12 फरवरी, 1975 को प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व एक शिकायती-पत्र भी प्राप्त हुआ था। आरोपों की जांच संयुक्त संचालक द्वारा कराई गई और जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों को दन्डित किया गया है तथा त्रुटियों के निराकरण के लिए धारा 48 के अधिकारों का प्रयोग करके, कार्यवाही करने के आदेश उप संचालक को दे दिए गए थे।

श्री अठई राम--

माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मसाढ़ी ग्राम में सैकड़ों हरिजन बसे हुए हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, उनके पास रहने के लिए जो जमीन दी गई है, वह केवल 12 विस्वा ही है, जो कि उनके उपयोग के बिलकुल काम की नहीं है। कहीं पर रास्ता छोड़ा गया है और कहीं पर आम रास्ता पहले से ही था। तो ये लगभग 100 हरिजन इस 12 बिस्वा में कैसे अपना गुजर कर सकते हैं ? इसको ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री जी पुन: चकबन्दी की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री का प्रार्थना-पत्र आपको मिला है, उसमें उनकी क्या मांगें हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्; दुबारा चकबन्दी करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि पहले जो हरिजन बस्ती के लिए पैमाना था वह 15 फीसदी था और उसके अनुसार ही वहां पर चकबन्दी हुई है। अब नियमों में परिवर्तन हो गया है और आबादी की लिस्ट बना ली गई है, उसके अनुसार यहां से चकबन्दी के आदेश जा रहे हैं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाय।

श्री अठई राम--

मैं जानना चाहता हूं कि जो जवाब मुझे मिला है उसमें कहा गया है कि बहुत सी अनियमिततायें पायी गईं। तो मन्त्री जी बतायें कि वे क्या-क्या अनियमिततायें थीं और उनको दूर करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, यह जांच बड़ी विस्तृत है करीब आधा घंटा लग जाएगा पढ़ने में।

श्री अध्यक्ष—

कोई सवाल करें आप, ब्यौरा नहीं मांगें, जिससे आपका मतलब भी सिद्ध हो जाय।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह हरिजनों का मसला जो है, केवल इसी गांव का नहीं है यह सारे उत्तर प्रदेश में जो हरिजन हैं उन सब का है .....

श्री अध्यक्ष—

इससे सम्बन्धित नहीं है, यह दूसरा सवाल है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी बताया कि चकबन्दी आयुक्त ने जो चकबन्दी कराने के आदेश दिए वह जैसा अठईराम जी ने बताया वह उनके प्रार्थना-पत्र के पहले कराया या बाद में कराया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जब प्रार्थना-पत्र आया तो जांच की गई होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाए गए और उनको अभी तक क्या-क्या दन्ड दिया गया। जितनी अनियमिततायें हैं, वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही की गई हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अनियमितताओं के कारण एक चकबन्दी अधिकारी निलम्बित किया गया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है। दो सहायक अधिकारियों को पत्रावली में प्रविष्टि कर दी गई तथा एक सहायक चकबन्दी अधिकारी को चेतावनी दी गई है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय मन्त्री जी, यह जो 12 बिस्वा जमीन की बात है, वह ऐसी जमीन थी जो खादर थी, नीचे की जमीन थी, जिसमें पानी जम जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं वह खादर जमीन है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि किस किस्म की जमीन थी।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम मझवारा के हरिजनों को भूमि का पट्टा

*17—श्री दीनानाथ सेवक (जिला राय बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर परगना व तहसील अमेठी, ग्राम मझवारा के अन्तर्गत सन् 1963 में घोषित 154 बीघा अतिरिक्त भमि जिसका कि अस्थायी पट्टा भूमिहीन हरिजनों एवं लोधों को दिया गया था, का कब्जा उन्हें दिलाया गया ? यदि नहीं, तो भूमि पर कब्जा कब तक दिलाया जाएगा ? अब तक अनाधिकार कब्जा करने वालों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। प्रश्नगत भूमि 3 वर्ष के अस्थाई पट्टे पर उठा दी गई थी और कब्जा दिलाया गया था। चकबन्दी के दौरान भूमि के सम्बन्ध में विवाद चलने लगा और उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत भूमि को पट्टे पर उठाना स्थगित कर दिया गया।

श्री दीनानाथ सेवक—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन पहले पट्टे पर जमीन दी गई उस पर अनधिकृत कब्जा किए हुए हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् इसमें पहले सीलिंग की जमीन के तीन साल के पट्टे हुए थे उसके बाद यह चकबन्दी चालू हो गई और वह पट्टे पर दे दिए गए। उसके बाद अब कस्टोडियन का मामला चल रहा है कि हमारा भी उसमें हिस्सा है। उसमें एक थर्ड पार्टी थी उसने दावा दायर कर दिया और कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है इसलिए नए पट्टे का प्रश्न नहीं है।

राय बरेली जिले के गांव सभा रघुनाथपुर औड जायस में चकन्बदी का कार्य

*18—श्री दीनानाथ सेवक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा रघुनाथपुर, तहसील सदर एवं ग्राम सभा जायस तहसील, सलोन, जिला राय बरेली में चकबन्दी का कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक होगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम रघुनाथपुर, तहसील सदर को 11 सितम्बर, 1974 की विज्ञप्ति द्वारा चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिया गया है। इस ग्राम में चकबन्दी कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरम्भ कर दिया जायगा।

ग्राम जायस के नक्शे में 11 ग्राम सम्मिलित हैं, जिन्हें 13 दिसम्बर, 1969 की विज्ञप्ति द्वारा चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिया गया था। चकबन्दी की सुविधा के लिए इन 11 ग्रामों को विलय करके 4 नए ग्रामों के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, जिस पर अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद, जायस में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री दीनानाथ सेवक—

जनपद रायबरेली में करीब-करीब चकबन्दी आखिरी स्टेज पर है और जायस में लोग अपने खेतों में पांस वगैरह नहीं डाल रहे हैं, इस डर से कि पता नहीं किसको कौन सा चक मिले, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह गांव शासन के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

विचाराधीन है, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा समय लगा ताकि कोई बाद में झगड़ा न हो। वर्ष दो-एक महीने बाद शुरू होगा, अभी तो समय है।

श्री दीनानाथ सेवक—

लगभग ही आप बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लगभग भी नहीं कहा जा सकता है।

*19—श्री रणजीत सिंह "जूदेव"—

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 52 पर स्थानान्तरित।]

बस्ती जिले के ग्राम अमहट और मरवटिया में चकबन्दी

*20—श्री रामरेखा यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती के तहसील नवगढ़ में सी0 ओ0 नं0 6, ए0 सी0 ओ0 नं0 27 के ग्राम सभा अमहट और मरवटिया में कुल 250 चकों में से 161 चकों के किसानों ने चक अपील कर रखी है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों ग्राम सभाओं के चकों को कैंसिल कर पुन: चकबन्दी कराने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला बस्ती के तहसील नौगढ़ में सी0 ओ0 सर्किल के अन्तर्गत ए0 सी0 ओ0 सर्किल 27 के ग्राम अमहट में (जिसमें उसका मजरा मरवटिया सम्मिलित है) कुल 261 चकदार है जिनमें से 97 ने चकबन्दी अधिकारी के यहां अपत्तियां की थीं। इनमें से केवल 12 में बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के यहां चक अपीलें दायर की थीं जिनका निस्तारण हो चुका है? ऐसी स्थिति में चकों के कैंसिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामरेखा यादव—

यह सूचना गलत है, क्या मन्त्री जी फिर से जांच करायेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से जांच करवा लूंगा, वैसे आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

261 में 27 आब्जेक्शन फाइल हुए हैं और 27 में से 12 लोगों ने अपील की है, जबकि चकबन्दी कानून का कायदा यह है कि जो आब्जेक्शन फाइल होते हैं और जो अफेक्टेड हो जाते हैं, उन सबको अधिकार होता है। इसलिए जो 12 संख्या बताई गई है और माननीय सदस्य ने 161 बताई है, वह 161 सही है। इसलिए क्या फिर से चकबन्दी करायेंगे और इसकी जांच करवा लेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दुबारा का प्रश्न तो है ही।

गोरखपुर जिले के श्री सुरजीत सिंह मजीठिया की जमीन पर सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही

*21—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि व्यवस्था जांच समिति (1972-74) ने जो श्री मंगल देव जी विशारद की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, मजीठिया परिवार (गोरखपुर) द्वारा नाजायज तरीके से जमीन हड़प लेने की रिपोर्ट परिशिष्ट 18 में नम्बर 1 पर की है? यदि हां, तो सीलिंग कानून के बनने के बाद निकली जमीन को सरकार तत्काल भूमिहीनों में वितरित किए जाने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। यदि प्रश्नकर्ता का आशय मूल अधिनियम के अन्तर्गत हुई कार्यवाही के फलस्वरूप अतिरिक्त घोषित भूमि से है तो भूमि के आबंटन के निदेश भेज दिये गए हैं। वर्ष 1973 और वर्ष 1975 में लागू किए गए संशोधन प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अभी चल रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमि हड़पने की साजिश है। मान्यवर, ऐसा है कि श्री मंगलदेव विशारद का प्रतिवेदन सदन के सामने आया था, उसको जब देखा तो पता चला कि मजीठिया फेमली के पास सीलिंग कानून से पहले जो 33 सौ एकड़ जमीन थी वह अब 26 सौ एकड़ रह गई है। तो उस सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि उस बीच में विभिन्न भूमियों को फर्जी नामों से जो वितरित किया गया है, उसका ब्यौरा आपके पास है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो पुराना विधेयक था उसके अनुसार और जो संशोधित नया विधेयक है, उसके अनुसार अर्थात् अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अनुसार इस परिवार के जोत के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, वह शुरू हो गई है। अब बाग, वनों की छूट समाप्त कर

दी गई है। नए नियम से उन्होंने चक कर लिया है और इस प्रकार से क्रमश : 5 सौ और 337 एकड़ का लाभ इस परिवार को मूल अधिनियम में मिला था, वह खत्म हो गया है।

दिनांक 1 मई, 1959 के पहले से अनेक बागों के विषय में उन्हें 688.34 एकड़ का लाभ मिला। अब वह छूट समाप्त हो चुकी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा यह लाभ मिला था, यह समाप्त हो गया। 33 सौ एकड़ जमीन में से कितनी जमीन निकल गयी, मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार? सुरजीत सिंह मजीठिया अंग्रेजी राज का दलाल रहा है और कमसे कम कांग्रेसियों को पिटवाने और बन्द कराने में सबसे आगे रहा है, ऐसे बड़े इग्लिस्तानी गुलाम के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। 33 सौ एकड़ में से, सुरजीत सिंह मजीठिया की 33 सौ एकड़ जमीन में से कितनी जमीन आप कब तक कब्जा करके हवाले कर रहे हैं, यह बुनियादी सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

वह हिस्सा, जिनसे मैत्री रही है, उनको जमीन दे देंगे और जिनसे झगड़ा रहा है, उनसे ले लेंगे यह तो आपका मतलब नहीं है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंगलदेव विशारद कमेटी रिपोर्ट छप जाने के बाद मंत्री जी का जवाब बेमतलब हो जाता है। मंगलदेव कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सारी जमीन जो दिखलायी गयी है, उस जमीन पर आपकी सरकार कब तक कब्जा कर लेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य काशीनाथ जी मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट का तजकिरा कर रहे हैं। उसमें जो हवाला है, सब एक्जामिन हो रहे हैं। मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य मजीठिया से ज्यादा एग्रीव्ड हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इससे बड़ा अंग्रेजी राज्य का दलाल और जमीन चुराने वाला नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य उससे ज्यादा एग्रीव्ड हैं। हर एक की जांच हो रही है। एक-एक प्रश्न कर लें तो साफ होता जाएगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय मन्त्री जी, एक बात जानना चाहता हूं कि पिछले सीलिंग ऐक्ट के अनुसार कितनी सरप्लस जमीन निकली थी और कितनी आपने बांटी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बांटने का प्रश्न नहीं था। उसकी सूचना तो है नहीं?

श्री हरिकेवल—

क्या सुरजीत सिंह मजीठिया सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के पी0सी0सी0 के मेम्बर हैं, और उनकी पहुंच केन्द्रीय सरकार तक है, इसलिए जानबूझ कर के उनकी जमीन को बचाए रखने का काम किया जा रहा है और श्रीमन्, आप देखेंगें कि मन्त्री जी ने . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें। आप सोच लीजिए फिलहाल तब तक। इस तरह से नहीं। समय नष्ट नहीं . . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मंगलदेव विशारद कमेटी रिपोर्ट आए हुए एक वर्ष हो गया। माननीय मन्त्री जी ने उसका अध्ययन भी किया। मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरह के धिकड़मबाजी से इस जमीन को बचाया। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंगलदेव कमेटी रिपोर्ट के बाद भी सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिससे मजीठिया परिवार से जमीन निकल कर भूमिहीनों में आबंटित हो ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मंगलदेव कमेटी रिपोर्ट पर हाउस में बातचीत हुई। जितने बड़े फार्म हैं, नए सीलिंग ऐक्ट के हिसाब से एग्जामिन हो रहे हैं। माननीय सदस्य जो विशेष रूप से पूछना चाहते हैं उसकी इनक्वायरी करने में कुछ समय लगता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ भी वह जवाब दें, उसको सुनें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

सवाल यह है कि कार्यवाही क्या की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो उनको छूट की जमीन मिली है इस कानून से निकाल ली गई है। इसलिये जो माननीय सदस्य स्पैसिफिक प्रश्न करें उसको अलग से एक्जामिन कराके स्पष्ट कर दूंगा कि कितनी जमीन निकलनी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि मंगलदेव विशारद समिति की जो संतुतियां हैं उनका कार्यान्वयन कराने के लिये एक दूसरी समिति श्री आर० के० पाटिल की अध्यक्षता में गठित की गई जिसके माननीय मंगलदेव विशारद भी सदस्य थे, किन्तु जब आभास हुआ कि उनकी समिति की संस्तुतियों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जायेगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

श्री मधुकर दिघे (जिल गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये जमीन बराबर हस्तान्तरित हो रही है ? क्या सरकार ने जमीन हस्तांतरण न हो इसके लिये कोई आदेश दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मंगलदेव विशारद समिति की रिपोर्ट के बाद अवैध कब्जा निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है और अवैध पट्टे बन्द कर दिये गये हैं। अब जो जमीन निकलेगी उसको देखेंगे।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय, मैंने यह पूछा था कि जमीन का लगातार हस्तान्तरण हो रहा है और मैंने एक सवाल पूछा था कि 229-बी की कार्यवाही करके लेखपाल और मजीठिया परिवार वाले बयान दे देते हैं, इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं हो रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, आम बात का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कोई स्पैसिफिक बात कहें तो जांच करा सकता हूं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर. मंत्री जी ने जो फरमाया है, उसका आशय यह मालूम होता है कि जो पट्टे हो चुके हैं, उनको कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन आगे पट्टे रोकने के लिये क्या कोई जनरल आर्डर इश्यू किये हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नये पट्टे रोक दिये गये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जो यह 3300 एकड़ जमीन है. . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल नहीं कर रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि सारी जमीन का एक प्लाट है। उसमें से फर्जी नाम पर बहुत से खेत एलाट किये हैं और उसकी आमदनी सुरजीत सिंह ले रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वही मैंने अभी उत्तर दिया था कि जो बाग और जमीन को इस तरह से किया गया था, उसमें से 88 एकड़ निकाल लिया गया है। अब इसमें दुबारा कुछ मालूम होगा तो उसकी फिर जांच करा ली जायगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला 689 एकड़ का नहीं है, बल्कि 33 एकड़ का है। पहले और अब जो उन जमीनों को बांट रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी उनकी जांच करायेंगे और जो पुराने और नये कागजात हैं, साथ ही उन कागजातों की भी जांच करायेंगे। मौके पर जो एक प्लाट 33 एकड़ का है, क्या उस प्लाट की जमीन को गरीबों को बंटवायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह जनरल सवाल है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, यह जनरल सवाल नहीं है । मैं मजीठिया के बारे में कह रहा हूं।

पूर्वीवृत्त गोरखपुर वन विभाग के रेन्जरों का कथित रिक्त स्थान

*22—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीवृत्त गोरखपुर में इस समय कितने रेंजर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि इस वृत्त के 6 रेंजरों का स्थान रिक्त है और बाराबंकी, फैजाबाद तथा बहराइच में डिप्टी रेंजरों को चार्ज देकर काम किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पूर्वीवृत गोरखपुर में इस समय कुल 44 फारेस्ट रेंजर कार्यरत हैं। यह सही नहीं है कि इस वृत में 6 रेजरों का स्थान रिक्त है और बाराबंकी रेंज का कार्य इस समय डिप्टी रेंजर को चार्ज देकर किया जा रहा है । लेकिन यह सही है कि फैजाबाद रेंज तथा बहराइच वन प्रभाग के प्लान्टेशन का चार्ज डिप्टी रेंजरों को दिया गया है। अच्छे सुयोग्य डिप्टी रेंजरों को प्रोत्साहित करने के लिये रेंज का चार्ज देने की पुरानी प्रथा है और इसी उद्देश्य से उक्त रेजों का चार्ज डिप्टी रेजरों को दिया गया है।

*23—श्री चेतराम गंगवार—

[7वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

नैनीताल जिले की हल्द्वानी तथा काशीपुर तहसील के भावरी ग्रामों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का लागू किया जाना

*24—श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं काशीपुर तहसीलों के भावरी क्षेत्र में 84 बन्दोबस्त ग्रामों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून लागू किया गया था परन्तु अभी तक इन ग्रामों के काश्तकारों की स्थिति अस्पष्ट है ? न तो माल के कागजात अभी तक तैयार हुये हैं और न ही उनसे लगान ही लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नैनीताल जिले के 85 बन्दोबस्ती भावरी ग्रामों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 30 जून, 1970 से लागू किया गया था और इसके बाद नए खसरे और खतौनी तैयार किए जा चुके हैं। भूतपूर्व मध्यवर्तियों की सीर, खुदकाश्त और बाग भूमि, जिसके वे अब भूमिधर हो गए हैं, की मालगुजारी का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण उनसे मालगुजारी की वसूली नहीं की जा रही है।

भूमिधरों की मालगुजारी के निर्धारण में विलम्ब प्रतिकर तालिकाओं की तैयारी न किए जाने के कारण हुआ है। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र इस कार्य को समाप्त करने का आदेश दे दिया गया है।

टिहरी-गढ़वाल जिले की तहसील देव प्रयाग में एक अन्य तहसील बनाने की मांग

*25—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये विस्तृत क्षेत्रफल वाली तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल में से एक नयी तहसील बनाने की योजना शासन के विचाराधीन थी और शासन ने 1972–73 में जिलाधिकारी टिहरी–गढ़वाल की संस्तुति सहित परामर्श दात्री समिति के सुझाव मांगे थे ? यदि हां, तो क्या कोई निर्णय इस सम्बन्ध में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

जहां तक मेरी जानकारी है कि यह रिपोर्ट जिले में तैयार करायी गयी थी और जिला परामर्शदात्री समिति ने उसको शासन के पास भेजा भी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इन सूचनाओं के एकत्र होने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बिलकुल करूंगा।

जालौन जिले के कतिपय ग्रामों के हरिजनों को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जे

*26—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 को परगनाधिकारी कोंच को तहसील कोंच के ग्राम खैराबर, खकल्ल तजिपुरा सानी, खैरा तथा कुंवरपुरा के हरिजनों का कोई पत्र इस आशय का कि वहां पर आवास भूमि तथा बचत की कृषि भूमि का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*27—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जालौन या शासन को ग्राम राजपुरा परगना व जिला जालौन के हरिजनों का कोई पत्र माह जनवरी, 1975 में इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उन्हें मिली पट्टे की आवास भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

यह 15वें दिन में आयेगा ।

डाक्टर मलखान सिंह—

अक्तूबर में लोगों ने एप्लाई किया था । कब तक यह सूचना एकत्र होगी । ऐसी मन्शा तो नहीं है कि सरकार इससत्र में इसको टालना चाहती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अगले हफ्ते में आ जायेगी ।

बहराइच जिले के गांवों का घाघरा नदी से कथित कटाव

*28—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बहराइच जनपद की केसरगंज तहसील के अनेक गांवों को घाघरा नदी बड़े पैमाने पर इस समय काट रही है जिससे जनता में भय तथा असुरक्षा व्याप्त है ? यदि हां, तो उसकी रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, घाघरा नदी के कटाव का यह मसला बहुत गम्भीर है और जो सूचना किसी अधिकारी ने दिया है, वह गलत है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं स्वयं नदी के कटाव को देखने के लिये मौके पर गया था, वहां के आदमपुर, नियामतपुर, खासेपुर, जुनेरपुर अहाता नासिरगंज गौड़हिया नं० 1, 2, 3, 4। ये कट कर नदी में समा गये हैं तथा नदी की 6 मील की चौड़ाई में 1500 एकड़ जमीन डूब रही है और गन्ना, गेहूं, अरहर की खड़ी फसल नदी में समा गई है । क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर पुनः मौके की जांच करायेंगे और कृषकों को बसाने और खेती के लिये भूमि उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जिससे सूचना उनको मिली है, उससे फिर से माननीय सदस्य जांच करवा लें ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे किसानों की जमीन जो नदी म समा गयी है, क्या उसकी तत्काल लगान वसूली रोक कर लगान माफ करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, ऐसी स्थिति आती है तो जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे आदेश हैं कि वह उस पर आवश्यक कार्यवाही करें। माननीय सदस्य हमको सूचना देंगे तो मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करवा दूंगा।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर के निवास स्थान पर नलकूप का निर्माण

*29---श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर के निवास स्थान पर नलकूप ओवर हेड टैंक पाइप लाइन आदि कब और किसके नाम से किसने लगवाया तथा लागत धनराशियां कितनी-कितनी किन-किन व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी हैं एवं बिजली के बिलों का भुगतान किसके द्वारा हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

प्रश्नगत मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है और उक्त जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान निश्चित रूप से हो सकेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कब से हो रही है और जांच करने का कब तक का समय नियत किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, निरीक्षक सतर्कता विभाग अधिष्ठान के द्वारा 29 नवम्बर, 1974 को पत्र प्राप्त हुआ था और इसके बाद कब से जांच शुरू है, उसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई अंतरिम रिपोर्ट इस सतर्कता अधिष्ठान की ओर से इस मामले में आई है ? यदि आई है, तो वह क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन् मैंने अर्ज किया कि उसकी जांच नहीं आयी है।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जिलाधिकारी श्री जैन हैं और जिनको बहुत सी अनियमितताओं के कारण सस्पेंड किया गया है, वही हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह तो सूचना में नहीं है कि जिलाधिकारी जैन कौन थे।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

सतर्कता अधिष्ठान को कितना समय दिया गया है कि वह जांच पूरी करके आप के पास भेजे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

समय नहीं दिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी-गढ़वाल व चमोली जिले की मालगुजारी का रेट

1---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, पौड़ी-गढ़वाल व चमोली में मालगुजारी के क्या-क्या सर्किल रेट पड़ते हैं ? जिला टिहरी-गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में सबसे ऊंचे रेट रखने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत सभी जिले पर्वतीय जिले हैं जहां बन्दोबस्तों द्वारा निर्धारित की गई मालगुजारी की दरें सरकिल रेट नहीं बल्कि विलेज रेट कहलाती हैं। टेहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले, जो भूतपूर्व टेहरी गढ़वाल रियासत के क्षेत्र थे, सन् 1949 में उत्तर प्रदेश में विलीन हुये थे और जसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है, उत्तर काशी जिले में लागू दरें तो बराबर के जिलों जैसी ही हैं किन्तु टेहरी गढ़वाल में लागू माल गुजारी की दरें उन जिलों की तुलना में अधिक थीं।

नाम जिला	प्रति जरब बीसी दरें			
	न्यूनतम		अधिकतम	
1	2	3	4	5
	रु0	पै0	रु0	पै0
1—टेहरी गढ़वाल	0	31	7	90
2—उत्तरकाशी	0	36	2	27
3—पौड़ी गढ़वाल	0	15	1	36
4—चमोली	0	25	2	06

विलेज की दरें बन्दोबस्त के वक्त निर्धारित की जाती हैं। टेहरी गढ़वाल में यह दरें 1924 के बन्दोबस्त में जब वह रियासत का हिस्सा था निर्धारित हुई थीं। यह एक कारण हो सकता है जिससे दरें अधिक निर्धारित हुई हों। इन दरों के अधिक होने के कारण शासन ने अपने 13 जून, 1968 के आदेशों द्वारा नया बन्दोबस्त लागू करते समय यह निर्णय ले लिया था कि टेहरी गढ़वाल जिले के जिन गांवों में विलेज रेट 2 रु0 प्रति जरब बीसी से अधिक हैं उनमें प्रति जरब बीसी मालगुजारी में कमी कर दी जावेगी और यह कमी विलेज रेट 2 रु0 से जितनी अधिक है उसकी आधी घनराशि के बराबर होगी। इस प्रकार कभी करने के बाद टेहरी गढ़वाल की अधिकतम विलेज रेट 4 रु0 95 पै0 हो गयी है जो कुमायूं और उत्तराखंड मण्डल के क्षेत्रों में अधिकतम रेट से कुछ कम ही है।

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत कथित टेस्ट वर्क के अधीन सड़कों का निर्माण

2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर आर्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया के पडरौना तहसील में मार्च तथा अप्रैल, 1974 में भयंकर उपल वृष्टि के कारण रबी की फसल की गम्भीर क्षति के बाद टेस्ट वर्क चलाये गये थे ? यदि हां, तो टेस्ट वर्क में किन-किन सड़कों का निर्माण हुआ, तथा कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को दी गई आर्थिक सहायता

3—श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़) तथा श्री जं बहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद को वर्ष 1971-72 व 1972-73 में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त आजमगढ़ जनपद के किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी रकम दी गयी थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां। वर्ष 1971-72 में शिक्षा शुल्क सहायता के रूप में 159 विद्यालयों को रुपया 10,55,324.47 पै0 एवं 12 डिग्री कालेजों को रु0 2,59,323.50 पै0 (कुल रु0 13,14,647.97 पै0) वितरित किया गया। वर्ष 1972-73 में 18 विद्यालयों को रु0 31307.75 पैसे की सहायता वितरित की गई । डिग्री कालेजों को दी गई सहायता की सूची संलग्न है । अन्य विद्यालयों जिन्हें सहायता दी गई की सूची प्राप्त की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. 1064 पर ।)

बुलन्दशहर जिले के ग्राम गोकुलपुर के भूमिहीनों को भूमि का पट्टा

4---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गोकुलपुर, परगना डिवाई, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में ग्राम समाज भूमि के भूमिहीनों को पट्टे दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उस भूमि को गंगा वास वालों को, जो दूसरे गांव के हैं, किस धारा के अन्तर्गत जिलाधीश महोदय दिनांक 25 फरवरी, 1975 को बंटवाने का निर्णय ले चुके हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

5---श्री शिव सम्पत्ति राम---

[7वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

सुल्तानपुर जिले के ग्राम गन्नौर की बंजर भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

6---श्री श्रीनारायण---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गन्नौर तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में कितनी भूमि (प्लाट नम्बर और आराजी सहित) सार्वजनिक बंजर है (ताल सार्वजनिक स्थल) तथा उन पर किन-किन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तथा उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बंजर भूमि का क्षेत्रफल 123-5-5 तथा तालाब का क्षेत्रफल 45-18-17 है । किसी व्यक्ति का भी अनधिकृत कब्जा कब्जा नहीं है। खतौनी का† उद्धरण जिसमे गाटा वार सूचना दी गई है, अध्यक्ष महोदय के कक्ष में देखा जा सकता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

[7वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के कार्यालय के चपरासियों का स्थायीकरण

8---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देवरिया के पडरौना तहसील कार्यालय में ऐसे अनेक चपरासी हैं जिनको सेवा करते 25 वर्ष हो गये किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जनपद देवरिया के पडरौना तहसील कार्यालय में ऐसा कोई चपरासी नही है जिसे सेवा करते 25 वर्ष हो गये हों और वह स्थायी न किया गया हो। प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गयी ।

हरदोई जिले के अमीनों और चपरासियों की नियुक्ति में हरिजन अभ्यर्थी और सेवा-मुक्त कर्मचारियों को दी गई प्राथमिकता

9—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई) तथा श्री अंगने लाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई में दिनांक 20 जनवरी, 1975 में हुये अमीनों व चपरासियों के चयन में कितने व्यक्ति चपरासी के स्थान पर, कितने अमीनों के स्थान पर लिये गये तथा उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

10—श्री पूरन लाल तथा श्री अंगने लाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो चपरासी लगान माफी के समय सेवामुक्त थे उनमें से कितने व्यक्तियों को उपरोक्त चयन में प्राथमिकता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

टिहरी-गढ़वाल एवं उत्तर काशी जिलों के वनों से सम्बन्धित गठित समिति की रिपोर्ट

11—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष शासन ने श्री रामचन्द्र उनियाल की अध्यक्षता में टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के वनों की समस्याओं के अध्ययन हेतु जो समिति गठित की थी, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो जिस कमेटी को पहले 3 माह का समय दिया गया था वह किन कारणों से इतने लम्बे समय में भी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पायी है ? क्या समिति द्वारा कोई अन्तरिम सूचना दी गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित समिति की रिपोर्ट शासन को 2 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हो गयी है । अतः प्रश्न के अन्य भाग उठते ही नहीं हैं ।

12—श्री आशाराम यादव—

[12वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित ।]

13—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित ।]

14—श्री अवधेश कुमार तथा श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

[16वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित ।]

बहराइच तहसील के कतिपय ग्राम समाजों की भूमि का आबंटन

15—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृप करेगी कि गांव सभा कल्याणपुर परगना भिनगा व गांवसभा बलनपुर, बसन्तपुर व सौनौढ़ा तराई, परगना इकौना, तहसील व जिला बहराइच के अन्तर्गत ग्राम समाज की कितनी भूमि पिछले तीन वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को आवंटित की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

16—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[7 वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

17—श्री रामपति—

[3-1-75 को अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 पर उत्तरित ।]

आगरा जिले में सीलिंग से निकली भूमि के आवंटन की मांग

18—श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद में जो सीलिंग की जमीन निकली है वह कितनी है और उसमें से हरिजनों को तहसीलवार कहां-कहां, कितनी-कितनी जमीन दी गयी है क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों ने बड़े काश्तकारों के हित में बहुत जमीन छोड़ दी है ? यदि हां तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित जांच करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़-ग्रस्त मकानों के लिए दिया गया अनुदान

19—श्री विश्राम (जिला आजमगढ़) तथा श्री मुहम्मद मसूद खां—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में बाढ़ और सूखा के लिये कितना धन माह दिसम्बर, 1974 व जनवरी व फरवरी, 1975 में वितरित किया गया और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिये प्रति मकान कितना रुपया दिया गया तथा यह धनराशि तहसीलवार क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जिले में बाढ़ एवं सूखा के लिये माह दिसम्बर, 1974, जनवरी व फरवरी, 1975 में कोई धन वितरित नहीं किया गया है ।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये प्रति मकान 50 रुपये से 100 रुपये तक गृह अनुदान सहायता के रूप में तहसील घोसी में कुल 3,975 रुपया तथा सगड़ी तहसील में कुल 3,300 रु0 अगस्त, 74 तथा मार्च, 75 में वितरित किया गया है।

चकबन्दी विभाग के आयतीकरण शाखा के कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची

20—श्री हरिकेवल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतावेंगे कि आयतीकरण विभाग (शाखा चकबन्दी) के कर्मचारियों को शासन के आदेश वर्ष 1972 के अनुसार चकबन्दी के साथ कोरी क्रम सूची में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो चकबन्दी विभाग में उक्त कर्मचारियों की सीनियारिटी के आधार पर सेवा में वरीयता दी गई है, या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आयतीकरण शाखा चकबन्दी विभाग का ही एक अंश है। इस शाखा के कर्मचारियों को कोटि क्रम सूची के सम्बन्ध में शासन ने वर्ष 1972 में कोई आदेश नहीं दिया था।

2—आयतीकरण अधिकारी, सहायक आयतीयकरण अधिकारी एवं आयतकर्ताओं को क्रमशः चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी कर्ताओं की कोटिक्रम सूची में शामिल माना गया है। उक्त आयतीकरण कर्मचारियों को कोटिक्रम सूची में उनके स्थान के अनुसार सीनियारिटी दी गई है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समाप्त हो गये ।

प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

कार्य-सूची का मद 2—माननीय लघु उद्योग मंत्री जी ।

(किसी मंत्री के खड़े न होने पर)

इसको अगले दिन रखेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक आइटम आया है नम्बर 2, इतनी चिन्ता नहीं करते हैं मंत्री लोग।

श्री अध्यक्ष——
आपको क्या कहना है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
समय पर वह रखते नहीं है।

श्री अध्यक्ष—
नहीं कोई रखता है तो न रखे। यदि शासन नहीं रखता है तो हम आगे चले जायेंगे। क्या आप चाहते हैं कि उनका काम होता रहे ।

(श्री बलदेव सिंह आर्य के खड़े होने पर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
अब इजाजत मत दीजिए ।

श्री अध्यक्ष——
दूसरे दिन रखा जायेगा। 14 को फिर रख देंगे। अगर एतराज न हो तो रख सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
अब तो आपकी व्यवस्था हो गयी ।

श्री अध्यक्ष——
अगर आप चाहें । अच्छा, आज नहीं चौदह को ।

राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष——
माननीय पुरुषोत्तम कौशिक, सदस्य विधान सभा, ने नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि माननीय राजस्व मंत्री ने द्वितीय सत्र 1974 के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के मूल प्रश्न तथा उससे उत्पन्न पूरक प्रश्नों के उत्तर में और नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत वक्तव्य के संदर्भ में अनेक बार 25 मार्च तथा 4 अप्रैल, 1974 को भयंकर उपलवृष्टि के कारण पडरौना तहसील में टेस्ट वर्क चलाने की बात कही तथा मालगुजारी तथा विकास कर में छूट की भी सदन में घोषणा की थी किन्तु मालगुजारी तथा विकास कर में कोई छूट नहीं दी गयी और न कोई टेस्ट वर्क चलाया गया। उनका कहना है कि उन्होंने पडरौना तहसील में मार्च तथा अप्रैल, 1974 में भयंकर उपलवृष्टि के कारण रबी की फसल की गम्भीर क्षति के बाद टेस्ट वर्क न चलाने की बात आज 11 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में स्वीकार की है ।

नियम 64 के अन्तर्गत यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—
मान्यवर, आप स्वयं साक्षी हैं, इस सदन के मंत्रियों की आदत हो गई है.....

श्री अध्यक्ष—
यह दूसरी बात है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक——
माननीय कृष्णा राय, बांकेलाल और मेरा नियम 51 में एक सूचना.....

श्री अध्यक्ष——
आप इतनी जबरदस्ती क्यों करते हैं ।

माननीय सदस्य ने न तो द्वितीय सत्र 1974 के पांचवे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न 4 के उत्तर और अनुपूरक प्रश्नोत्तर, के नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत वक्तव्य की कोई प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की है और न यही बताया है कि इस विषय पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य कब स्वीकृत हुआ था ।

[श्री अध्यक्ष]

द्वितीय सत्र 1974 के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मंत्री ने यह स्पष्ट कहा था कि "मैंने यह नहीं कहा कि टेस्ट वक शुरू हुआ। राहत कार्यों के लिए 2 लाख रुपये का आवंटन किया गया था लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने टेस्ट वर्क शुरू नहीं किया। उनके ऊपर मैं कार्यवाही करने वाला हूं कि उन्होंने यह कार्य शुरू क्यों नहीं किया।" तब यह कैसे बनता है? इस प्रकार से इनमें कोई विरोधाभास नहीं है।

इसलिये मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, रायबरेली जनपद में..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका एक वक्तव्य के बारे में है, आप इसको बाद में उठाइये।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है :.....

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय मंत्री जी के अधिकार को चुनौती देते हैं? यदि नहीं, तो आप कृपया बैठिए।

भारतीय लोक दल बरेली के कार्यकर्त्ता श्री नत्थू लाल गंगवार को गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्री राम स्वरूप सिंह निवासी कोठी कमर अली वकील, लाईन पार, प्रेम नगर, बरेली, द्वारा दिनांक 23-3-75 को प्रातः सात बजे थाना प्रेम नगर, बरेली, पर लिखित सूचना दी गई कि श्री नत्थू लाल गंगावार, कार्यकर्ता बी0 एल0 डी0, जो उनके साथ रहते थे, रात को दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ बरामदे में सोये थे। जब वह लगभग पौने छः बजे उठकर बाहर आया तो देखा कि श्री नत्थू लाल गंगवार की गर्दन में गोली लगी थी तथा वह मरे पड़े हैं, एक देशी पिस्तौल और एक जोड़ी जूते घटनास्थल पर पड़े हैं तथा दोनों अन्य व्यक्ति गायब पाए गए। उक्त सूचना पर धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित कर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल विवेचना आरम्भ की गई तथा शव परीक्षण कराया गया। घटना-स्थल पर मृतक की चारपाई के पास एक जोड़ा जूता व एक देशी तमंचा जिसमें एक चला हुआ खोखा था पड़ा मिला। घटनास्थल का निरीक्षण जेष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली तथा अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 23-3-1975 को ही किया गया।

यह सत्य है कि श्री नत्थू लाल गंगवार गत विधान सभा का चुनाव लड़े थे और 1973 में ब्लाक प्रमुख का चुनाव भी लड़े थे। परन्तु न्यायालय द्वारा पुनः मतगणना का कोई आदेश अथवा अन्तिम आदेश अभी नहीं दिया गया।

उक्त हत्या के संबंध में अंकित अभियोग की विवेचना दिनांक 28-3-75 से अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है और अभियुक्तों का पता लगाए जाने का हर संभव प्रयास जारी हैं। अतः अभी यह कहने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है कि मामला राजनीतिक साजिश का है। इस घटना से आम जनता में कोई असंतोष या आंतंक नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

आपने कहा माननीय मुख्य मंत्री और खड़े हुये माननीय तिवारी जी। तो क्या मुख्य मंत्री जी बदल गये हैं?

श्री अध्यक्ष--

इसलिये कि सम्मिलित उत्तरदायित्व का सिद्धान्त माना गया है और अभी जो बात हुई उसका उल्टा यह है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

जो अभी मंत्रीजी ने बयान किया है उससे भी साबित होता है और मुझे भी निश्चित जानकारी है इसके अतिरिक्त श्री नत्थू लाल गंगवार हमारे भारतीय लोक दल के बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे। वह विधान सभा का चुनाव भी लड़े थे और 73 में ब्लाक प्रमुख का भी चुनाव लड़े थे और ब्लाक प्रमुख के चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे। यह उस समय भी साबित हो गया था कि गिनती में बेईमानी की गयी है। इसलिये नत्थूलाल जी ने अपनी पेटीशन दायर की और पुनः मतगणना का प्रार्थना-पत्र अदालत में चल रहा था। यह ठीक है कि अभी उनके प्रार्थना-पत्र पर अदालत ने कोई फैसला नहीं किया लेकिन उनका प्रार्थना पत्र अदालत में पुनः मतगणना के लिये प्रस्तुत था। तो यह साफ है कि नत्थूलाल जी की जो हत्या हुई है वह राजनीतिक हत्या है क्योंकि उनके पुनः मतगणना के प्रार्थना-पत्र से यह साफ है कि जैसे ही पुनः गणना होगी वह ब्लाक प्रमुख घोषित कर दिये जायेंगे। दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा आधार है जिससे आप कह सकते हैं कि यह राजनीतिक हत्या नहीं है?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

आन एप्वाइन्ट आफ आर्डर। मुलायम सिंह जी यादव को आपने भाषण देने की छूट दे दी। वह नहीं होना चाहिये था, केवल प्रश्न होना चाहिये था।

(श्री अध्यक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि यह राजनीतिक साजिश का मामला नहीं है। मैंने यह कहा कि अभी यह कहने का आधार उपलब्ध नहीं हुआ है, सी0 आई0 डी0 की इंक्वायरी हो रही है उसके बाद ही मालूम होगा। माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे निश्चित जानकारी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो निश्चित जानकारी उनके पास हो वह भेज दें तो सी0 आई0 डी0 के पास हम भिजवा दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह न "हां" कहते हैं न 'न' कहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

बयान में यह कहा गया है कि दो अज्ञात व्यक्ति भी उनके साथ रात्रि में सोये थे और जो विधायक हैं जनसंघ के श्री हरीश कुमार गंगवार, उन्होंने बताया है कि उन दो आदमियों में एक कम उम्र का लड़का था और एक पूरा जवान व्यक्ति था। तो जब इतनी जानकारी आम जनता में है तो सरकार अभी तक उन हत्यारों का पता क्यों नहीं लगा सकी और उन दो व्यक्तियों को भी नहीं ढूंढ सकी।

श्री अध्यक्ष--

पता तो लगा रही है सी0 आई0 डी0। यही तो सी0 आई0 डी0 करेगी।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

जो तमन्चा उनकी चारपाई पर मिला और पोस्टमार्टम में जो गोली निकली होगी वह उसी तमन्चे की थी या कोई दूसरे तमन्चे की थी? वहां दो विद्यार्थी भी साथ में रहते थे जिन्होंने पुलिस के सामने यह बयान दिया है कि वे उन आदमियों को पहचान सकते हैं अगर वे उनके सामने लाये जायें। तो क्या उन विद्यार्थियों के सामने कुछ आदमियों को पहचनवाया गया है या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पोस्टमार्टम से यह साबित हुआ कि गोली से मृत्यु हुई। एक देसी तमन्चा भी मिला। मगर यह पता नहीं चला कि यह मृत्यु उसी तमन्चे की गोली से हुई। जो प्रश्न किया गया है, यह अच्छा प्रश्न है, सी0 आई0 डी0 इसको देख लेगी। अभी किसी अंतिम परिणाम पर हम नहीं पहुंच सके हैं। छात्रों को तो इन्हीं गंगवार साहब ने खुद रखा था।

श्रीमाधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जिसने हत्या की उस आदमी के जब कपड़े भी रखे हुये थे तो क्या पुलिस डाग्स से उन कपड़ों को सुंघाकर कुछ पता लगाने की कोशिश की गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं कह नहीं सकता, शायद बरेली में पुलिस डाग्स उपलब्ध न हों।

श्री राममूर्ति—

क्या सरकार की नोटिस में यह बात आयी है कि जब ब्लाक प्रमुख का इलेक्शन खत्म हुआ तो नत्थूलाल गंगवार के मत ज्यादा थे, लेकिन दूसरे पक्ष वालों ने आफिसरों से मिल मिलाकर मत पत्रों पर डबल मोहर लगवा कर उनको खारिज करवा दिया जिसकी उन्होंने अपील कर रखी थी। कुछ राजनीतिक तत्व इसके पीछे थे जो नत्थू लाल को मरवा देना चाहते थे ताकि वह ब्लाक प्रमुख न बन सकें और मौजूदा व्यक्ति ही ब्लाक प्रमख बने रहें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, नत्थूलाल ने 7 मार्च को पिटीशन दायर किया था जिस पर जिला जज ने 9 मई को बैलेट का निरीक्षण करने की आज्ञा प्रदान की। उसके विरुद्ध दूसरा पक्ष उच्च न्यायालय में चला गया। उसने याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने जिला जज के आदेश को रद्द कर दिया और दोबारा कार्यवाही के लिये रेफर किया। 9 दिसम्बर, 1974 को फिर नत्थूलाल के प्रार्थना-पत्र पर यह आदेश हुआ कि 12 दिसम्बर, 1974 को बैलेट पेपर्स का निरीक्षण किया जाय। अपोजिट पार्टी ने एक माह का समय मांगा। उन्होंने उच्च न्यायालय में दूसरी रिट दायर की। 9 जनवरी को उस पर स्टे मिल गया और दोनों पक्षों से एफीडेविट दाखिल करने केलिये कहा गया। इस सारे पक्ष को सी0 आई0 डी0 देख रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

यह आरोप लगायेजा रहे हैं कि राजनैतिक हत्या हुई है। दो अज्ञात व्यक्ति सोये हुये थे जो सवेरे मायल पाये गये। तो क्या इसकी भी जांच करायी गयी कि यह एफ0 आई0 आर0 कहीं मिसलीड करने के लिये तो नहीं लिखायी गयी है और सत्य कुछ और हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, इसकी भी जांच हो रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अभी तक जो जांच हुई हैउससे क्या चीज सामने आयी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे बता सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिल बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उस मकान के ऊपर के पोर्शन में श्रीराम स्वरूप सिंह जी रहते थे जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और जो चुनाव भी लड़े थे और नीचे के पोर्शन में दो कमरे हैं जिसमें से एक के बरान्डे में सोये थे, नत्थूलाल जी रहते थे और उसके पड़ोस के कमरे में 2 बच्चे पढ़ने वाले थे। श्रीमान्, उन दोनों बच्चों को पुलिस ले गयी थी और तीन दिन तक उनसे पूछताछ भी हुई। मेरा कहना यह है कि जब तमंचा रात को चला तो उसकी बड़ी आवाज हुई होगी। तो क्या

कोई इस प्रकार की पूछताछ श्री रामस्वरूप सिंह जी से भी हुई या उन बच्चों से हुई या जो गश्त वाली पलिस उधर से गुजर रही थी उनसे पूछताछ हुई कि जो आवाज इस तमंचे से निकली वह सुनाई पड़ी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह सब तो अभी जांच हो रही है, कैसे वह यह सब बता सकते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मेरा मतलब यह है कि इससे पहले कि जब सी० आई० डी० इन्क्वायरी हुई थी उससे पहले किसी व्यक्ति से पूछताछ की गयी और क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये थे ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) क्या यह सूचना आपके पास है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, अब तक किन-किन व्यक्तियों से पूछताछ की गयी, उसका विवरण नहीं है लेकिन श्री रामस्वरूप सिंह जी, जिनका निर्णय माननीय सदस्य ने किया है यह सही है कि इस मकान में रहते हैं और इन्होंने ही एफ० आई० आर० लिखायी थी। जो दूसरे अन्य नाम लिये गये है उन्होंने एफ० आई० आर० लिखायी या नहीं, इसकी मुझको कोई जानकारी नहीं है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव से सम्बन्धित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में जहां-जहां आयी हैं वहां-वहां विरोधी दलों के लोगों को मरवाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है, इसकी इजाजत नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरी जानकारी के अनुसार लखनऊ से डाग स्क्वाड बरेली गया था और उसने इस बारे में जांच की है, तो उसके बारे में क्या रिपोर्ट मंत्री जी के पास है ?

श्री अध्यक्ष—

इन्हीं सब बातों को जांच के देखा जा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश—

यह बतला दें.....

श्री अध्यक्ष—

उससे क्या फायदा होगा ?

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैं मान्यवर यह जानना चाहता हूं कि क्या यह गंगवार जी चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों से यह हराये गये और यह जानते हुये कि इसमें जिस तरीके से जांच हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कर ल।

श्री मोतीलाल देहलवी—

जांच उस तरह से नहीं हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य प्रश्न नहीं करना चाहते हैं इसलिये हम आगे बढ़ते हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह गोली और तमंचा फोरेन्सिक लैब में भेजा गया और क्या यह उसी तमन्चे की गोली है ?

श्री अध्यक्ष--

यह ब्योरे का प्रश्न है ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

यह ब्योरे का प्रश्न नहीं है। यह इन्क्वायरी के लिये बड़ी भारी चीज है. . . .

श्री अध्यक्ष--

अभी तो जांच चल रही है यहां फैसला तो करना नहीं है. . . . . .

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मैं यही तो कह रहा हूं कि उसकी रिपोर्ट क्या हैं फोरेन्सिक लैब की ?

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री जी से) अगर सूचना है तो दे दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे ख्याल से सी० आई० डी० अवश्य यह काम करेगी ।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शख्स ब्लाक प्रमुख का चुनाव जीता है वह कांग्रेस का सदस्य है और कांग्रेस की तरफ से जिला परिषद् के मेम्बर की शक्ल में बैठा है . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोगों के पास कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हैं इसलिये नियम 56 के अन्तगत आज . . . . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मैं केवल यह जानना चाहता हूं. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अब कुछ नहीं होगा । (व्यवधान) ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक तो माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय मधुकर दिघे, माननीय नन्हे लाल, माननीय जंगबहादुर वर्मा, माननीय मुहम्मद असरार अहमद, माननीय सत्य पाल मलिक, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय रामचन्द्र बक्श सिंह और माननीय ऊदल ने साम्प्रदायिक तनाव के सिलसिले में दिया है। यह जो पहले वक्तव्य इस सिलसिले में स्वीकार है उसी में जुड़ जायगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

यह उससे सम्बन्धित नहीं है। जहां साम्प्रदायिक झगड़े हो चुके हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अगर घटना नहीं घटित हुई है अगर सम्भावना है तब कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

अच्छा तो मैं अस्वीकार कर रहा हूं। 9 और 10 अगर साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित है, तो साम्प्रदायिकता वाले वक्तव्य में नाम जोड़ दिया जायेगा और अगर आप समझते हैं कि यह उससे अलग चीज है तो इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

अब एक श्री सत्य प्रकाश जी का है "बरेली विमको माचिस फैक्टरी" के कर्मचारियों की मांग स्वीकृत न करने से कर्मचारियों मे असन्तोष"। इसको मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

तो अब मैं सब अस्वीकार करता हूं और आगे चलता हूं।

(व्यवधान)

आप सब बैठ जायं। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इजाजत नहीं देता। कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(कुछ क्षण पश्चात्)

जब मैं एक-एक को सुन रहा हूं, तो फिर आप इनको रोकते क्यों नहीं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर आप स्वयं इस तरह से नाराज हो जायेंगे तो कैसे काम चलेगा? जो लोग बोले नहीं, उनका भी आप खारिज कर देंगे तो यह कहां तक न्याय करने की बात है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम तो सब के लिये एक ही चलेगा। यह नहीं कि एक के लिये अलग और दूसरे के लिये अलग। ऐसे दुस्साहसी लोगों को आप कुछ अपने नियन्त्रण में रखें।

(श्री मोतीलाल देहलवी के खड़े होने पर)

मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप ही अगर सुधर जायं तो सारी दुनिया सुधर जायेगी। आपका सुधार हो जायेगा तो सारा लोकतन्त्र और समाज सुधर जायेगा।

(व्यवधान)

मैं एक तरफ से पढ़ रहा था कि किस किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस किस को नहीं। जैसे साम्प्रदायिकता वाली स्थिति है या बाराबंकी के टाउन एरिया जैदपुर या जदपुर कस्बे की बात है जिसे श्रीरामचन्द्र बक्श सिंह, श्री ऊदल और श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने दिया है। उसको मैंने स्वीकार किया है और उसमें सब का नाम जोड़ दिया जायेगा।

(व्यवधान)

अभी मैं स्वीकार कर रहा हूं।

यदि आप प्रेमपूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे तो मुझे भी कोई परेशानी न होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आप इस तरह से क्रोधित हो जाते हैं तो कैसे काम चलेगा? आप ने मेरा भी खारिज कर दिया और हमें पता भी नहीं था कि हमारा आया कि नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मैं नाराज तो होता नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं क्रोध करूं तो या तो आपको नियमों के अनुसार दंडित करूं या यह हो सकता है कि आपको कुछ कह कर, हंस कर उसे टाल दूं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

नाराजगी तो आपके चेहरे से मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष—

चेहरे के शीशे में श्री मोतीलाल देहलवी के जो मैं झलकता हूं, उसे श्री मोतीलाल देहलवी नहीं देख सकते हैं, दूसरे देख सकते हैं। चेहरे को समझने की कोशिश करने वाले अपने काम को सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

मान्यवर, देहलवी जी का कहना यह है कि आप दिल से नाराज नहीं हैं, चेहरे से लगता है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष --

लेकिन अगर शीशा ठीक है तो उनके चेहरे के शीशे में मेरा चेहरा ठीक दिखायी पड़ेगा तो निश्चय ही शीशा स्वयं नहीं देख सकता ।

(हंसी)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, आपका गुस्सा देख लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि आप अब मुस्करायेंगे ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---

वाराणसी के बारे में नियम 51 में भी सूचना आयी है। उस वक्त देखेंगे । आपने नियम 51 में दिया है । जो माननीय सदस्य नियम 56 में और नियम 51 दोनों में देते हैं तो उनको 51 में विचार करते हैं नियम 56 में नहीं । क्योंकि आप स्वयं संदिग्ध हैं ।

एक सूचना माननीय श्री लारी, श्री शारदा प्रसाद रावत एवं श्री मधुकर दिघे ने दी है । चूंकि मधुकर दिघे जी ने 2 पर हस्ताक्षर किया है । दोनों में हस्ताक्षर है तो यह स्वयं संदिग्ध हैं कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिये इस पर मेरे निर्णय देने की जरूरत नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, बड़ी भारी दुर्घटना हुयी है ..... हस्ताक्षर कर दिये हैं .....

श्री अध्यक्ष---

ऐसे नामजदगी के पर्चे खारिज हो जाते हैं .....

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मान्यवर, एक गांव का मामला है । पूरा गांव ध्वस्त हो गया है । सब कुछ जल गया है.....

श्री अध्यक्ष---

51 में जोड़ देंगे ।

एक सूचना श्री राम अवार ने विश्वनाथ स्वर्ण मंदिर, वाराणसी में तथाकथित व्याप्त दुरुपयोग, अत्याचार, कत्ल आदि की सूचना दी है । यह अस्वीकार किया है । श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने देहरादून में सत्तारूढ़ दल .... .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं बाद में लिखकर भेजूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय श्री दशरथ सिंह, श्री बाबूलाल वर्मा एवं श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ने. . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने देहरादून के बारे में लिखकर दिया है । मान्यवर, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव है, मान्यवर, आपने इसके बारे में कुछ कहा नहीं । मैंने देहरादून में सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्थन प्राप्त युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में सूचना दी है । यह बड़ी हिंसा कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 में दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, वहां बम पकड़े गये हैं, पिस्तौल उनके पास मिली है। युवक कांग्रेस के लोगों का आतंक फैला हुआ है। दुनियां भर के हिंसात्मक काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

51 में दे दें।

(व्यापक शोर)

इसको नियम 56 के अन्दर नहीं स्वीकार करते हैं नियम 51 के अन्दर दे दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अब बाद में क्या दे देंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक एक करके कहें, सुनायी नहीं पड़ रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, जैसे औरों को आपने दिया कि नियम 56 में स्वीकार नहीं करते हैं तो नियम 51 में दीजिये। मान्यवर, फिर से लिखना पड़ेगा। अब 14 को दें। तो तब तक इसकी जान ही निकल जायगी।

श्री अध्यक्ष--

51 में जो कहते हैं तो उनको देना भी पड़ता है। कुछ ऐसे होते है . . ; . . .

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, बहुत बड़ी घटना हो रही है .....

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी को मौका दिया तो और खड़े हो गये। आप क्यों बोल रहे हैं?

(शोर)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आतंक फैलाये हुये हैं। पुलिस वालों को गाली देते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

कानपुर डिग्री कालेज वाला मामला मैंने स्वीकार किया है माननीय मोतीलाल देहलवी का नाम जोड़ दिया जायगा।

(कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुये और बोलने लगे) (शोर)

एक सदस्य--

मान्यवर, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है .....

श्री अध्यक्ष--

आपका है नहीं।

एक सदस्य--

मान्यवर, इस मसले को कैसे उठायें?

श्री अध्यक्ष--

यह श्री मुहम्मद असरार अहमद से पूछें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, तमाम नेता विरोधी दल की तरफ से नियम 52 में श्री मोरारजी देसाई ने जो अनशन किया .....

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 यहां नहीं होता है। कक्ष में निर्णय दे देता हूं।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, हाकी ऐसे मसले पर चर्चा करा देते हैं लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप चर्चा नही कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि कृपा करके 14 तारीख को चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

आपको मिला, आप कहते है कि 14 को बयान दिया जाय तो इस पर बयान नहीं होगा। वक्तव्य भी इस पर क्या होगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नियम 52 में चर्चा हो।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, इसकी चर्चा की इजाजत दें। आपने हाकी पर इजाजत दे दिया, बंगलादेश पर इजाजत दे दिया। हिन्दुस्तान में परेशानी और चिन्ता इस विषय में पैदा हो गयी है, देश के तमाम लोग इस संबंध में हड़ताल कर रहे हैं। लोक सभा में इस संबंध में चर्चा भी हुई लेकिन यहां इजाजत नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

लोक सभा में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी और नियम-51 पर लोक सभा में ध्यानाकर्षण करने के फलस्वरूप चर्चा हुई। यहां जो है, मैंने कहा कि इस प्रदेश का शासन, यदि वक्तव्य के लिये स्वीकार करें, तो कौन क्या वक्तव्य दे सकता है? यदि शासन का भार आपके ऊपर हो तो मोरार जी भाई के अनशन पर, जो दिल्ली में बैठे हैं यहां पर क्या वक्तव्य देंगे।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम लोग कहां जायेंगे? हाकी पर चर्चा हुई लेकिन इस पर नहीं।

श्री अध्यक्ष—

बिना नोटिस का प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से आता है उसमें और इसमें अन्तर है। यदि नेता विरोधी दल, नेता सदन और सभी एक राय से दें तो हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

मान्यवर, कानपुर में मजदूरों की बेकारी पर नियम 52 के अन्तर्गत दो नोटिसें मैंने दी हैं.....

(व्यवधान)

सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिये आप चर्चा का समय कब देंगे?

श्री अध्यक्ष—

जब स्वीकार करेंगे तब चर्चा का समय देंगे।

श्री श्याम मिश्रा—

जब चर्चा की आवश्यकता है तो चर्चा नहीं कराई जा रही है। इसकी चर्चा अविलम्बनीय और आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

जितने 52 के स्वीकार किये गये हैं जिस क्रम में उसी क्रम में आयेंगे और उसी क्रम से आपका भी आयेगा।

श्री श्याम मिश्रा—

यह सदन आपके सभापतित्व में ऐसी गंभीर तथा अविलम्बनीय समस्याओं की उपेक्षा कर रहा है। मैं सदन का त्याग आज के लिये करता हूं।

(श्री श्याम मिश्रा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मोरार जी देसाई जो अनशन कर रहे हैं इससे बढ़कर महत्व का विषय दूसरा नहीं हो सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

5 मिनट के लिये हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(सर्वश्री मधुकर दिवे, हरिकेवल, सत्य प्रकाश मालवीय तथा अन्य कई सदस्यों के खड़े रहने एवं बोलते रहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

यह सब कुछ नहीं लिखा जायगा।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 38 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

श्री अध्यक्ष—

अब समाज कल्याण मंत्री अपना अनुदान पेश करेंगी।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,59,61,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(सर्वश्री मधुकर दिघे एवं सत्य प्रकाश मालवीय एवं अन्य सदस्यों के खड़े होने तथा बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

इनका किसी का कुछ नहीं लिखा जायगा केवल माननीय मंत्री का लिखा जाय।

(भारतीय लोक दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

आज जो समाज का सबसे कमजोर और पिछड़ा वर्ग है उसके मुताल्लिक मैं यह बजट पेश करने के लिये खड़ी हुई हूं। मुझे बड़ी जिम्मेदारी का अहसास है और मैं समझती हूं कि समाज के इस पिछड़े हुए वर्ग के अन्दर चाहे वह आर्थिक दशा में हो, चाहे शिक्षा की दशा में हों चाहे रहनसहन की दशा में हों, सारी जिम्मेदारी इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बैठने वालों की बराबर बराबर है।

मुझे अफसोस है कि हमारे विरोधी दल के भाई मेरे इस अहम बजट के पेश करने के ऊपर ही यहां से उठ कर चले गये जब कि मैं समझती हूं कि उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सत्तारूढ़ दल की है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

हम लोग तो हैं। हम भी विरोधी हैं, सकारात्मक हैं।

*श्री हरिकेवल--

हम भी सदन त्याग करते हैं ।

(श्री हरिकेवल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

आप बड़े जिम्मेदार विरोधी दलों में से हैं। मैं कह रही थी कि समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का जो बजट मैंने पेश किया है और जो सदन के सामने रखा गया है उसके बारे में मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जिस तरह से यह कमजोर वर्ग सदियों से शोषित होता चला आया है.....

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

ये कांग्रेसी तानाशाह हैं। जिस तरह से चुनाव कराये जाते हैं कांस्टीट्यूशन को बलायेताक में रख दिया गया है। मोरार जी ने जो अनशन किया है उससे प्रजातांत्रिक ताकतों को बल मिलेगा किन्तु उसके लिये बहस करने के लिये कोई समय नहीं दिया गया अतः मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(बाबा रामनाथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मैं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को तीन मुख्य भागों में बांटती हूं। पहला जो आता है वह है तालीम, दूसरा आर्थिक उत्थान और तीसरा हरिजन स्वास्थ्य और उनके रहन-सहन का इन्तजाम। जहांतक हमारी शिक्षा का सवाल है इस वर्ग–हरिजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति---के लोगों में बहुत से अभी भी ऐसे हैं जिनको दो वक्त खाना नहीं मिलता, रोजी–रोजगार नहीं मिलता और संसाधन जुटाने के बाद भी वह हासिल नहीं हो पाता तो पढ़ाई–लिखाई की बात दर–किनार रही। इसी चीज को सोचकर सरकार ने उनके लिये स्कीम बनाई कि सबसे पहले उनकी तालीम की व्यवस्था हो तभी उनकी सामाजिक और आर्थिक कठिनाई दूर हो सकती है ।

तालीम की व्यवस्था जो सरकार ने इन हरिजन एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को दी है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूं। पहली बात यह है कि इन छात्रों को पहले जो फीस की सुविधा हुआ करती थी उसमें यह था कि 250 रुपये माहवार तक की आमदनी वाले छात्रों को ही ये सुविधा थी। लेकिन चूंकि अब तनख्वाह बढ़ गई है, छोटे–छोटे कर्मचारी इस सीमा में नहीं आ सकते थे इसलिये उस सीमा को 500 रुपये कर दिया गया है ताकि ज्यादा बच्चे उसमें आ सकें। इसके अलावा हमारे जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे पहले के क्लास में जो वजीफा मिला करता था उसे भी दुगना कर दिय गया है ताकि इन हरिजन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आसानी हो सकें। इससे करीब साढ़े आठ लाख रुपये का सरकार पर अधिक भार पड़ेगा। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप वे ही हरिजन बच्चे पाते थे जिनकी सीमा 750 रुपये माहवार तक की थी उसे बढ़ा कर 2,000 रुपया सालाना कर दिया गया है। जिससे 69.81 लाख रु0 का हमारे बजट पर भार पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारी लड़कियां हैं उनके लिये भी पूरी सेन्ट-परसेन्ट की सीमा की गई है। इसके अलावा हमारी हरिजन छात्रावासों की योजना चल रही थी जिन्हें हम हरिजन छात्रों के लिये बनाते थे किन्तु तालीम का बंदोबस्त नहीं हो पाता था। अंत : 5 छात्रावास लड़कों के लिए और 7 छात्रावास लड़कियों के लिए बनाए जायेंगे। पांच तो कवाल टाउन में है उनके अलावा बरेली और मेरठ में जहां पर छात्र और छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां पर इनकी तालीम का बन्दोवस्त हो सके और सही तरीके से वह लोग तालीम हासिल कर सकें, इसका ख्याल किया गया है। अभी तक यह होता था कि जो पैसा छात्रावासों के लिए दिया जाता था वह इन्स्टीट्यून्स को, कोलेजेज को दे दिया जाता था। लेकिन मुझे यह

कहने में अफसोस होता है कि वह पैसा सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होता था और हरिजन छात्रावासों के नाम पर उस इन्स्टीट्यूशन के कमरे बन जाते थे या वह दूसरे काम में लग जाता था इसलिए अब यह तय किया गया है कि सरकार इस काम को खुद करेगी। गोरखपुर में तो बन गया है और इलाहाबाद में जमीन ले ली गई है, बाकी 'बवाल' टाउन्स में भी प्रबन्ध हो रहा है। इसी तरह से बरेली और मेरठ में हो रहा है। अभी तक लड़कियों के छात्रावासों के नाम पर पैसा ले लिया जाता था लेकिन वह बनते नहीं थे इसलिए वह भी खत्म करके सरकार की तरफ से छात्रावास बनाए जा रहे हैं। तो इस पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए 7 छात्रावास बनायेंगे।

सरकार की तरफ से कुछ ऐसी भी योजनायें चलाई जा रही है कि जो हमारा बुनियादी मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि हरिजन वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक दशा सुधरे। जो हम समाजवाद की बात करते हैं, ऐसे वर्ग के लोगों की अच्छी जिन्दगी गुजारने को हम बात करते हैं वह पूरी हो। मैं एक बात यह कहना चाहती हूं कि अभी तक इस विभाग के द्वारा जितनी भी योजनायें चलाई जाती रही हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे वह वर्ग लाभ नहीं उठा पाया है जिसके लिए कि हमारा उद्देश्य था। वह वर्ग लाभ उठाए उसके लिए इसमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि जो हमारी पुरानी स्कीमें चल रही हैं, जो घिसी पिटी हैं उनको कम करें जरूरतों के हिसाब के नई योजनायें लागू करनी पड़ेगी। हर स्कीम को देखना पड़ेगा कि उसका रिश्ता रोटी-रोजी से हो, सामाजिक उत्थान के लिए हो, आर्थिक उत्थान के लिए हो। तो जो हम समाजवाद की बात करते हैं, जो हम ख्वाब देख रहे हैं वह पूरा हो सके। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से फैसला किया है कि हम उस वर्ग को ऊपर उठा कर रहेंगे। तो उस दिशा में हम सही तरीके से तभी कामयाब हो सकेंगे जब इस तरह की योजनायें बनायें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के अन्दर जो यह दोनों गैलरीज हैं इसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पत्रकार गैलरी में जिनके पास वहां का प्रवेश-पत्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, देख लेंगे। (व्यवधान)।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मेरी सूचना में बात आई है कि वह किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह समाज कल्याण मन्त्री के श्वसुर हैं। वह पत्रकार दीर्घा में बैठे हैं। अब जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या व्यवस्था चाहते हैं। संसदीय पद्धति की मंशा यह है कि माननीय सदस्य अपने सदन के अलावा इन दीर्घाओं की ओर जैसे पत्रकार दीर्घा या राज्यपाल दीर्घा की ओर दृष्टिपात करने की अनुकम्पा न करें। आपको देखना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो तो रक्षक से कह देते।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह हमेशा ऊपर नीचे देखते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अगर मन्त्री जी के श्वसुर का ताल्लुक था तो उनको राज्यपाल दीर्घा में बैठने के लिए पास मंगा लेना चाहिए था। या फिर आपको व्यवस्था के लिए कहते तो उचित रहता। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष--

आपने क्यों नहीं व्यवस्था की ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मुझे मालूम होता तो अवश्य करता।

श्रीमती मोहसिना किदवाई--

मुझे तो मालूम भी नहीं कि वह किसी के साथ चले गए। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों की तरफ आप लोग ध्यान देते हैं, मुझे तो अफसोस होता है यह सुन कर। तो मान्यवर, मैं कह रही थी --

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह श्री बलवान सिंह अब इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे, लेकिन इनका नाम कमी के प्रस्ताव में एजेन्डा में छपा हुआ है, इसको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

यह आप ठीक कह रहे हैं, किन्तु उच्च न्यायालय से जब मेरे पास आएगा, तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे। समाचार-पत्रों मे मात्र छपने से....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

रेडियो पर भी प्रसारित हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--

रेडियो को हम नहीं मानते हैं। रेडियो तो आपके खिलाफ बहुत कुछ कहता है। उसको मानकर चलूं तो आपको साफ कर दूं। ऐसे कहीं कुछ होता है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वह 6 साल के लिए सदन की सदस्यता से डिबार हो गए हैं...

श्री अध्यक्ष--

संसदीय परम्परा यह है। आप जो कह रहे हैं, जो शासन के प्रसारण माध्यम हैं, चाहे समाचार-पत्र हों, रेडियो या टेलीविजन हों, इनके सन्दर्भ में कह रहे हैं। यह बात आज शाम को जब मीटिंग होगी, तो मैं इस पर अपनी राय दे दूंगा। अब आप माननीय मन्त्री जी को बोलने दीजिए।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मुझे श्रीमन् यह कहना है....

श्री अध्यक्ष--

इतने मन्त्री जो अपने-अपने बजट पर बोले, आपने इतनी अन्तर बाधायें नहीं पैदा कीं, तो हरिजन कल्याण मन्त्री जी के साथ भी ऐसा करें।

श्री मधुकर दिघे --

मैं वह बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसे आपके पास पहुंचने में काफी समय लग जाये तो आपकी क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था संविधान में है। कोई सदस्य इस तथ्य को जानता है कि उसकी जानकारी में है या नहीं, फिर भी यदि इस सदन में वह अनधिकृत रूप से बैठता है, तो हर ऐसे दिन बैठने के लिए उसको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अब आप बैठें, इस तरह नहीं। अब नहीं बोलना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन दूसरों के रास्ते में न आएं। मुझे कहा गया है कि आज बहुत से लोग बोलना चाहते हैं और मुझसे यहां तक कहा गया है कि प्रत्येक को मैं 5 ही मिनट का समय दूं, जिससे अधिकांश सदस्यों को मौका मिल जाए। तो अब आप समय में बाधा मत डालिए।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

तो मान्यवर, मैं यह कह रही थी कि हमारे यहां कुछ ऐसी स्कीम भी पुरानी चली आ रही हैं, उनके ऊपर फिर ध्यान देना पड़ेगा कि बदली हुई परिस्थितियों में क्या वे आज के समय में ठीक है। जो अब से 25 वर्ष पहले स्कीम चलाना जरूरी था, अब वे उतनी जरूरी नहीं रह गई है। अब उससे ज्यादा जरूरी स्कीमों की आवश्यकता है। जैसे प्री-प्राइमरी स्कूल स्कीम में हरिजन बच्चों के लिए स्कूल खोले जाते थे, अब जब सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद् की ओर से हर गांव में स्कूल हो गए हैं, तो मैं समझती हूं कि इस किस्म के स्कूल सरकार को दिए जाएं या उनका और कुछ इन्तजाम किया जाय। यह मैंने एक मिसाल दी, अब उनकी इतनी अहमियत नहीं रही है।

एक हमने नई योजना यह भी शुरू की है, जो हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, सी0 पी0 एम0 टी0 में जो बच्चे बैठना चाहें, तो उनको दिक्कत पड़ती थी, उनके लिए अलग से कोचिंग के साधन नहीं होते थे। तो सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस साल हमारे विभाग की ओर के यह प्राविजन किया गया है कि 400 ऐसे लड़के-लड़कियों को कोचिंग सेन्टर में भेजने के लिए पूरी फीस हम देंगे, जहां ऐसी ट्रेनिंग होती है। 10 हमारे ट्रेनिंग सेन्टर हैं जहां उनके लिए मुफ्त कोचिंग का इन्तजाम होगा। एक चीज और सरकार की तरफ से की गई है, पूरे सदन की ऐसी राय होगी, जो हम अनुदान बांटने का काम करते हैं, उससे लाभ न अनुदान मिलने वाले को होता है और उस हिसाब से सरकार को भी लाभ नहीं मिलता है। जो हम उनको नई दिशा देना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। जितना हमको चाहिए था। इसलिए जो अनुदान हम उनको देते हैं अब दूसरे तरीके से बांटना होगा।

हमारे विभाग ने, सरकार ने एक हरिजन कल्याण निगम की स्थापना की है। जैसा कि बजट स्पीच में हमारे वित्त मन्त्री ने कहा कि वह निगम सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हम जो कुछ अनुदान काटेज इन्डस्ट्रीज को देते हैं वह रुपया उनको ट्रान्सफर कर दें जो करीब 27 लाख 34 हजार के करीब है। उसके अलावा 25 लाख रुपया की वित्त मन्त्री जी ने भी सहमति दे दी है वह सरकार की तरफ से होगा, ऋण के लिए। वह हम कारपोरेशन के जरिए उन व्यक्तियों को देंगे और इन्डस्ट्रीयल सेल भी एक बना है और उन व्यक्तियों को देंगे जो अपनी इन्डस्ट्री सेट-अप करना चाहते हैं, कुछ अनुदान के रुप में और कुछ कर्ज के रूप में ताकि अच्छी इन्डस्ट्री सेट-अप हो सके जिससे वे अपनी माली हालत को सुधार सकें। जो हमने बताया कि पांच सौ मुर्गी पालन के लिए, पांच सौ सुअर पालन या बकरी पालन के लिए, एक तो इसका साइकोलोजिकल इफेक्ट होता था कि हमारे लिए यही रोजगार देना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। उस साइकोलोजिकल इफेक्ट को हटाने के लिए, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो ऐसे नौजवान हैं, हमारे हरिजन भाई हैं जो अपना उद्योग-धंधा कायम करना चाहते हैं वह अच्छी इन्डस्ट्री कायम कर सकें। उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। कोई भी इन्डस्ट्री जिले की जरूरियात को देखते हुए, रा-मैटीरियल उनको वहीं से मिल सके। टेक्निकल नौ हाऊ का भी इन्तजाम करेंगे। जो उद्योग धंधा स्थापित करें उसके जरिए अपनी रोजी-रोटी का इन्तजाम उस कारपोरेशन के जरिए बना सकते हैं।

दूसरी चीज यह करने जा रहे हैं कि जो हमारे हरिजन छात्र, आप जानते ही हैं, जो गरीब, टेलेंटेड लड़के होते हैं, वह अपना टेलेंट जाहिर नहीं कर सकते हैं अपनी गरीबी और

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

मजबूरियों की वजह से। उनके लिए इन्तजाम किया है कि कारपोरेशन के जरिए या वैसे भी जो बच्चे डाक्टरी पढ़कर निकलते हैं, वकालत का पेशा करना चाहते हैं या इन्जीनियर बनना चाहते हैं उनको दो हजार रुपए अनुदान के रूप में देंगे चाहे डिस्पेन्सरी सेट अप करें, चाहे वकालत का पेशा करें या इन्जीनियर बनना चाहें। उसके अलावा कर्ज अपने पेशे के लिए कारपोरेशन से ले सकते हैं ताकि सही तरीके से अपने पेशे को कायम कर सकें।

अब इसके बाद आता है एग्रीकल्चर? एक तो हम हरिजन भाइयों को हाउस साइट देते हैं। दूसरे हम खेती करने के लिए जो गांव सभा की परती जमीन होती है, वह देते हैं। खेती-बारी के लिए एक हजार रुपया दिया जाता था। एक हजार रुपए में समझ सकते हैं कोई खेती कर नहीं सकता। नतीजा यह होता था कि वह जमीन बेकार पड़ी रहती थी, न उस पर खेती होती थी और न किसी के काम आ सकती थी, और जो एक हजार रुपया देते थे ज्यादातर और चीजों में काम आ जाता था। इसमें 26 लाख से ऊपर रुपया खर्च करते थे। हाल कि शायद विरोधी दल के भाई सहमत न हों, चूंकि मालूम है, हमारे बुजुर्ग जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूं, विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह, उनको शायद वह चीज पसन्द न आए। लेकिन मैं समझती हूं कि यह बहुत जरूरी चीज है। हमारा विभाग इस पर विचार कर रहा है। मैंने कहा भी है कि स्कीम वर्क आउट करें कि हरिजन भाइयों को जमीन देते हैं, उनकी इकट्ठी जमीन, हो, बड़े-बड़े खेत हों, जैसे एक हजार रुपया फी व्यक्ति देते हैं, और दस लोगों की जमीन इकट्ठी हो तो दस हजार रुपया जो हम खर्च कर दें। और वहां पर ट्यूबवेल की बोरिंग करा दें और उनको बीज और खाद दिला दें। इस तरह से मैं समझती हूं कि यह एक उन्नति की बात होगी। वहां पर खेती करके कम से कम दस परिवार बन सकते हैं। पहले एक दो जगह पर इसको शुरू किया जाए और यदि कामयाबी हासिल हो तो इसको आगे बढ़ाया जाए। यह चीज तभी सम्भव हो सकती है जब आप लोगों का सहयोग मिले और जनता का भी सहयोग हो। एक तरह से कोआपरेटिव फार्मिग शुरू करेंगे। मैं जानती हूं कि इसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बड़े-बड़े किसानों से लड़ना पड़ेगा, बड़े-बड़े जमींदार और ताल्लुकेदारों से लड़ना पड़ेगा तब कहीं जाकर इसकी स्थापना हो सकती है। मैं समझती हूं कि यह तरीका कारगर है। इस तरह से कोआपरेटिव फार्मिग करके वे रोटी-रोजी कमा सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

कोआपरेटिव फार्मिग या कम्यूनिटी सेंटर, क्या है?

ऊदल—

मान्यवर, दोनों में बड़ा फर्क है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जैसे कांग्रेस और कम्युनिस्टों में फर्क है, ऐसा ही फर्क है।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

अनुसूचित जाति के लोगों के साथ रोज मुकदमेबाजी होती है और उनको परेशान किया जाता है। उनके पास पैसा नहीं होता है इसलिए वे न्याय हासिल नहीं कर पाते हैं, लिहाजा प्रावीजन किया गया है कि जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हों उनको कानूनी सहायता मुफ्त दी जाएगी। ऐसे गरीब लोग जो कोर्ट फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से इन्तजाम होगा।

मान्यवर, एक चीज और है। हमारे यहां जौनसार, भाबर शिड्यूल ट्राइब्स हैं और इनकी लड़कियों के सामने शर्मनाक चीज सामने आती है। उनके पास पैसा नहीं होता है। इसलिए उनसे गलत किस्म के पेशे कराए जाते हैं जो समाज के ऊपर कलंक का टीका है। इसलिए ऐसी चीजें उनके सामने रखी जाएं जिससे यह हमारी बच्चियां इस कलंक से बच सकें। उनका सारा जीवन नष्ट हो जाता है।

अब मैं समाज कल्याण विभाग की बात कहना चाहूंगी। इस साल कटौती काफी संख्या में हर तरफ हुई है। उसकी वजह से हम जो नई स्कीमें चलाना चाहते थे वह नहीं चला पा रहे हैं बल्कि पुरानी स्कीमों को चला रहे हैं। हमारे जो प्रोटेक्टिव होम्स हैं वहां पर ारीब, बेसहारा, समाज से ठुकराई हुई लड़कियों को रखा जाता है। उनको तालीम दी जाती है और तालीम देने के बाद इस बात की कोशिश की जाती है कि उनकी शादी कर दी जाए ताकि वह सही तरीके से जीवन बिता सकें। पिछले दिनों यहां पर 11 लड़कियों की शादी हुई और 25 की शादी आगरा में हो रही है। अब तक ऐसा है कि इन प्रोटेक्टिव होम्स में कोई उद्योग धंधे नहीं होते थे। जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनके लिए कुछ इन्तजाम होगा। इसलिए कोशिश की जाएगी कि इनके साथ साथ एक एक इन्डस्ट्रियल यूनिट हो जिससे लड़कियां अपना जीवन यापन कर सकें। समाज इनको अब भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता हैं। तो ऐसी लड़कियों को अपनी रोजी-रोटी खुद कमाने की और आत्म विश्वास अपने में पैदा करने की बात हो और वह खुद अपना काम कर सकें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, कांग्रेस पक्ष के मेम्बर्स का इसमें कुछ भी इन्टरेस्ट नहीं है, माननीय मन्त्री जी बोल रही हैं और जितने मन्त्री लोग हैं वे सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको जगाना चाहिए।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मान्यवर, समाज कल्याण में जो डिसएबिल परसन्स होते हैं जैसे ब्लाइन्ड होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं उनके लिए काफी प्रबन्ध किया जाता है। कई हमारे यहां ब्लाइन्ड स्कूल चल रहे हैं, लखनऊ, बरेली, आगरा, फर्रुखाबाद में ये स्कूल हैं। शेल्टर वर्कशाप हैं जहां पर इनको कुछ सिखाया जाता है जिससे ये कुछ अपनी रोजी-रोटी का साधन बनाते हैं। ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं। हमारे यहां, जो फिजिकली अनकैपेबुल हैं, उनके लिए स्कूल्स हैं। जो मेंटली कमजोर हैं उन्हें लखनऊ, इलाहाबाद में शिक्षा दी जाती है। जो सही तरीके के पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनके लिए खासतौर से ये सेन्टर्स खोले गए हैं। आगे भी मैं समझती हूं कि ऐसे सेन्टर्स और खोलने पड़ेंगे जिससे वे नार्मल बच्चों की तरह से फिर से हो सकें।

औरतों के लिए ऐसा है कि इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक बहुत कुछ औरतों के वेलफेयर से है। महिलाओं में एक खास चीज परेशानी की यह होती है कि वह अपने जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी तरफ हर शख्स या जो हम लोगों के भाई लोग हैं वे औरतों के प्रोग्राम्स को लाइटली लेते हैं। हमारे प्रदेश में 50 प्रतिशत आबादी है औरतों की, अगर ये 50 फीसदी औरतें जाहिल रह जायं, या पीछे रह जायं, तो देश में उतनी तरक्की नहीं हो सकती जितनी कि होनी चाहिये। औरतों की अगर सही तालीम हो जाय तो पूरे परिवार की तालीम हो जाती है। इसलिए औरतों की तरफ, लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर औरतों की तालीम सही ढंग से हो जाय तो देश की बहुत सी समस्यायें अपने आप हल हो जायं और उनके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी। कानून के बनाने से समाज की बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं जब तक हम लोग अपने आप दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि यह भी सोचा गया कि चूंकि जब तक इसमें जन-सहयोग न हो तब तक यह काम नहीं हो सकता है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको जन-सहयोग भी हासिल है, समाजकर्ता भी उनके पास बहुत हैं, उनके जरिए से यह काम किया जाय।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

मान्यवर, हमारे यहां यह भी प्राविजन है कि जो लोग गरीब हैं और जो पंगु हैं उनके लिए आर्टीफिसियल लिम्ब्स की भी व्यवस्था करते हैं। जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनके लिए हियरिंग एड दी जाती है। इसके अलावा महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का खास काम है चिकन वर्क। उसके लिए सरकार की ओर से 500 गरीब औरतों को जो चिकन का काम करती हैं या सुर्ख धागे का काम करती हैं उनके लिए चश्मा दिलाने की व्यवस्था है। मान्यवर, इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं जिनके द्वारा हम गरीब और हरिजन वर्ग की सहायता करते हैं। ये स्कीमें हैं जैसे अब्जरवेशन होम, चिल्ड्रेन गाईडेन्स क्लिनिक्स आदि। इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं।

मान्यवर, मैं विरोधी भाइयों से यह कहना चाहती हूं कि हरिजन वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको उठाने की केवल हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम और आप सबकी है। जब तक आप अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। अत: हम सबको मिलकर काम करना है जिससे हरिजनों की उन्नति हो सके। रोज शिकायतें आती हैं कि हरिजन मारे जाते हैं। उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं या उनको किसी अन्य प्रकार से तंग किया जा रहा है अभी तक उस कमजोर वर्ग को बराबर लाने के लिए सोचा नहीं गया है। जब तक हम खुद दिल से उनको नहीं मानेंगे सरकार का कोई कानून बाध्य नहीं कर सकता है कि आप उनको अपने साथ बैठाले। बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हरिजनों के साथ छुआ-छूत का व्यवहार किया जा रहा है। इसको हम और आप दूर कर सकते हैं। 27 वर्ष हमारी आजादी के हो गए हैं लेकिन अभी भी छुआछूत की भावना है। दूसरे के हाथ का पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खायेंगे, मैं कहना चाहती हूं कि बह चीजें सिविलाइज्ड मुल्क को आगे नहीं लें जा सकती है, बल्कि पीछे की ओर लें जाएंगी। हम यह चीजें पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। विरोधी दल के लोग यह कहते हैं आजकल तो केवल हरिजनों के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर मां के 4 बच्चे हैं और 2 कमजोर हैं और वह उन पर अधिक ध्यान देती है तो उस के माने यह नहीं है कि वह 2 बच्चों की उपेक्षा करती है। यह समाज आगे बढ़े और यह देश आगे बढ़े, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस कमजोर वर्ग को ऊपर उठाएं। बिना ऐसा किए हमारा देश या प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है। मैं इन शब्दों के साथ अपना बजट पेश करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया अपनी बात 20 मिनट में समाप्त करने का कष्ट करें।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मुझे तो कटौती का प्रस्ताव पेश करना है लेकिन आपने इस प्रकार की समय की पाबन्दी पहले से ही लगा दी।

श्री उपाध्यक्ष—

आज की परिस्थिति के आधार पर आप कार्य करें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को 35 मिनट मिलता रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस मद पर बहुत से माननीय सदस्यों को आपके साथ-साथ अपने विचार व्यक्त करने हैं। यदि आप अकेले इतना समय लें लेंगे तो अपने साथ बैठने वाले माननीय सदस्यों के प्रति अन्याय करेंगे क्योंकि इस मद को आज ही समाप्त होना है, फिर समय नहीं मिलेगा। दूसरे माननीय सदस्य भी अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप 20 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, इस कटौती के प्रस्तावक महोदय को 35 मिनट का समय मिलता रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

कभी भी आधे घंटे से अधिक का समय नहीं मिला है। कृपया आप अपनी बात 20 मिनट में समाप्त कर लें। यदि समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो फिर समय दे दिया जायगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा यह सुन कर कि मैं हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अनुदान के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसका कुछ विशेष कारण है और वह यह है कि इस कांग्रेसी हुकूमत ने 26 जनवरी, 1950, जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था, प्रतिज्ञा की थी कि हम 10 वर्ष में सामाजिक समानता लायेंगे लेकिन बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 25 वर्ष हो गए और जितनी धनराशि इस विभाग के लिये मांगते रहे हैं, उसके मिलने के बावजूद हमारे समाज के अन्दर से छुआ-छूत, हरिजनो पर अत्याचार, विकलांगो की दुर्दशा, भिक्षावृत्ति आदि कायम है, स्त्रियों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि प्रदेशीय कांग्रेसी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो 10 वर्ष का ठेका लिया था उसे वह समय के अन्दर पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अब आप इनकी जमानत जब्त करके यह कार्य किसी और का दे दें जो हरिजन और समाज कल्याण का कार्य शीघ्र कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में सबसे पहली जो मेरी आपत्ति है वह यह है कि यहां पर हरिजन तथा समाज कल्याण नाम का निदेशालय तथा विभाग बना हुआ है। दूसरे प्रदेशों में और केन्द्र में भी इस नाम से कोई विभाग नहीं है। मेरा सुझाव है कि इसका नाम बदल कर केवल समाज कल्याण विभाग रखा जाय। इसमें कोई अवैधानिक बात नहीं होगी।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिक से अधिक सहायता शिक्षा विभाग के माध्यम से, शिक्षा संस्थाओं को चाहे वह सरकारी हों, या गैर सरकारी हों, हरिजन छात्रों के लिए अनुदान देता है। देखा यह जाता है कि शिक्षा विभाग वाले इनकी बात को नहीं मानते और इस सहायता का वितरण ठीक से नहीं होता है। अच्छा ये होता कि शिक्षा और समाज कल्याण दोनों विभाग एक ही मन्त्री के अधीन होते। यदि इन दोनो विभागों पर एक ही मन्त्री का कन्ट्रोल होता तो जो अनुदान दिया जा रहा है, उसका वितरण ठीक से होता रहे। और हमारे मन्त्री जी द्वारा जो अनियमितताएं बताई गई हैं, वे बहुत कम हो जायं। इस प्रदेश की जन संख्या लगभग 9 करोड़ है जिसमें से लगभग 5 करोड़ हरिजन, डिनोटिफाइड कास्ट्स और पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं। 0 प्रतिशत लोगों के लिए आपने केवल 13 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस धनराशि में से भी लगभग 3 करोड़ इनके स्टाफ के वेतन और कार्यालय आदि में खर्च होते हैं। केवल 10 करोड़ रुपया ही पिछड़ी हुई जनता के कल्याण के लिए हैं। इस प्रकार के केवल एक व्यक्ति पर 2 रुपया आता है। यदि इस मद में जो प्राविधान किया गया है, वह बढ़ा कर रखा जाता तो अच्छा होता।

इसके अतिरिक्त इस विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सबसे पहले आप शिक्षा को ही लें। माननीय मन्त्री जी ने इस बारे में कहा है कि 112 जो प्राइमरी पाठशालायें खोलने का विचार था अब उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि जिला परिषदों ने और शासन के द्वारा छोटे-छोटे गांवों में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। मगर मन्त्री जी ने

[डाक्टर मलखान सिंह]

इसका कोई दावा नहीं किया अगर वह दावा करें तो मैं इसका खंडन सप्रमाण कर सकता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी प्रत्येक गांव में क्या, गांव सभाओं तक में स्कूल नहीं खुल पाए हैं। इसलिए इस विभाग के द्वारा अगर कोई शिक्षा संस्थायें इस पिछड़े वर्ग के लिए चलायी जा रही हैं तो मेरा अनुरोध है कि कृपा कर के माननीय मन्त्री जी उनको बन्द न करें क्योंकि हमारे समाज के अन्दर शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है।

माननीय मन्त्री जी का विभाग छात्रवृत्ति देता है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में बड़ा घपला हो रहा है। मैं जिला जालौन का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं जालौन जिले की थोड़ी सी मिसाल दे कर मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। अभी-अभी सवाल उठा था कि वहां के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ने 31 मार्च तक छात्रवृत्ति न बांटने के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया है। वहां एक क्लर्क हैं श्री विश्वनाथ वर्मा। वह 10-12 साल से वहां हैं और प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्था से उन्होंने अपना सम्बन्ध कायम कर लिया है। वह अनधिकृत रूप से छात्रवृत्ति का फार्म अपने कमरे में बिठाकर लोगों से भरवाते हैं और बता देते हैं कि जैसे कि टेन्डर में होना है, कि अभी तक जितने आवेदन-पत्र छात्रवृत्ति के आए हैं उनमें इतने प्रतिशत तक नम्बर लिखे हैं, तुम उससे ज्यादा प्रतिशत लिखो। लोग उसकी साजिश से झूठे नम्बर विद्यार्थियों के फार्म में लिख देते हैं और विश्वनाथ वर्मा से मिले हुए होने के कारण प्रिन्सिपल उसे प्रमाणित भी कर देते हैं और हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, उरई, छात्रवृत्तियां स्वीकृत कर देते हैं। होता यह है कि जिन्होंने अच्छे अंक पाए उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और जो रद्दी किस्म के छात्र होते हैं, जिनको बाबू की मदद से प्रिन्सिपल झूठा प्रमाण दे कर छात्रवृत्ति स्वीकृत करा देते हैं और उनको मिलती है। इसका भी एक कारण है कि वह क्लर्क, विश्वनाथ वर्मा प्रति छात्र केवल 25 रुपए ज्यादा नहीं, प्रति वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने के लिए घूस लेता है। यह मैंने विभाग के निदेशक महोदय को भी बता दिया था? क्या उन्होंने इसकी जांच करायी और करायी तो क्या ऐक्शन लिया? तो यह केवल जालौन जिले की नहीं बल्कि सभी जगह की बात है। इसके अलावा यह छात्रवृत्तियां मार्च में मिलती हैं और विद्यार्थी जुलाई में स्कूल में पहुंचता है। 9 महीने तक उसको पैसा मिलता नहीं। किताबें खरीद नहीं पाता, स्कूल की फीस नहीं दे पाता। बहुत से विद्यार्थी तो हताश हो कर घर बैठ जाते हैं। इसके लिए एक टाइम शैड्यूल बनना चाहिए कि इस तारीख तक आवेदन-पत्र आ जायं: उसके बाद न लिए जायं। आवेदन-पत्र सीधे कार्यालय में न लिए जायं। संस्थाओं के माध्यम से चढ़कर आयें ताकि उनका नम्बर पिछड़े न। उसके बाद हरिजन कल्याण अधिकारी को थोड़ा समय दिया जाय कि इतने समय के अन्दर स्वीकृत कर दें और स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर छात्रों को विधिवत् सूचना मिल जाय, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सूचना मिल जाय। और यह कर दें कि इस तारीख तक अगर छात्रवृत्तियां नहीं बंटी तो सम्बन्धित व्यक्ति को दन्ड दिया जायगा। माननीय मन्त्री जी की नालिज में है कि छात्रवृत्तियां देर से बांटी जाती हैं उनके कर्मचारियों की ढिलाई के कारण लेकिन फिर भी मन्त्री जी ने कोई तरीका ऐसा नहीं अपनाया कि छात्रवृत्तियां समय से वितरित की जा सकें।

इस विभाग के द्वारा कुछ छात्रावास चलाए जा रहे हैं, कुछ का निर्माण कराया जा रहा है। समाचार-पत्रों मे एक समाचार छपा था कि रुपेडिहा में एक हरिजन छात्रावास है जिसके प्रबन्धक उसमें एक भी छात्र नहीं रखते क्योंकि उनसे किराया नहीं मिलता है। वह दूसरे लोगों को उसमें किराये पर रखते हैं और किराया अपनी जेब में रख रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री जी और उनके अधिकारी उस समाचार को नहीं पढ़ सके और अगर पढ़ सके तो अब तक क्या कार्यवाही की?

हमारे जिले में कौंच में एक छात्रावास तथा स्कूल है। जिसके प्रिन्सिपल एक गोस्वामी जी हैं। वे केवल अपने ही स्कूल के विद्यार्थियों को उसमें भर्ती करते हैं। वह छात्रावास सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए। यही नहीं, विद्यार्थियों

से कमरे में रहने का किराया भी वह चार्ज करते हैं। मैंने इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। छात्रावास के बारे में एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आगरा में दो कन्या विद्यालय हैं—त्रिवेणी कन्या उच्चतर विद्यालय तथा साकेत कन्या महाविद्यालय—इन दोनों को छात्रावास बनाने के लिए 30-30 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। यह रुपया ठीक प्रकार से खर्च हो और छात्राओं के लिये छात्रावास बने इस दृष्टि से एक डिप्टी डायरेक्टर को यहां से आगरा भेजा गया ताकि उनकी देखरेख में ठीक काम हो। उन दोनों विद्यालयों ने अपने स्कूलों में कमरे बनवा लिए और छात्रावास कहीं बना ही नहीं। डिप्टी डायरेक्टर को इनाम भी मिल गया। यह 60 हजार रुपए की रिकवरी मन्त्री जी को उनमे करनी चाहिए क्योंकि छात्रावास बना ही नहीं। तमाम रकम लोग खा गए और उसमें इन डिप्टी डायरेक्टर का भी हाथ था। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 7 और छात्रावास बना रही है। अगर इसी तरह से छात्रावास बनेंगे तो यह आपके लिए कलंक की बात होगी और भ्रष्टाचार पनपेगा। आपके समय में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार दूर हो सके तो उसे दूर कीजिए, बड़ी अच्छी बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे कुछ नीति सम्बन्धी बातों पर भी अपने विचार दें। यह मानकर कि यदि वे स्वयं मन्त्री होते तो इस विभाग में वे क्या करते, उनकी क्या नीति होती आदि। केवल भ्रष्टाचार पर यदि आप बोलते रहेंगे तो मुन सिब नहीं होगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

जो आलोचना करने की चीजें हैं वह मैं बताऊंगा और सुझाव भी दूंगा। मान्यवर, एक मिस्टर आर0 सी0 शर्मा हैं, इस विभाग में, उनकी लड़की की दिनांक 23 फरवरी, 1974 को शादी थी। उस शादी में हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय की सारी गाड़ियां काम में आयीं और सरकारी पेट्रोल खर्च किया गया तथा विभाग में उनके द्वारा सरकारी दौरा दिखा दिया गया जब कि उन दिनों कोई सरकारी दौरा हुआ ही नहीं। अगर माननीय मन्त्री जी को सन्देह हो तो वे कृपया इसकी जांच करवा लें। अगर इन चीजों पर नियन्त्रण नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आपके बजट में एक तो वैसे ही कम धनराशि रखी गयी है, उसमें से भी अगर ऐसे लोग इस तरह से रुपया खा जायेंगे तो गरीब जनता का कल्याण कहां से होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं यही जिक्र कर रहा था।. तो मैंने जो अभी छात्रावास का जिक्र किया उसके बाद अब मैं आर्थिक उत्थान के लिए एक बात कह दूं। अब एक हरिजन निगम बना दिया गया है। हर कार्य के लिये यह निगम बनाते जा रहे हैं क्योंकि इन्हे अपने लोगों को काम पर लग ना है। अपने लोगों को खपाना है इसलिये निगम बनाकर उसके मेम्बर बनायेंगे, उसके चेयरमैन बनायेंगे और वह मेम्बर्स और चेयरमैन हरिजनों के लिये जो अनुदान दिया जायगा वह खुद अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, इसी के लिये यह निगम बनाया जा रहा है। अभी तक यह डिपार्टमेंट ही सारी कार्यवाही करता रहा लेकिन अब यह निगम उसी कार्य को करेगा निगम 2 करोड़ रुपए के प्राविजन से बनाया जा रहा है यह निगम पशु विकास के लिए है। लेकिन आदमियों के उत्थान के लिए एक गोधन निगम बनाया जा रहा है। यह जो निगम बनाया जा रहा है उसके लिए केवल 50 लाख इस किताब में दिया है, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने 25 लाख ही कहा है और मैं भी उसी को सही मानता हूं, कागज में भले 50 लाख हो, केवल 25 लाख की ही योजना है उस निगम को बनाने के लिए और उसमें से भी 1975-76 में केवल 2 लाख रुपए का उसके लिए प्राविजन किया गया है। 2 लाख रुपए से इस निगम का क्या होगा? हमें तकलीफ इसमें है कि इस प्रकार के निगम बनाने से जो हरिजन और समाज के पिछड़े हुए लोगों को सहायता देने के लिये धनराशि दी जा रही है उसका खर्चा बढ़ जायगा और उन तक पूरा का पूरा अनुदान पहुंच भी नहीं पायेगा। इसमें एक और अन्तर है कि गो-धन निगम का सजेशन मुख्य मन्त्री जी ने अध्यक्ष महोदय को दिया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी

[डाक्टर मलखान सिंह]
ने जिस निगम का विचार रखा उसके लिए 2 करोड़ रुपया मिलता है और माननीय मन्त्री जी ने जो विचार रखा है उसके लिए केवल 25 लाख हो। मैं नहीं समझता था कि आठ गुने का अन्तर होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो हम बरदाश्त करते ।....

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—
मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
माननीय पांडेय जी आप बैठें, कोई स्पष्टीकरण का समय नहीं है, आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

डाक्टर मलखान सिंह—
तो अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के लिए जो अनुदान दिए जाते हैं उसका भी रेशियो देखिए। इस किताब में लिखा है कि इनको मकान बनाने के लिए 12 सौ रुपए से 16 सौ रुपए तक दिये जाते हैं। अब इन 12 या 16 सौ रुपयों में एक कमरा बनना भी मुश्किल है। शायद एक कच्चा झोपड़ा बन सकता है। और इन 12 सौ में भी 12 सौ नहीं दिये जाते हैं, एक हजार रुपए ही देते हैं। उसमें सभी कुछ भ्रष्टाचार में रकम चली जाती है और इतने रुपये में कहां से मकान बन जायगा। कच्चा मकान बनाने में भी कम से कम 25 सौ रुपए की लागत से कम नहीं आ सकती है और अगर 25 सौ रूपया नहीं देना है तो कम से कम 2 हजार रुपए का अनुदान तो मन्त्री जी को दिलाना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आवास और गृह-स्थल के सम्बन्ध में राजस्व विभाग पर विचार के समय कहा जा चुका है। आवास और गृह-स्थल के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है और अगर मिल भी जावें तो कब्जा नहीं मिल पाता है। उसके लिये मैं जिला जालौन का उदाहरण आपके सामने अध्यक्ष महोदय रखता हूं। वहां ग्राम राजपुरा में (जिला जालौन) में राम भरोसे चमार को आवास के लिए पट्टे पर जमीन मिली है लेकिन उस पर कब्जा हुआ उसी गांव के ठाकुर हाकिम सिंह का उन्होंने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मैंने मन्त्री जी को लिखा। आप कब्जा नहीं दिलवा सकी, यह आपके बस का रोग नहीं है। इसलिए ऐसी बढ़-बढ़ कर डींगे मारना अच्छी बात नहीं है कि हम हरिजनों के लिए जमीन दिलवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहता हूं कि शासन अस्पृश्यता निवारण के लिए रुपया दे रही है। उसके लिए हर वर्ष अस्पृश्यता निवारण समारोह मनाये जाते हैं। इससे अस्पृश्यता तो दूर नहीं होती बल्कि हर वर्ष याद ताजा हो जाती है कि अस्पृश्यता रहेगी और अस्पृश्यता छूट नहीं सकती। मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि यह समारोह जो कि विभाग की ओर से किए जाते हैं उनमें अनावश्यक रुपया न खर्च करें और दूसरे अन्य उपयोगी कार्यों में उनको खर्च किया जावे जिससे हरिजनों का कोई उत्थान हो सके।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं अब सेवा संरक्षण के विषय पर आता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—
आप हमारे लिए बार-बार अध्यक्ष महोदय का संबोधन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष कहिए। यह उचित नहीं है।

डाक्टर मलखान सिंह—
अध्यक्ष महोदय, आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी पर हम आपको अध्यक्ष ही जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अध्यक्ष हो जावें, बहुत जल्द हो जावें यह, मेरी शुभकामनायें आपके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष—
ठीक है लेकिन फिर भी आप उपाध्यक्ष ही कहें तो ठीक होगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व विमुक्त जातियों से सम्बन्धित एक समिति है जिसकी सदस्या शायद माननीया मन्त्री जी भी रही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, शासन की तरफ से इस समिति की अवहेलना की गयी है। यह जो किताब है इसमें सभापति जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि विभिन्न विभागों को एक प्रश्नावली भेजी गयी थी और उनसे पूछा गया था कि आप बतलावें कि आपके विभाग में अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारियों को किन-किन पदों पर कहां और कितना सुरक्षित कोटा पूरा है या नहीं? लेकिन इस प्रशासन की यह जुर्रत कि केवल उद्योग सचिव को छोड़कर बाकी कोई सचिव उस समिति के समक्ष हाजिर नहीं हुए और न समिति को उसके बारें में कोई सूचना ही दी। लेकिन माननीया मन्त्री जी ने इस प्रश्न के ऊपर अपने भाषण में कोई जिक्र ही नहीं किया है। इसका और कोई कारण नहीं है, इसका कारण यह है कि ये कमजोर हैं इसी-लिए इनके सचिव और विभागाध्यक्षों ने समिति के आदेशों की अवहेलना की और इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन का कोटा है, उसे अगर माननीया मन्त्री जी पूरा करा दें तो मैं उनको सौ-सौ बधाई दूंगा। यह हो नहीं पा रहा है, 25 वर्ष से कोशिश करने के बाद भी। (लाल बत्ती जलने पर) अध्यक्ष महोदय, आप यह लाल बत्ती न जलाइए। आपकी लाल बत्ती से मुझे बड़ा डर लगता है।

श्री उपाध्यक्ष—

20 मिनट आपके हो चुके हैं, 5-7 मिनट में आप अपना भाषण खत्म कर दें।

डाक्टर मलखान सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत सारी बातें कहनी हैं। मैं कहां तक कहूं, उत्तर प्रदेश में बालकों की तरक्की के लिए एक योजना बनायी गयी है। इस प्रदेश में 3 करोड़ के लगभग नाबालिग बालक हैं। इसमें से 13 लाख लड़के भीख मांगते हैं और अनैतिक व्यापार में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां तक बतलाया गया है कि ये नाबलिग बालक और बालिकायें अनैतिक व्यापार तक करते हैं? इस सरकार ने 25 वर्ष के बाद भी इन बालकों को कोई संरक्षण नहीं दिया, उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी समुचित काम नहीं किया जिससे उनकी तरक्की और विकास हो सके।

जहां तक निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात है, इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वर्ष से हरिजनों के लिए निःशुल्क सहायता का प्राविधान है। मैं माननीया मन्त्री जी को चुनौती देता हूं कि एक भी मिसाल ऐसी पेश करें कि पिछले तीन साल में किसी भी हरिजन को किसी भी मामले में निःशुल्क सहायता दी गयी हो। महिलाओं के कल्याण पर भी बड़ा जोर दिया गया है। ठीक है, मैं भी समझता हूं कि महिलाओं का कल्याण होना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा-बढ़नी चाहिए लेकिन यदि महिलाओं का ऐसा ही कल्याण हो जैसा कि लखनऊ में हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है। यहां निराश्रित महिलाओं के लिए एक कर्मशाला है। [* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

किसी बाहरी माननीय सदस्य के बारें में इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं हैं। यह शोभा नहीं देता है। इस तरह के शब्द कार्यवाही में नहीं लिखे जायेंगे। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का इस तरह का कथन नियम विरुद्ध है। (व्यवधान) यूरोपियन कन्ट्रीज में इस तरह की महिलायें इज्जत की दृष्टि से देखी जाती हैं (व्यवधान)

नोटः—[****] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह के शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री रामायण राय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जरा एक मिनट रुक लें। मैंने उनको सम्बोधित किया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन में आम परम्परा रही है कि जो व्यक्ति.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो नैतिकता की बात है वह माननीय सदस्य को नहीं मालूम है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अगर माननीय सदस्य को थोड़ी सी जानकारी है....

(इसके उपरान्त अनेक सदस्य जोर से बोलने लगे।)

(व्यापक शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग एक-एक करके कहें।

(व्यापक शोरगुल)

यहां की कुछ परम्परायें हैं, मर्यादा है अगर इस तरह से सब कुछ बालाये-ताक रख देंगे, तो माननीय सदन कैसे चलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक एक सदस्य बोलें।

श्री रामायण राय—

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं...

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने उनको बुलाया है। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आप जो कह रहे हैं.....

श्री रामायण राय—

जी हां। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

इस सदन की यह मान्य परम्परा रही है कि जो व्यक्ति इस सदन में उपस्थित होकर अपनी सफाई पेश कर सकें, उस का नाम आमतौर से नहीं लिया जाना चाहिए।

(व्यापक शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें। आपको जरूरत है तो मुझसे समय लेकर बात करें।

(शोर)

उनकी कहना सही है। आप बैठें। कृपा करके उनकी बात सुनें।

(शोर निरन्तर जारी रहा)

श्री रामायण राय—

मैं कटौती के प्रस्तावक महोदय से, जिस दल से वह सम्बन्धित हैं, वह दल भारतीय संस्कृति की बड़ी चर्चा करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का एक युग था जब उनको आराध्य माना जाता था। चाहे जितना गम्भीर आरोप करने की.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, चूंकि इन्दिरा गांधी महिला हैं इसलिये इन्दिरा गांधी को हम लोग कुछ न कहा करें।

(व्यापक शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इनको कह लेने दें। अगर आपको कहना है तो पहले मुझसे समय ले, फिर कहें। आप बैठिए।

श्री रामायण राय—

आखिरी बात मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस ढंग से माननीय सदस्य ने एक सम्मानित महिला का उद्धरण प्रस्तुत किया है।

(शोर)

मेरा आपसे आग्रह है कि आपको नियमों के अधीन अधिकार प्राप्त है कि ऐसे स्थल को, ऐसे अशोभनीय कथन को अगर आप आदेश दें तो उसको निकाल दिया जाय। इससे हमारी कठिनाई हल हो सकती है। सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में इससे बाधा उत्पन्न हुयी है। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने स्वयं उनके विचार सुनने के बाद कहा है कि इस तरह के शब्द कार्यवाही म नहीं लिखे जायेंगे। कर्यवाही देख ली जाएगी और ऐसे शब्द अगर होंगे तो वह निकाल दिए जाएंगे।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा डाक्टर मलखान सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक हरिजन अधिकारी के खिलाफ, वहां डायरेक्ट्रेट में कुछ हरिजन अफसरों को परेशान किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप नियमों की पहले थोड़ी सी जानकारी रखें तब ऐसी बात कहें।

डाक्टर मलखान सिंह—

मेरी बात आपने पूरी नहीं सुनी और आपने व्यवस्था दे दी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मलखान सिंह जी, जो बाहरी सदस्य इस सदन में आकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता।

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, वह इस विभाग में सरकारी सेवा में हैं और एक सरकारी महिला कर्मशाला की अध्यक्षा हैं।

[डाक्टर मलखान सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था कि ऐसी कई बार चर्चायें सदन में हुईं और सरकार की ओर से बयान भी दिए गए। मुझे उनकी सन्तान से कोई परेशानी नहीं। मुझे परेशानी यह है कि वह इस विभाग में सरकारी सेवा में हैं और उनका इस प्रकार का आचरण सरकारी नियमों के विपरीत है। इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। मैं कह रहा था कि उस संस्था में कुमारी सरोज ने एक लाख रुपए का गबन किया। उसकी जानकारी मन्त्री, मुख्य मन्त्री और लखनऊ के कमिश्नर को हुई और जांच हुई। मुख्य मन्त्री और शासन को रिपोर्ट दी गयी कि कुमारी सरोज को और हरिजन कल्याण निदेशालय के श्री दयाशंकर राय का कहीं दूर अलग-अलग स्थानों पर स्थानान्तरण कर दिया जाय। लेकिन स्थानान्तरण नहीं किया गया और यदि कर दिया गया तो उसके बाद वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और लखनऊ में ही मौजूद रहे। शासन ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं किया। अब यह देखना है कि कुमारी सरोज और निदेशक या सचिव में कौन बाजी हारता है। किस करवट ऊंट बैठता है। इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। मान्यवर, वहां लाखों रुपए का गबन हो रहा है। इसकी जांच के लिए आडिट हुआ और उन्होंने कहा कि हमें और कागज दें। कुमारी सरोज ने उनको और निदेशक को लिखकर दे दिया कि हम अपने कागज नहीं दिखायेंगे। अब यह विभाग हमारे इन मन्त्री जी के पास आ गया है इसलिए हमें उम्मीद है कि उसमें यह सुधार लायेंगी। इन कर्मचारियों की कैसे हिम्मत होती है कि अधिकारियों की बात न मानकर अपनी मनमानी करें। इसलिए इसकी जानकारी करायी कि हरिजन कल्याण का बजट प्रस्तुत किया गया और कटौती का प्रस्ताव रखा और मैंने कहा कि उनको रुपया न दिया जाय। और इसलिए न दिया जाय कि और गबन न करें।

आगरा में 60 हजार रुपए कर्मचारी खा गए और यहां एक लाख रुपए का गबन किया गया। यहां पर एक वर्किंग वीमेन्स होस्टल है और उसमें व्यभिचार हो रहा है। दो वर्ष पूर्व एक हरिजन लड़की की हत्या कर दी गयी थी जिसकी जानकारी विभाग को है। सी0 आई0 डी0 ने रिपोर्ट भी दे दी है तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है? यह शासन भ्रष्ट लोगों को पनाह देता है और उनसे मिला हुआ है। इसलिए यदि ऐसे काम किया जाएगा तो जो हरिजनों और पिछड़े लोगों के उत्थान का दावा किया है उससे उनका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी कोशिश करके इस विभाग की घपलेबाजी और बेईमानी को दूर करें और वास्तव में यदि हरिजनों के कल्याण का इरादा है तो उनका सरकारी नौकरियों में सुरक्षित कोटा पूरा करें, छात्रवृत्तियां समय से दिलायें, पढ़ने-लिखने के लिए प्राइमरी और उच्च विद्यालय चलवायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और मुझे आशा है कि इस विभाग को अब रुपया नहीं दिया जाएगा ताकि यह भ्रष्टाचार तथा गबन भविष्य में न कर सके।

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करती हूं और इस लोकप्रिय सरकार ने हरिजनों के लिए हरिजन बस्तियां बसाई, छात्रवृत्तियां दूनी कीं और सर्विसेज में 18 परसेंट रिजर्वेशन दिया इसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है"। । मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि गांवों में जो हरिजन बस्ती बसाई गयी हैं उनमें प्रत्येक मकान के लिये एक हजार रुपया लगाया गया है जिसके कारण वे बहुत कमजोर हैं और उनमें से बहुत से गिर भी गए हैं। इन बस्तियों को अधिक लागत से बनाया जाय ताकि वह टिकाऊ बन सकें और हरिजन उनमें रह सकें। दूसरा निवेदन यह है कि गांवों में अब भी हरिजनों के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। लिहाजा प्रत्येक गांव में हरिजनों के मुहल्लों में एक-एक दो-दो कुआं अवश्य बनाया जाय ताकि पीने के पानी की समस्या हरिजनों की हल हो सके। तीसरा निवेदन यह है कि जिले के प्रत्येक हेड क्वार्टर पर छात्र और छात्राओं के लिए एक एक हरिजन छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि हरिजन छात्र जो देहाती अंचलों से आते हैं। वे उन

छात्रावासों में रह कर विद्या अर्जित कर सकें और जीविकोपार्जन करके अपनी गरीबी को दूर कर सकें। विधवाओं तथा निराश्रितों को जो पेंशन दी जाती है वह धनराशि बहुत कम है। उसे बढ़ाया जाय और जिलें में जो हरिजन समिति बनी हुई है उससे वह धनराशि वितरित कराई जाय। छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के लिए जो अनुदान एवं ऋण दिया जाता है वह निदेशालय से दिया जाता है लेकिन मन्त्री जी ने अभी बतलाया है कि उसके लिये अयोग बना दिया गया है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि हरिजन अनुदान तथा ऋण उद्योगों के लिए जिलों की हरिजन समिति से ही वितरित कराया जाना चाहिए। मेरा 5वां निवेदन यह है कि हरिजनों के लिए जो जमीनें गांव समाज के माध्यम से दी गयी हैं उन पर उनको आज तक कब्जा नहीं मिला है और उनको उनका लगान देना पड़ता है। वर्षों से ऐसा चला आ रहा है और इस तरह के किसान बुन्देलखंड में 40 प्रतिशत हैं जिनको आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित कदम अविलम्ब उठाना चाहिए। छठा निवेदन मेरा यह है कि मन्त्री जी ने बताया कि 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आमदनी वाले लोगों के वार्ड्स की फीस माफी रहेगी। इसको कम से कम 1 हजार मासिक कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मन्त्री महोदय ने आज जो अनुदान रखा है मैं उसको हरिजन विरोधी बजट की संज्ञा देता हूं। यह बजट हरिजनों का शोषण करने वाला है और उनके लिये अपमानजनक तथा निराशाजनक है।

इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है। पिछले वर्ष के बजट के बनिस्बत इस साल के इस विभाग के बजट में ज्यादा प्राविधान होना चाहिए था लेकिन वह इस साल 55 लाख रुपया रखा गया है जो कम है। क्या यही उत्थान आप हरिजनों के लिए कर रहे है? दूसरी बात यह है कि नौकरियों में आप इनके आरक्षण की बात करते है लेकिन उनकी ज्येष्ठता के नम्बर के आधार पर भी उन्हे आप नहीं रखते हैं। सिचाई विभाग में यही हाल है, सेल्स टैक्स में यही है।

मैंने सिचाई विभाग के एक मामले के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री तथा माननीय सिचाई मन्त्री को लिख कर दिया भी था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक अध्यापक श्री चेत राम हैं, उनको एस0 डी0 आई0 बनाया गया और सात महीने तक वे एस0 डी0 आई0 रहे। उसके बाद उन्हे फिर नीचे कर दिया गया। जब वे मन्त्री जी से मिले तो उन्होंने 7-8 बार यह आदेश दिये कि इनको एस0डी0आई0 के पद पर भेज दिया जाय किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप हरिजनों के कल्याण की बात कहते हैं लेकिन आपने उनके इस बजट को अमानुषिक रूप दिया है। इस जाति को आपने अमानुषिक रूप दिया है। हरिजनों के प्रति आप की कितनी श्रद्धा है, यह इसी से दिखाई देता है कि कितने माननीय सदस्यों में इनके बजट के बारे में चल रही चर्चा को सुनने की क्षमता है। करोड़ों रुपए लगाकर आप निगमों को बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पशुपक्षियों के निगम से भी बदतर आपने हरिजन निगम को बनाया है। इस मुहकमें में कितनी घपलेबाजी चल रही है इस बारें में हमारे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया लेकिन सुनने की क्षमता आप में नहीं है।

मान्यवर, एक निराश्रित महिलाओं का आश्रम अमीनाबाद में है जिसकी लेडी सुपरिन्टेंडेंट सरोज पन्त हैं। उसमें लाखों रुपए की घपलेबाजी है। इसकी इनक्वायरी गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारियों ने की जिन्होंने रिपोर्ट भी दी कि एक लाख की और घपलेबाजी यहां पर है। उस सम्बन्ध में आगे कोई कागज पेश नहीं किए जा रहे हैं। ये जो लेडी सुपरिन्टेंडेंट सरोज पन्त हैं उनकी सांठ-गांठ ऊंचे अधिकारियों से है। एक श्री दयाशंकर राय एडीशनल

[श्री एदल सिंह]

डाइरेक्टर हरिजन विभाग में थे, उनका तबादला किया गया है। वे भी इस एक लाख के मामले में इन्वाल्व थे। इसको दबाने के लिए हरिजन विभाग के डायरेक्टर और हरिजन विभाग के सेक्रेटरी के खिलाफ कम्प्लेंट इस लेडी सुपरिन्टेडेंट ने की और कहा कि हमारे ऊपर नाजायज घपलेबाजी का आरोप लगाया गया है और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। माननीय मुख्य मन्त्री ने इस पर एक सीनियर कमिश्नर द्वारा इन्क्वायरी करवाई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है किन्तु अभी तक वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की गई है कि उसमें क्या कहा गया है। उसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है। यह कानूनी बात है। आए दिन यहां पर अधिकारियों की छीछालेदर की जाती है; अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुजाता कांड हाउस में आया। उसमें अच्छे-अच्छे नेता, अधिकारी और मिनिस्टर भी इन्वाल्व हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

हरिजन विभाग पर बोले।

श्री एदल सिंह---

उस सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। सुजाता....

श्री उपाध्यक्ष---

आप विषयान्तर कर रहे हैं। विषय पर बोलें।

श्री एदल सिंह---

जब यह सला सदन में आ चुका है, जब सी0 आई0 डी0 इसकी जांच कर रही है तो इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? डी0 पी0 वरुण का नाम लिया जा रहा है..... (व्यवधान) क्योंकि वे एक हरिजन अधिकारी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वरुण जरा भी दोषी पाए गए तो मैं एम0एल0ए0 से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। केवल यह हरिजनों को बदनाम करने के लिए, हरिजन आफिसरों का मारल डाउन करने के लिए कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं और सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री ने इस बात का खंडन किया कि 15 तारीख को जो कांड हुआ उसमें जो सामान मिला है....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको बोलने की स्वीकृति नहीं दूंगा, आप यहां पर सुजाता कांड पर नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) आप इधर-उधर न जायं। विभाग पर बोलें।

श्री एदल सिंह---

यह हरिजनों का मामला है, उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके से हाउस में बार-बार बात आती है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री एदल सिंह---

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब अखबारों में जब यह छपा कि उनका ट्रान्सफर हो गया है या छुट्टी चले गए हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है या उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। तो इन बातों का खंडन क्यों नहीं किया (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ इस सदन में घोर निन्दा करता हूं कि अछूतों के साथ यह व्यवहार होता रहा तो एक दिन ऐसी लपटें उठेंगी, ज्वाला उठेगी जिसमें कि आप धराशायी होंगे और फिर हमारी शरण में आना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री विद्याधर जी दुबे।

श्री विद्याधर (जिला इलाहाबाद)—
उपाध्यक्ष जी शुरू में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा नाम सिर्फ विद्याधर है।

श्री उपाध्यक्ष—
आपके सचेतक ने श्री विद्याधर दूबे लिख कर दिया है।

श्री विद्याधर—
उपाध्यक्ष जी आज जिस विषय पर, जिस बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है, वह बजट जिसका सम्बन्ध उस दीन-हीन, गरीब शोषित और पीड़ित मजदूरों से, जिसे हरिजन कहा जाता है, उससे है। उस वर्ग से एक खासी मेहनत, मसक्कत के बाद दिलो दिमाग का रिश्ता हो पाता है। उससे सम्बन्धित बजट पर बोलते हुए मुझे गौरव का अनुभव होता है। मुझे पता है कि अपने क्षेत्र में पैदाइश से इस वर्ग में न होते हुए भी मैं अपने को दिल से जुड़ा मानता था। जब मैं अपने दिल और दिमाग से रिश्ता इस वर्ग से समझता था तो अपने पैदाइश के लोगो ने मेरा वहां पर पुतला भी जलाया था। तो इस बात का भी मुझे फख्र है। तो इसीलिए मैंने नाम पर टोका था कि विद्याधर ही काफी है; यह बाहर से नहीं दिल और दिमाग से कहा था।

मैं दूसरी बात पर आता हूं। मैंने उपाध्यक्ष जी हरिजन कल्याण मन्त्री का भाषण बड़े ध्यान से सुना। यह अल्पसंख्यक वर्ग से आती है। साम्प्रदायिक दृष्टि के अल्पसंख्यक होना सचमुच एक गरीबी का द्योतक है और साथ ही साथ वह जनाना जगत से आती है जिसे वीकर सेक्शन कहते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी दूं कि माननीय विद्याधर जी अभी कुवारें हैं।

श्री विद्याधर—
तो यह भी खुशी की बात है। लेकिन उपाध्यक्ष जी, यह दोनों पहलू गौण हो जाते हैं जब मैं अपने दृष्टि में वर्गविहीन समाज को या जातिविहीन समाज की स्थापना करने की बात करता हूं, समाजवादी समाज की स्थापना की बात करता हूं और जब मैं अपने कांग्रेस की समाजवादी नीति और कार्य क्रमों को ध्यान में रख कर सोचता हूं कि मन्त्री का इससे प्रतिबद्ध होना प्रमुख रूप से कहीं भी आवश्यक है। यह कमिटेड होकर, वह मन्त्री जिसके लिए हैं, कार्य करें, तो हमारा ख्याल है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वह दोनों चीज गौण हो जाती हैं। आप क्षमा करें, भूमिका में समय बहुत कम हो गया। लेकिन 27 वर्षों से भाषणों को मैंने बहुत ध्यान से सुना और 27 वर्षों का जो लेखा-जोखा करते हैं, तो हम मानते हैं कि कुछ किया गया? कैसे किया गया? सोचकर किया गया, जबान से किया गया और उससे भी ज्यादा कागज के ऊपर किया गया और वास्तव में उस दीन-हीन के लिए उतना ही हुआ जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया या फिर ऊंट के मुंह में जीरा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानता हूं कि जब अछूत कहा जाता है, जब हरिजन कहा जाता है तो समाजवादी दृष्टि से कल के बनने वाले समाज के लिए यह कलंक है और आज कल के मेहनतकश मजदूर को जो अछूत कहा गया है और पूंजीवादी व्यवस्था और उसके माहौल में जो हरिजन कहा गया है, वह भी हमारे लिए कलंक है। वह विशुद्ध मजदूर है। आज की दुनियां का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसकी हर जगह अगुवाई हो, यह प्रयास किया जाना चाहिए।

साथ ही साथ जो पिछड़ी जाति कही जाती है, जिनके बारे में पिछली बार भी कहा था। ये जो नाई, धोबी, कहार आदि जातियों के लोग हैं, यह एक जमाने से पीड़ित, शोषित लोग आज उसी श्रेणी में आते हैं। इनकी समस्यायें इन हरिजन मजदूरों जैसी हैं। इस बजट में उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह हमारे लिए शर्म की बात है और दुःख होता है कि आज यह इतने मजबूर होकर वहां खड़े हैं, जब कि वे किसी की दान-

[श्री विद्याधर]

दया पर रहने वाले नहीं हैं। यह अच्छी बात है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी मनसा, वाचा, कर्मणा उन लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेफ्टिस्ट मुख्य मन्त्री हैं, लेकिन नौकरशाही उसके साथ धोखा दे रही है। अत : यह कार्य उनके लिए पहाड़ हो रहा है। यह बात बार-बार कहना कि इनको आरक्षण मिला है बहुत उचित नहीं है, क्योंकि यह दाल में नमक के बराबर है। पुलिस जिसको कहते हैं कि वह हुकूमत की सेवा के लिए बनी है, लेकिन उसकी आज एप्रोच प्रोडक्टिव होनी चाहिए। हरिजन कल्याण मन्त्री जी यहां बैठी हैं, मैं कहूंगा मोहसिना किदवई जी से कि उनकी बहिनें कहां जाएंगी, जिनको आज वेश्याएं कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विद्याधर---

यह सब बुनियादी बात हैं और मुझे कहना चाहिए। हमारी या श्रीमती मोहसिना किदवाई की ही बहनें वेश्याएं हैं। उनका उद्धार होगा तो वह श्रेष्ठ महिलायें होंगी। . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है, बिलकुल समाप्त हो गया है, बार-बार मैं कह रहा हूं। आप बैठें।

श्री विद्याधर---

गली-गली में घूमते हुए भिक्षावृत्ति वाले बच्चे हमारे लिए लानत हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

हमारी भी सुनने की कोशिश करें, अपनी ही बात न कहे जाएं, समय समाप्त हो गया है। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री विद्याधर---

सबसे बड़ा अड़ंगा हमारे समाजवादी समाज की रचना के मार्ग में धार्मिकता है। बड़े-बड़े पाप हम देखते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि राशिफल और कुंडली देखकर राजनीति चलाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि एक जमाने के क्रान्तिकारी शम्बूक ने राम के खिलाफ जब विद्रोह किया और राम द्वारा उसका बध हुआ (व्यवधान) और उसी चातुर्य वर्णीय संस्कृति और राम को बचाने के लिए, रामायण के ऊपर, तुलसीदास के ऊपर करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है। और उस क्रान्तिकारी शम्बूक का कोई नाम लेता नहीं है। उस क्रान्तिकारी, जिसकी प्रेरणा से आज की क्लासलेस सोसाइटी बनाने का लक्ष्य है, एक जमाने का विद्रोही शम्बूक, आज उसी झंडे के नीचे उन लोगों में जीवन आया है, जो उनके वंशज और कुटुम्बी हैं।

बजट का समर्थन तो करना पड़ रहा है। लेकिन दुखी मन से, साथ साथ चिन्ता के साथ, उसके साथ हलके-फुलके संशय के साथ। मैं ज्यादा न कहकर इतना कहूंगा कि समाजवाद की रचना में उसके मोर्चे में सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 आई0 एम0 का योगदान रहा है। लेकिन हमारे जो भाई कटौती का प्रस्ताव लेकर आए उनसे हमारा किसी तरह से मेल नहीं है। हमारा मेल इनसे है। इनका हमारा मेल और साथ है। हममें भी हलके-फुलके लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

श्री विद्याधर---

इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री ऊदल—

उपाध्यक्ष महोदय, असल में यह जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, इन पिछड़े हुए हरिजनों की, इनका समाधान सचमुच हमारे विद्याधर जी ने जसा कहा तभी होगा जब जातिविहीन, शोषणविहीन समाज की स्थापना होगी। उसके लिए यही दवा है, यही इलाज है और उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज दुर्भाग्य से जिस मौके की तलाश में विद्याधर जी हैं अभी फिलहाल वह मौका आया नहीं। वह आएगा और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। हिन्दुस्तान के अन्दर वह दिन जरूर आएगा। ऐसी शक्तियां अभी हिन्दुस्तान के अन्दर हैं, जो शोषणविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना करेंगी, हरिजनों, दलितों का सचमुच दुख दूर होगा और इन्सान इन्सान बन कर देश में रहेगा।

मान्यवर, इसके बाद मैं इस विभाग को सचमुच एक सेवक विभाग की हैसियत से समझता हूं जो दलितों की, पीड़ितों की सेवा उस हद तक तो नहीं कर रहा है, जिस हद तक करना चाहिए। लेकिन कुछ न कुछ कर रहा है। इस विभाग द्वारा बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। लेकिन वह भी छात्रवृत्तियां हाई स्कूल के ऊपर वाले बच्चों को दी जाती हैं। हाई स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अगर तभी से उनकी बुनियाद ठीक नहीं की जाएगी और उनको सहायता नहीं दी जाएगी तो नतीजा इसका होगा कि बहुत कम बच्चे दसवीं क्लास या उससे आगे जायेंगे जो इस सुविधा का लाभ उठाएगें। इसलिए मेरा इस सरकार से और मन्त्री जी से जो बहुत उदार हैं और खूबसूरती के साथ जिन्होंने अपना बजट भाषण भी किया और मुझे आशा है कि खूबसूरती से इस विभाग का निर्वहन भी करेंगी। कम से कम दसवीं क्लास के नीचे जो बच्चे हैं हरिजनों के, उनके ऊपर भी विचार होना चाहिये और छात्रवृत्ति देना चाहिये।

इसके साथ एक बात अब कहना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों का भी कार्य इस हरिजन कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। हरिजन को दसवीं कक्षा के ऊपर मिल जाता है नीचे नहीं मिल रहा है। अभी वाराणसी जिले में मैंने पता लगाया तो पता लगा कि पूरे बैकवर्ड क्लास के 23 बच्चों को इन्टर में छात्रवृत्ति दी जा रही है। अगर यही अनुपात रहा तो एक असन्तोष का कारण बनेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। इस विभाग के द्वारा कुछ अनुमोदित विद्यालय चलाए जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि प्रदेश में आठ हैं। वहां अपराधशील बच्चे जो पकड़े जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है और सुधारा जाता है। उनका पहले 40 रुपए और अब 50 रुपये मासिक की सहायता दी जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि बच्चों को जिनको सुधारा जाता है, उन बच्चों के लिए 50 रुपये में भोजन, कपड़े, तेल तथा साबुन आदि की व्यवस्था कैसे हो रही है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसके साथ साथ एक बच्चे पर कम से कम 15-16 किलो मासिक राशन खर्च होता है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि इन बच्चों को पूरा राशन सप्लाई विभाग से मिलना चाहिए।

इसी तरह कुछ लड़कियों के बारे में, जो अपराधशील लड़कियां हैं या भटकी हुई लड़कियां हैं, उनके लिए प्रोटेक्टिव होम्स खोले गए हैं। उनमें सुधार की जरूरत है। कुछ आश्रम टाइप स्कूल खोले गए हैं। सारे प्रदेश में 4-6 स्कूल होंगे। मेरे जिले में एक कौम मुसहर है। उनकी शिक्षा परगना कोल असलहा और पन्द्रहा में लड़कियों और औरतों में प्रतिशत शून्य पाया। बच्चों में भी केवल 3 प्रतिशत था। मैंने कहा कि इनके लिए एक आश्रम टाइप स्कूल परगना कोल असलहा पन्द्रहा खुलना चाहिए। यह ऐसी कौम है जो पत्तलों पर से जूठा खाती है और सारा परिवार एक झोपड़ी में ही रहता है। उसी में उसकी बीबी, बच्चे तथा सुअर, मुर्गे वगैरा सभी रहते हैं। पूरब के जो लोग रहने वाले हैं वे सभी इनके बारे में जानते हैं। आज समाज में सबसे गिरी हुई कौम है और जनजाति है, जिनको जंगली जाति कहा जाता है। पिछले साल प्लान बना था उसमें 14 घरों को डायरेक्टर साहब ने मंजूर करके भेजा

[श्री उदल]

है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसको देखें और काम करें तथा सन् 1975 से प्लान को, लागू करें।

अभी विभाग ने लाखों रुपए की व्यवस्था की। मैं इस सहमत हूं कि थोड़ा-थोड़ा अनुदान भिक्षा के रूप में झोली में डाल दिया जाता है उसको बन्द किया जाय। उनकी बस्तियां बनाई जायें। तथा उनके लिए उद्योग धंधे चलाए जायें। इस तरह से अनुदान के रूप में भिक्षा देने से काम चलने वाला नहीं है। 95,000 रुपया कानपुर में एक बस्ती बनाने के लिए पड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बस्ती नहीं बनी, जांच होनी चाहिए।

एक दिन मैंने देखा कि हरिजन कल्याण विभाग के जो सचिव हैं जिनकी बड़ी चर्चा है, एक दिन वह दौरे पर गए और उन्होंने दस हजार रुपए बांट दिए। राजा को खबर नहीं और महर बन बांट लिए हैं। डायरेक्टर को पता नहीं है और उन्होंने बंटवा दिया कि 5 हजार इसे दे दो और पांच हजार उसे दे दो। ऐसे सचिव को रखने की क्या जरूरत है जिसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा है। इससे सरकार की बदनामी हो रही है और निकम्मापन जाहिर हो रहा है। कि इसे उन्होंने निलम्बित किया था। ऐसे सचिव को रखने से मैं समझता हूं कि इस विभाग का भला नहीं हो सकता है।

मान्यवर, अभी आप बहुत नाराज हो गए हमारे माननीय सदस्य पर, मैं भी उसके बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। यह कर्मशाला है लखनऊ निराकृत महिलाओं की, लाखों रुपये का गबन है, आडिट हुआ सफाया हो गया है। कमिश्नर ने रिपोर्ट दे दी, क्या मैं जान सकता हूं माननीया मोहसिना किदवाई जी से कि आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई। अगर इस तरह से कार्य होता रहा तो इस रुपये का सदुपयोग नहीं होगा और जो आप गरीब लोगों को मदद पहुंचाना चाहती हैं, जो उनकी आर्थिक जिन्दगी सुधारना चाहती हैं वह नहीं सुधर सकती हैं। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीतियों पर विचार करे। मान्यवर, एक शब्द और कहना चाहता हूं, विभाग में 700 जगहें हैं परमानेंसी की, आपके विभाग में 10-10, 15-15 साल से छोटे-बड़े कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनको आप परमानेन्ट करना नहीं चाहती हैं। जो कमीशन से अप्रूव्ड हैं आज वे सारे के सारे बेचारे पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनको परमानेन्ट किया जाय। जो भ्रष्टाचार है विभाग में, मैं चाहता हूं कि उसकी जांच की जाय। जो डायरेक्टर इस विभाग में हैं या होगा मेरी राय यह है कि उसको कम से कम एक बार में 10 साल तक रखने की आवश्यकता है क्योंकि कोई प्लान बनता है और जब उसे लागू करने का मौका आता है तो आप डायरेक्टर को ट्रान्सफर कर देती हैं। इन शब्दों के साथ मै अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। समाज कल्याण मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और साथ ही अपने कुछ सुझाव भी दूंगी। आज की स्थिति में समय को देखते हुए राज्य सरकार ने जो प्रगतिशील कदम उठाए हैं उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। सबसे पहले तो छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया। पहले जो छात्रवृत्ति दी जाती थी वह सिर्फ उनकी जेब में खर्च की होती थी परन्तु इस बार इसको को बढ़ाया गया है, इसमें अपना पूरा खर्च चला सकते हैं साथ में मुझे यह भी कहना है कि जो छोटे बच्चों की प्राइमरी स्कूलों की कक्षा दो से 5 तक छात्रवृत्ति दी जाती थी वह काट दी गई है। मेरा अनुरोध है कि वह छात्रवृत्ति उन्हें मिलनी चाहिए ताकि छोटे बच्चों में इस प्रकार का उत्साह पैदा हो।

इस समय छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देनी अनिवार्य कर दी गई है। उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि हमारे समाज में हरिजन समाज की लड़कियों को पढ़ाने में इतनी तेजी नहीं की जाती थी लेकिन अब जब उनको आर्थिक सहयोग मिलेगा तो अधिक

संख्या में महिलायें शिक्षित बन सकेंगी। अब तीसरे नम्बर की बात यह है कि हमारी राज्य सरकार ने जो निगम की स्थापना की है उससे यह साबित होता है कि उससे सर्वांगीण विकास होगा लेकिन उसमें बड़ी पूंजी देनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने जो तिवारी जी से कहा था कि हरिजनों को ट्रेन्ड करने के लिये नये-नये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायगी जिसमें उनको शिक्षा प्रदान की जायगी। मैं कहती हूं कि यह अच्छा हुआ जो कि सरकार ने कालेजों में प्रवश हेतु 18 प्रतिशत सीटें हरिजनों के लिए सुरक्षित रखी है, उसके लिए यह धन्यवाद की पात्र हैं। जन-जाति के लिए उद्योग प्रसार की जो उन्होंने परिषद् बनायी है वह इसलिए बनायी गयी है कि जो जन-जाति की समस्यायें हैं वह जल्दी हल हो सकें। तो जो समिति है उसमें जन-जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए ताकि वह अपनी समस्याओं को सरकार के सामने पहुंचा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हरिजनों और जन-जाति के लोगों को भूमि आबंटित की गयी है उसका समय दिनांक 31 मार्च, 1975 तक निर्धारित किया गया था। मेरा निवेदन है उस अवधि को और बढ़ाया जाए ताकि यह कार्य पूरा हो जाए। अभी तक तहसीलदार; एस0 डी0 एम0 और लेखपाल अल्प बचत योजना और लेवी के कार्य में लगे हुए थे, उनको इस ओर अधिक समय नहीं मिल पाया कि वे हरिजनों को भूमि-आबंटन का कार्य कर सकें।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि भूमि का आबंटन न होने के कारण एक-एक घर में तीन-तीन परिवार रहते हैं। उसी में ससुर और उनकी बहुयें रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को कितनी कठिनाई होती होगी। ऐसा भी हुआ है कि जहां पर जमीन का वितरण किया गया है वहां पर भी उनको नहीं मिल पायी। जो जमीन बंटी है वह लेखपाल और प्रधान के बस्तों में बंटी पड़ी है। जिन अधिकारियों ने भूमि का आबंटन करने में समय लगाया है या जिन लोगों ने अनियमितायें की हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। हरिजनों के पास इतनी भूमि नहीं है कि वह खेती कर सकें उनके लिए देहातों में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। बाजार में बिकने वाली चीजें जैसे अचार, मुरब्बा आदि चीजों के उद्योग वहां पर स्थापित किए जायं। इससे कमजोर वर्ग के लोगों को काम मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उस पर बोलने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं शासन के लोगों का तथा माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितना जमकर प्रचार होता है, समाचार-पत्रों में और रेडियो से जिसके कारण लोगों में ट्रेस पैदा होता है सब कुछ हरिजनो के लिए यह किया जा रहा है, लेकिन कार्य-रूप में देखा जाए तो जो उपेक्षा उनकी की जा रही है वह किसी से छिपा नहीं है।

मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जहां तक हरिजन बच्चो को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रश्न है यह कहा गया है कि 10वीं कक्षा पास कर लें तो 11वीं कक्षा के लिये वजीफा अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। यह गरीब हैं और भूमिहीन हैं यह अपने बच्चों को बिना सहायता के पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ा ही नहीं पायेंगे। यहीं पर इनका मनोबल गिरता है। उनके पास किताबें नहीं होती है वह ठीक तरह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनके बच्चे सर्विसेज में नहीं आ पाते हैं। अयोग्य करके ठुकरा दिए जाते हैं। अगर आप इनका कल्याण करना चाहते हैं तो पहली से 10वीं कक्षा तक इनको सहायता अनिवार्य रूप से दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि शासन से जी0 ओ0 होने के बावजूद भी कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। उसका पालन होना चाहिए। इस तरह का वाकया आजमगढ़ में हो रहा है। उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है और जो नीचे की प्राइमरी व

[श्री दयाराम भास्कर]

जूनियर पाठशालायें है, उनमें से 3 वर्ष से छात्र वृत्ति के नाम से कुछ भी नहीं मिला है। शासन की ओर से कहा जाता है कि उन्होंने वितरण की व्यवस्था कर दी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में 2-3 सौ विद्यालय हैं, पहले क्लर्क लोग बिल बनाते थे लेकिन यह काम अब हरिजन कल्याण विभाग को सौंप दिया गया है और वे लोग उसे समय से नहीं दे पाए हैं। मेरा निवेदन है कि जब यह कार्य हरिजन कल्याण विभाग को दिया गया तो उनका काम बढ़ गया है उस विभाग में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ती और हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती। छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य यही होता है कि हरिजन बच्चे समय से इस पैसे का सदुपयोग कर सकें लेकिन यह अब भी उन्हें समय से नहीं दिया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा यह व्यवस्था की हुई है कि निश्चित रूप से 2 महीने बाद उन्हें छात्रवृत्ति निर्धारित तिथि पर अवश्य मिल जाती है।

यहां पर हरिजनों के कल्याण के बारे में बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है लेकिन आजमगढ़ जनपद में एक आढ़ेरा सलेमपुर गांव है। उसमें राम नौमी नाम का एक हरिजन था। इसके दरवाजे पर आबादी के लिए दूसरे को जमीन दे दी गई, उस बात पर वहां झगड़ा हुआ और उसमें उसे जान से मार दिया गया। और कुछ पट्टे की बात है कि 5 साल पहले जो हरिजन को भूमि पट्टा पर दिया गया था, अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया और वह कब्जा नहीं कर पाया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरिजनों की किस प्रकार से घोर उपेक्षा की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त करें, समय हो गया है।

श्री दयाराम भास्कर—

मान्यवर, आपकी बात से ऐसा लगा कि मैं 2 मिनट भी नहीं बोल पाया हूं। मुझे निश्चत रूप से कम से कम 10 मिनट का समय और दिया जाय ताकि मैं विचार व सुझाव दे सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री दयाराम भास्कर—

स्थिति ऐसी है कि उनको जमीनों पर भी कब्जा नहीं मिल पाया है और वे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। आजमगढ़ सगड़ी तहसील में हरिजन कोटा पूरा नहीं हो पाया था लेकिन फिर भी 8 हरिजनों की चकबन्दी के लेखपालों की और जिले के कई स्थानों पर बेलदारों और चौकीदारों की और ऐसे ही अन्य हरिजन लोगों की छंटनी कर दी गई है। वे हरिजन आज भी बेकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त करें। मैं बहुत सारे लोगों के विचार इस सदन में रखवाना चाहता हूं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें माननीय सदस्यों द्वारा आ जाएं। अगर आप ही आधा घंटा बोलना चाहते हैं, तो मेरी विवशता है। मैं आपको और समय नहीं दे पाऊंगा। अब आप माफ करें।

श्री दयाराम भास्कर—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वर्ष 1974-75 में विद्युत विभाग में 2-3 आदमियों की पदोन्नति की गई लेकिन हरिजनों को एक भी स्थान नहीं दिया गया लेकिन सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम हरिजन कल्याण कर रहे हैं। करनी व कथनी में भारी अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा जो यह मुहकमा कायम किया गया है इसका उद्देश्य सरकार का यह ह कि कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों को इस विभाग के द्वारा सहायता मिल सके। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाय तो व्यवहार में यह चीज सत्य नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस उद्देश्य से यह विभाग शुरू में स्थापित किया गया था आज उस उद्देश्य को सामने रखकर हमारे अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य करते ही नहीं है? जब सरकार के द्वारा इस विभाग में नौकरी के लिए चुनाव किया जाय तो सबसे पहले यह ध्यान में रखा जाय कि यह कर्मचारी अथवा अधिकारी इस विभाग में जाने के बाद नौकरी के साथ-साथ क्या इस विभाग की सेवा भी कर सकेगा। आज इस विभाग में देखा यह जा रहा है कि भाई-भतीजावाद, बिरादरीबाद तथा छुआछूत की भावना स्वयं इस मुहकमे में चोटी पर पहुंच गयी है जिसका परिणाम आज यह हो रहा है कि डाह के कारण कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों को जो लाभ पहुंचना चाहिए वह उनको नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी प्रदेश के कोनों में ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा जब इस विभाग के बजट में पैसा कम रखा जाता है तब भी इस विभाग के अधिकारी पैसे की कमी होते हुए भी इस गरीब तबके की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और कभी-कभी यह भी होता है कि रुपया खजाने में वापस कर देते हैं। दुःख की बात तो यह होती है कि हमारे यह अधिकारी ऐसे वर्ग के साथ खिलवाड़ करते हैं लेकिन सरकार उनको सजा देने के बजाय उनको तरक्की देती है।

मिसाल के रूप में इलाहाबाद में विमुक्त जातियों के मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया। लेकिन वहां के हरिजन कल्याण अधिकारी ने उस पैसे को खजाने में वापस कर दिया और बहुत ही सरलता के साथ उस अधिकारी की तरक्की भी हो गयी। इसी तरह के इस विभाग में हमारे फैजाबाद जिले में भी कठिनाइयां हो रही हैं, और इससे पहले भी एक-आध बार ऐसी बातें हुई जिनको रोका गया, अधिकारियों ने ध्यान दिया। हमारे जिले में गोड़िया एक जाति है जो पिछड़ी जाति में आती है, लेकिन वह मझवार शब्द का प्रयोग कर के छात्रवृत्ति को हड़प रहे हैं। इसी तरह से देहरादून जिले मे जौनसार भावर में कोल्टा एक जाति है। यों तो उस पूरे क्षेत्र के सारे निवासियों को जिसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बैकवर्ड कास्ट के सभी आते हैं और सभी को जौंनसारी शब्द से सम्बोधित किया जाता है लेकिन यह वर्ग जौनसारी शब्द को अपना आधार बनाकर सारे पैसे का लाभ उठाता है और जो बहुत ही गिरी हुई हालत में कोल्टा जाति है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देती हूं कि उन्होंने अपने भाषण में यह बताया है कि अब जिन विद्यालयों को विभाग चलाता था उन्हें अब शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। यह एक अच्छा काम है। सराहनीय कदम है। वहां बच्चों की बहुत बुरी हालत थी। मास्टरों की भी हालत बड़ी खराब थी। महीनों तक वेतन नहीं मिलता था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

मान्यवर, कांग्रेस सरकार इलेक्शन के समय में हरिजन और गरीबों के नाम पर वोट पाने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करने में सफल तो हो गयी। परन्तु यदि देखा जाय तो ढोल में पोल मिलेगा। हरिजन तथा गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। हमें देखना चाहिए कि सचमुच में हरिजन और गरीब क्या आज तरक्की कर रहा है। जितने भी इस विभाग के अधिकारी हैं या मन्त्री महोदया हैं कभी यह जाकर नहीं देखतीं कि गरीब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवत दयाल]

हरिजन किस तरह से मटमैले कपड़ों में अपनी बसर कर रहा है और सूखी रोटी खा रहा है। ये लोग तो काजू और बड़े-बड़े चमचों के सहारे जीवन बसर करते हैं। इनको यह पता नहीं कि गरीबी क्या चीज होती है।

माननीय मन्त्री जी महिला हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कस्बों में आज लड़कियों के लिए साइन्स की शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है। इस कारण वहां की लड़कियों मेडिकल या इन्जीनियरिंग लाइन में नहीं आ सकतीं। कस्बों में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनको आप हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों को इन्टरमीडिएट स्कूल बनाकर उनमें साइन्स की शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि गरीब और हरिजन लोग भी अपनी बालिकाओं को साइन्स की शिक्षा दे सकें।

गरीब हरिजनों को जो 3 एकड़, 4 एकड़ या 5 एकड़ खेत देने की बात कही जाती है, मुश्किल से 5 फीसदी ऐसे हरिजन मिलेंगे जो खेती कर रहे होंगे, वरना किसी को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है तो किसी को अन्य साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं।

हमारे यहां तालबेहट में एक योगी संस्कृत की पाठशाला चलाते हैं। वे हरिजन बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देते हैं। वहां के अधिकारी उनको 8 रुपए मासिक वेतन देते हैं। वह एक विद्वान योगी है जिसने हजारों रुपये ठुकरा कर हरिजनों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया है उसको आप 8 रुपये केवल वेतन देते हैं। इस ओर सरकार ध्यान दे।

इन हरिजनों में एक कोरी जाति होती है जो बुन्देलखंड, आगरा की तरफ बुनायी का कार्य करती है। इनको भी हरिजन माना जाता है। उनके लिए सूत आदि की व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे अपना धन्धा कर सकें। ऐसा न होने के कारण वे लोग मजदूरी आदि करते हैं और उनका धन्धा चौपट हो रहा है।

जो रिजर्वेशन आप 18 परसेन्ट देते हैं उसका तरीका भी गलत है। आप 118 पर 18 परसेन्ट लगाते हैं। इससे उनका प्रतिशत कम हो जाता है। इसे ठीक किया जाय। उनको पूरा 18 प्रतिशत मिलना चाहिए।

झांसी में छात्रावास बनाने के लिए जमीन ली गयी है, कई साल जमीन लिये हो गये, मगर अभी तक छात्रावास नहीं बना है। इतने बड़े जिले में कोई छात्रावास नहीं है।

इसी तरह से लड़कियों के लिए भी छात्रावास नहीं है, जमीन तो उनके लिए खरीद ली गयी है मगर छात्रावास नहीं बना, आलोचना करने के लिए हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन आलोचना से काम नहीं बनेगा जैसा उपाध्यक्ष जी ने जब कटौती के प्रस्तावक पर मलखान सिंह जी बोल रहे थे तब कहा था कि अगर आप मन्त्री होते तो क्या करते, यह बताइए। अब यह तो एक कल्पना सी करना होगा इस वक्त जैसे कोई स्टूडेंट निबन्ध लिखते समय कल्पना कर ले कि मै मन्त्री होता तो क्या करता ? इसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर मैं मन्त्री होता तो उन गरीबों की कुटियों में जाकर डेरे डालता, उनके दुखदर्द सुनता दस-दस बारह-बारह दिन एक जगह जाकर, रह कर उनकी व्यवस्था करता, उनकी वास्तविक सेवा करता, केवल कागज पर काम न करता बल्कि प्रैक्टिकल काम करता और उनके दुख दर्दों को दूर करता।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विचार हो रहा है वह उन इन्सानों से, उन परिवारों से सम्बन्ध रखता है जो भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण बहुत दिनों से समाज से अलग एक दूसरा अंग माना जाता था। मानव मानव के अन्दर जो अन्तर था उसको दूर करना ही इन्सानियत है। यह विषय इसलिए भी महत्व का है क्योंकि यह सन्तान की उत्पत्ति का विषय भी है। जैसा कि महान विद्वान लेनिन ने लिखा है कि चीजों की उपज से बढ़कर

मनुष्य की उपज की देखभाल करना चाहिए। कारखाने का कोई भी खराब माल एक ही बार नुकसान पहुंचाता है लेकिन सन्तान की खराबी से तो पीढ़िया खराब हो जाती हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर लगभग 9 करोड़ है, उसमें से लगभग 2 करोड़ अनुसूचित जाति, 40 लाख विमुक्त जाति, 2 लाख लगभग जनजाति, तथा पिछड़ी हुई जातियों को मिला करके जो यह वर्ग होता है वह सम्पूर्ण जनसंख्या का करीब 50 प्रतिशत है। और इस 50 प्रतिशत की आबादी वाले लोगों के लिए माननीया मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तावित किया है उसके समर्थन में तो मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या को देखते हुए जो प्रस्तावित बजट है बहुत ही कम है।

मान्यवर, सन् 1951-52 में जब कि जनसंख्या इतनी कम थी उस वक्त 39.20 लाख का बजट इस मद पर था लेकिन 74-75 में बढ़कर के 14.25 करोड़ का प्रस्तावित हुआ था और इस बार मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कटौती करके लगभग 13 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस रेशियो से जनसंख्या बढ़ी उसी रेशियो से इन दलितों, पिछड़े हुओं, शोषितों के समाज के प्रति हमको और बजट का प्राविधान करना चाहिये था। मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस जाति और इस वर्ग के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक धन दिया जावे। मैं सुझाव के रूप मे माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यह सन्तानों की उन्नति का विषय है इसलिये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक अनिवार्य छात्रवृत्ति कर देनी चाहिए।

दूसरा निवेदन है आज शासन की तरफ से प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर ये आदेश जाते हैं कि संरक्षण के आधार पर प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक श्रेणी मे जितने हरिजन कर्मचारी हैं उनकी सूची बनाकर भेजी जाय लेकिन वहां से लमसम हिसाब करके भेज दिया जाता है और जो कर्मचारी भेजते हैं उनके न हस्ताक्षर होते हैं और न उनका नाम होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह आदेश करें कि जो रिपोर्ट आवे उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर और नाम होना चाहिए ताकि शासन की तरफ के जब जांच पड़ताल हो तब किसने यह लमसम और गलत रिपोर्ट भेजी है उसके प्रति कार्यवाही की जा सके। इसलिए मैं निवेदन करता हूं और आपसे यह कहना चहता हूं कि छात्रवृत्ति के साथ-साथ जो आवास की व्यवस्था की गयी है, मेरे पास एक टेलीग्राम आया था और मैं एक हरिजन बस्ती में गया था। वहां चकबन्दी हो चुकी है, लैंड एक्वीजीशन होने पर एक हरिजन को एक चक मिला और उसी हरिजन का चक हरिजनो में ही बंटवाया जा रहा था। उस वक्त मैंने नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल को बुलाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। इस तरह से काफी अनियमितताय हैं जिनको दूर करना आपका काम है। मैं माननीया मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जागरूकता के साथ इसको देखें और तेज बुद्धि के साथ आप सोचें कि जो कर्मचारी समाज के इस तरह से पिछड़े वर्ग के साथ गलत काम करते हैं उनसे कहे कि वे अधिक जिम्मेदारी के साथ विभाग का काम करें। उनको मालूम है, उनके पास विभाग के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग की रिपोर्ट है कि कौन कहां किस तरह का कार्य करता है और इस तरह से आप उनके कार्य कलापों का निराकरण करने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीया मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित हरिजन समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीया मन्त्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द राम]

को यह बतलाना चाहता हूं कि आज देश को आजाद हुए 27 साल हो गए। इस 27 साल की आजादी में हम सबसे बड़े आभारी हैं तो बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के जिन्होंने संविधान में 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन रखा था। उस रिजर्वेशन को काट कर आज हरिजनों का सुधार हो रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से थोड़ीसी बात कहना चाहता हूं। आज सारे उत्तर प्रदेश में इस समाजवादी सरकार ने एक ढोंग कर रखा है कि यहां से अस्पृश्यता निवारण कर दिया है, छुआछूत, को हटा दिया है। मैं और क्या कहूं, इस सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी हरिजन होस्टल खोले गए हैं, जितने छात्रावास हैं सब में सवर्ण हिन्दू के लड़के हैं, उनमें एक भी हरिजन लड़के को दाखिला नहीं दिया जाता। यह है आपकी समाजवादी सरकार।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जितने भी अनुदान गृह-निवास के लिये दिये हैं, सबसे पहला नं० मुजफ्फरनगर के एक गांव ज्ञानमाजरा का है जहां हरिजनों के रहने के लिये 22 मकान बनाये गये हैं। एक-एक मकान पर दो-दो हजार रुपये खर्च हुए हैं लेकिन अव्वल तो वहां कोई भी हरिजन रहने को तैयार नहीं है। सीमेंट, ईंट साफ खड़ा दिखलायी देती है। अगर वहां जाकर देखा जाय तो बाल्मीकि लोगों के सुअरों के रहने का जो घर होता है, उनसे भी बदतर वे मकान हैं। यह है एक उदाहरण हरिजन बस्तियों का।

तीसरी बात यह कि जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं, उनकी छात्रवृत्ति आपने दुगुनी कर दी। यह बहुत अच्छा किया लेकिन साथ-साथ वे लोग जो 500 से 750 रुपये की आमदनी वाले हैं उनके बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी। नतीजा यह होगा कि जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब हरिजन बच्चे हैं जिनको सही माने में वह छात्रवृत्ति जानी चाहिये, नहीं जायेगी और जो बड़े पेट वाले हैं वे ही इसे ले लेंगे। जिस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, शादी में जब डोला चलता है तो उसके ऊपर पैसे की मुट्ठ मारी जाती है जिसको चुगने वाले चुग लेते हैं। बहुत से जो चालाक किस्म के होते हैं वे दो डंडे बांध कर ऊपर चादर लगा लेते हैं और इस तरह से वह मुट्ठ मारा हुआ पैसा नीचे नहीं आने पाता, चादर वाले ऊपर ही ऊपर उसे ले लेते हैं। इसी तरह से जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, जो दलाली करते हैं वे हरिजन बच्चों के नाम पर गरीब हरिजनों का खून चूसते हैं और इस तरह से हरिजन विभाग को लूटते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री जी ने हरिजन बजट में एक सहकारी समिति की बात बतलायी जो कि गृह-निर्माण और दूसरे छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये बनायी गयी है। आपने देखा है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गृह-उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे के अन्दर भी बड़ा घपला है। 5--5 हजार, 10--10 हजार, 15--15 हजार और 50--50 हजार रुपये तक इसके लिए लिया गया है लेकिन मेरे जिले में एक काम भी नहीं चल रहा है, सब ठप पड़ा है।

इसलिये मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कुटीर उद्योग जो हैं उसमें हरिजन समितियां जो बनायी गयी हैं उनको एक पैसा न दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। एक बात मैं और बतला देना चाहता हूं। अभी कल भी यह उठा था, जूनियर इन्जीनियरों का। जहां पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति की बात आती है, नियुक्ति की बात आती है कह दिया जाता है कि साहब यह काबिल नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने 18 परसेंट रिजर्व कर दिया है तो आप रखिये। जहां दूसरे की योग्यता एम० ए० है तो हरिजन अगर बी० ए० है तो उसको रखिये, अगर कोई बी० ए० है तो हरिजन के लिये इंटरमीडियेट करिये। अगर कोई इंटर है तो उस जगह पर हरिजन अगर हाई स्कूल है तो उसको लीजिये। अगर हाई स्कूल कोई है तो हरिजन को आठवीं पास लीजिये। तो देखें कैसे आपका रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री नन्द राम—

मान्यवर, एक मिनट और कहना चाहता हूं। हमारे जो मेहतर भाई हैं, बाल्मीक हैं, आप अश्पृयता निवारण की बात करते हैं। कहा है कि उनके मैला ढोने का तरीका हटा दिया है। मैं तो कहता हूं कि कहीं नहीं हटा है, सर पर आज भी ढोकर वह बेचारे ले जाते हैं। मैं मंत्री महोदया, आपको बतला देना चाहता हूं कि इसकी तरफ आप ध्यान दें इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार होना चाहिये। मान्यवर, इसके साथ में भूमि की बात है तो उस सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं कि उनको भूमि मिल चुकी। जहां कहीं पर उनको मिली भी है तो उस जगह पर रिश्वत लेकर दूसरों के नाम वह एलाट कर दी गयी है इसका नतीजा यह हुआ है कि न तो हरिजन को मिली और न उसको ही मिली। दोनों कचहरी में दौड़ रहे हैं। आपने एक बात और कही कि हमने उनको वकील मुफ्त दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नन्द राम—

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं। हरिजन बजट यह जो है इसके बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि समय आपने थोड़ा दिया है। उधर के बोलने वालों ने 10–15 मिनट बोला है लेकिन मुझे और समय नहीं दिया गया है। यह बजट हरिजनों के हित में नहीं है और मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(एक सदस्य के द्वारा परचा बांटने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य परचा न बांटे यह अवैधानिक कार्य है।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन अनुदान का समर्थन करने के लिये समय दिया। मान्यवर, इस हरिजन समाज की चर्चा चल रही है तो निश्चित रूप से हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा। मान्यवर, जो उनके साथ इतने समय से होता रहा है आज यह उसी का परिणाम है कि इस हरिजन समाज की यह हालत है। मैं इशारा करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस समय संपत्ति बंट रही होगी उस समय राजे और रजवाड़े रहे होंगे। उनका जो संविधान और कांस्टीट्यूशन उस समय रहा होगा यह उसी का नतीजा है जिसकी वजह से इस हरिजन समाज की यह हालत हुयी। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जो पद्धति थी उसके कारण उस समय उसको भूमि देना तो दूर है, उस समय दो वक्त रोटी-पानी भी उसके लिये बड़ी बात थी। अगर वह दो वक्त रोटी खा लेता होगा तो यह समझा जाता होगा कि अब यह नरक नहीं जायेगा। मैं इशारा करना चाहता हूं चाहे कोई इस पर बुरा माने या न मानें।

मान्यवर, हमारे यहां स्पष्ट लिखा है कि शुद्र को शक्ति रखते हुये भी धन कमाना नहीं चाहिये "शक्तेनापि शूद्रेण न कार्यो हि धन संचयः" चाकरी करना उसका फर्ज है। अगर वह पढ़े या उपदेश करे तो उसके मुंह में एक कील गाड़ देनी चाहिये और अगर वह शास्त्र सुने तो उसके कान में पिघला शीशा और लाख भर दी जाय। यह उस समय था।

मार्जर—नकुलौ हत्या चासमंडीवम वचे
इलोधो गंधोश्च कृत्या हृतं चरेत।

[श्री गौरीशंकर]

उसके मार डालने का पाप केवल इतनी ही है जैसे कोई कौवा या चिड़िया को मार दे। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले यह पद्धति थी। आज साफ हो गया है कि यह संविधान पहले था।

अगर उसको काम करते हुये सोने का टुकड़ा मिले तो वह टुकड़ा वह पंडित जी के चरणों में समर्पित करे और पंडित जी कहते थे क्यों रे तूने यह सोना छुआ तो नहीं। तो वह कहता था नहीं पंडित जी मैंने यह टुकड़ा नहीं छुआ है। तो पंडित जी कहते थे तूने जरूर छुआ है तुझको 10 ब्राह्मण खिलाने होंगे। इस तरह की पुरानी पद्धतियां थीं, मैं आलोचना नहीं करता हूं। मैंने इशारा किया है कि क्या हालत थी।

उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान।

तो उद्यम और खेती खुद पूरी ले लेने की व्यवस्था की और उसके हाथ में केवल मेहनत दी। आप पंडित हो गये अपने माथे पर तिलक लगा कर भीख मांगने निकल पड़े और कहा यह हमारा अधिकार है। और तेरा अधिकार तो केवल सेवा करना है। उसको आपने टुकड़े डाले। कोई परवाह नहीं कि वह भूखा मर गया। निकृष्ट चाकरी भीख निदान। उसको चाकरी करने को बाध्य किया।

उसको चाकरी करनी चाहिये, सेवा करनी चाहिये। आज के बीसवीं शताब्दी के इतिहास में भी उनको कुछ न कुछ क्यों नहीं दिया जाता है। श्री माता प्रसाद जी हरिजन समिति के अध्यक्ष हैं, मैं सरकार से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बड़े शर्म की बात है कि समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि समिति को खेद है कि किसी भी श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है। प्रथम श्रेणी में शून्य प्रतिशत है द्वितीय में शून्य प्रतिशत है। यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी में निगम भी यदि सफाई मजदूरों को जोड़ लिया जाय तो शायद 18 प्रतिशत मिल पाये। इसलिये जो आरक्षण दिया गया वह भी 18 प्रतिशत पूरा नहीं है। इससे साफ है कि आपके दिल में गंदगी है, लेकिन रेलवे में और बस में जायं तो चर्चा होती है कि सब कुछ लुट गया, समझते हैं कि सरकार सब कुछ इन वर्गों को लुटाये दे रही है।

मान्यवर, 1974–75 के बजट में हरिजन कल्याण के लिये 14.75 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जो कि प्रदेश के कुल बजट का 218 करोड़ के प्राविधान का 0.7 प्रतिशत आता है। वर्ष 1975–76 में प्रदेश का बजट 409 करोड़ प्लान का है जिसमें हरिजन कल्याण के लिये लगभग 13 करोड़ रुपया रखा गया है जो पूरे बजट का एक प्रतिशत से भी कम है। इससे इनकी मंशा साफ है। दूसरी बात कहा था कि मुर्गी पालन, बकरी पालन के लिये सूअर पालन के लिये रुपये मत दो इससे हमारे दिल में हीन भावना घुसती है। उसके बाद हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कर दी गई इसके लिये हम अभारी हैं लेकिन कुछ लाख रुपयों से तो कुछ लोगों को उसमें एक टेलीफोन, बंगला और एक गाड़ी दे देंगे। लेकिन हरिजन समाज के कल्याण की बात करना केवल बकवास होगी। 25 लाख रुपया इस विकास निगम हरिजनों के लिये रखा जबकि छोटे–छोटे प्रदेशों में जैसे हरियाना, पंजाब में हरिजन विकास निगमों में 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये रखे हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से अर्ज की थी कि छात्रवृत्ति में वृद्धि हुई। जिसके कारण इसमें इस समाज को 2 करोड़ 25 लाख रुपये देने थे। भारत सरकार ने भी छात्र वृत्ति की धनराशि को बढ़ा दिया और 2 करोड़ रुपये के लगभग हमारी सरकार को दे दिया। यदि आपकी मंशा साफ होती तो जैसे हर साल 2 करोड़ रुपये देते थे वह भी देते। लेकिन नहीं दिया।

मान्यवर, चुनाव के पहले अनुसूचित जाति/जनजाति के लये 45 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया था कि जब तक उनका 18 प्रतिश का आररक्षण पूरा न हो जाय लेकिन जब तक यह आदेश लागू रहे तबतक किसी विभाग ने कोई नियुक्तियां नहीं की वहीं

आदेशों का पालन न करना पड़े। लेकिन मुख्य मंत्री जी इस समाज को प्यार करते हैं, मुझे दुख होता है कि उनके ऊपर कैसी ताकत पड़ी है कि वह उसको पूरा नहीं होने देते। बाद में कहा गया कि 45 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का आरक्षण तबतक के लिये रखा गया जबतक कि कुल 9 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो जाता है। इसलिये उद्देश्य आपका 18 से 9 प्रतिशत पर आ गया। लेकिन मेरा निवेदन है कि वह भी पूरा होना चाहिये।

मान्यवर, प्राइवेट संस्थाओं में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय कम है इसलिये कहना नहीं चाहता हूं। भूमि के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं। इनमें सरकार की नीयत साफ है। लेकिन यहां चाहे जो कहें किन्तु यहां से बाहर जनसभा में भाषण में लोग कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। हम भी इस भीख को बंन्द करने की प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके पहले हजारों एकड़ के फार्मों को हम गरीबों में बांट दो। ऊचीं, ऊचीं मंजिले चाहे रहें या न रहें लेकिन कम से कम हमको स्वाभिमान से रहने के लिये और अपना सर छिपाने के लिये एक झोपड़ी तो हो। और अपने आप को हम इज्जत से रोटी दे सकें। मांस का टुकड़ा रिजर्वेशन के जरिये नहीं लेना है, निश्चित रुप से लड़ झगड़ कर अपने अधिकारों को लेना है। संविधान ने जो दिया है उसे लेना है इस तरह से:—

"गर यह कयामत का शमां लिये बैठे हैं
हम भी मर मिटने के अरमां लिये बैठे हैं
दर्दे दिल शोजे जिगर चाके गरीबां की कसम
अपनी हर आह में तूफां लिये बैठे हैं
अगर तड़प उठे तो बदल जाय जमाने का निजाम
गो लाख हाल हम परेशां लिये बैठे हैं
काफिले वालो सम्भल कर न भटक जाना कहीं
कितने हर गाम पर शैतान लिये बैठे हैं।"

अन्त में मैं दबी जबान से अनुदान का समर्थन करता हूं यह कहते हुए:

"न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर
जब किसी ना मेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है
हमारे सामनेजिसने बहारे अन्जुमन लूटी
उसी को अब फरोगे अन्जुमन कहना ही पड़ता है
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लाले गिरा कहना ही पड़ता है।"

*बाबा राम नाथ—

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मकान बनवाने के लिये जो अनुदान की बात कही जाती है ये मकान क्या आकाश में बनेंगे जब हरिजनों के पास भूमि ही नहीं होगी? सरकार ने 15 अगस्त, 72 की वायदा किया था कि गृह विहीन हरिजनों को जमीन दी जायगी और इसलिये 14 लाख 80 हजार दरखास्तें भी दी गयीं और 30 सितम्बर, 73 तक 8 लाख 52 हजार को ही जमीन दी गयीं। इस तरह से 6 लाख से ऊपर ऐसे हरिजन हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो यह रुपया कहां जाता है? इसका मतलब यह है कि बीच की जो एजेंसी है वह इस रुपये को खा जाती है। अगर ईमानदारी से शासक दल यह चाहता है कि हरिजनों को कुछ मिले तो पहले वह यह देखे कि कम से कम रकबा 15 बाई 30 फुट का हो उस जमीन का जिस पर वह छप्पर बनवा सके, उद्योग धंधा लगा सके और यह सब तभी हो सकता है जब उसे छोटी मोटी जमीन मिल सके। आर्टिकिल 46 में इस सम्बन्ध में साफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा राम नाथ]

लिखा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार यह देखे कि जो समाज का वीकर सेक्शन है; शैडयूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबस उनके आर्थिक हितों की रक्षा होनी चाहिये। जहां तक आर्थिक हितों का सवाल है आप देखें 51 के आंकड़े जिनके मुताबिक उस समय भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 लाख 32 हजार थी और आज वह बढ़ कर 71 में 54, 73, 829 हो गयी है यानी ढाई गुनी बढ़ गयी है। इसका मतलब यह है कि जहां तक भूमि वितरण का सवाल है हरिजनों को इस मामले में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है और इस हालत को देखते हुए यही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 100 साल में हरिजनों को बजाय जमीन देने के उनसे जमीन छीन ली जायगी।

मेरा दूसरा सुझाव वह है कि जो अनुदान दिया गया है वह व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। कुछ मंत्री जी से सम्बन्धित हैं और कुछ सचिव महोदय से। मेरा निवेदन है कि छात्रावासों के लिये जो पैसा दिया जाता है वह इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाया करे और वही सीधे हरिजन छात्रों को सुविधा दिया करें . . . (व्यवधान) . . . एक और मेरा सुझाव है। आन्ध्र प्रदेश में एक बैंक खोला गया है जो हरिजन लोगों को कम सूद पर रुपया देता है। इस प्रदेश में हरिजन सहकारी समिति बनाई जाय जो हरिजनों को कम सूद पर रुपया दिया करें। सरकार ने उनके कर्ज खत्म करने के लिये कानून बना दिया लेकिन ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं की। कम ब्याज पर उनको ऋण देने की व्यवस्था की जाय। अगर वास्तव में सरकार चाहती है कि हरिजनों का हित हो तो शिक्षा के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में कुछ सक्रिय मजबूत कदम उठायें। जिससे व्यावहारिक तरीके से हरिजनों का लाभ हो। लेकिन आज जो सुविधायें उन्हें दी जा रही हैं वे सिर्फ वोट कैचिंग डिवाइस हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ने जो बजट पेश किया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सरकार की तरफ से जो इस वर्ष दसवीं कक्षा के ऊपर छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की है, वह सराहनीय है और इसके लिये हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि दसवीं कक्षा के नीचे जिन लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है, मैं समझता हूं कि अन्य मदों में कटौती करके, उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती तो उनका बहुत कल्याण होता। डिग्री कालेज या इन्टरमीडिएट कालेज के जिन हरिजन छात्रों को शहर में रहने के लिये मकान नहीं मिलता उनके लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि वे इतना किराया नहीं दे सकता हैं। जो छात्रावास हैं भी उनमें हरिजन छात्र कम से कम रह पाते हैं। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि हर जिले में हरिजन छात्रावास कायम किया जाय और सरकार उन्हें स्वयं बनाये। जो छात्रावास बने हैं उनमें सवर्ण जाति के लड़के भी रहते हैं और मजबूर हो कर हरिजन छात्रों को वहां से किन्हीं कारणवश भाग जाना पड़ता है। यदि यह किया जाय कि हरिजन छात्रों को ही सिर्फ उसमें रखा जाय तो उससे भेदभाव भी बढ़ सकता है लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि सरकार जिस भेदभाव को मिटाना चाहती है वह भेदभाव आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है। तो हरिजनों की पढ़ाई–लिखाई में जितना भी पैसा व्यय किया जाय उतना ही अच्छा है।

इसके अलावा गांवों में हरिजनों के लिये मकान तथा कुओं आदि की जो व्यवस्था सरकार इकी है, वह बहुत कम है। गांवों में उनको पीने के पानी की बड़ी कठिनाई होती है और इस सम्बन्ध में उनकी समस्या बरकरार है। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जो इन्तजाम किया गया है ब्लाकों द्वारा कुंओं का व्यवस्था की जाय। कुछ बनाये भी गये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें काफी रुपया खर्च भी किया गया है। लेकिन उन कुंओं म पानी सूख जाता है और फिर उनको कठिनाई हो जाती है। जहां पर उनके लिये पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां सरकार को कुं खुदवाने चाहिये। कई हरिजन बस्तियों में कुएं नहीं हैं। उसकी व्यवस्था सरकार करे उन कुंओं को इतना खोदा जाय ताकि उनका पानी सूखने न पाये और पानी हर समय मिले।

जहां तक जमीन का सवाल है, हरिजनों के रहने के लिये सरकार जमीन देती है। तमाम अखबारों में इसका प्रचार किया जाता है। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि सारा पैसा हरिजनों को ही दिया जाता है। यह जमीन का मसला राजस्व विभाग से सम्बन्धित है लेकिन जो भी जमीन हरिजनों को दी गई है उसमें अभी तक उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। यदि वे कुछ इसके लिये करते भी हैं तो उनको मारा-पीटा जाता है। तो इस तरह उसकी सही जांच होनी चाहिये। जो अधिकारी गलत पाये जायं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हरिजन कल्याण विभाग के जरिये आज 27 साल की आजादी के बाद भी हरिजन की शक्षिक, सामाजिक या आर्थिक किसी भी रूप में गैर-बराबरी दूर नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि सरकार जो कुछ देती भी है इस विभाग के माध्यम से, उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हो पाता। यह महालेखाकार की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई हैं उसमें दिया हुआ है जो यह छात्रावासों की बात मंत्री जी ने कही कि अगले साल इतने खोले जायंगे लेकिन सन्, 1966 में 8 लाख रुपये हरिजन विभाग ने हरिजन लड़कियों के लिये 554 आवास बनाने के लिये स्वीकृति दी। तो उसमें से सिर्फ 17 कमरे 1974 तक बन पाये हैं जिसमे से सिर्फ दो कमरों में लड़कियां रह रही हैं। तो यह मेरी रिपोर्ट नहीं है यह महालेखाकार की रिपोर्ट है। इसी तरह से और जो आपने पैसा दिया उसका भी उपयोग नहीं हो पाया है जैसा यहां पर गोविन्द बल्लभ पंत पोलिटैक्निक है उसम क्वार्टर बने हैं उसम अभी भी 17, 18 क्वार्टर खाली पड़े हैं इसलिये कि उसके आसपास परिवहन की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर लोग रहने के लिये तैयार नहीं है जिस कारण से 18 क्वाटंर खाली पड़े हैं।

इसी तरह से भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिये फैजाबाद में आपने भिक्षागृह बनाया है उसके लिये आप 18 सौ रुपये माहवार देते हैं। उसमें दो सौ भिक्षुकों को रहने के लिये योजना है लेकिन अभी तक महालेखाकार की रिपोर्ट है कि उसमें केवल 150 से ज्यादा कभी नहीं रहे हैं और वह भी 15 दिन से ज्यादा नहीं रहे। आपका जो लक्ष्य था कि उसमें उनको प्रशिक्षण देंगे और प्राइमरी शिक्षा देंगे तो वह भी पूरा नहीं हुआ वह व्यवस्था आज तक नहीं की गई है और न ही कोई व्यासायिक शिक्षा वहां पर दी गई। तो इस तरह से देखा जाय तो जो पैसा सरकार एलाट करती है उसका उपयोग बिलकुल सही नहीं हो पाता है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीति को तबदील करें। जब तक हरिजन वर्ग, पिछड़ा वर्ग शिक्षित नहीं होगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। 27 साल का आप नतीजा देख सकती हैं जब तक यह शिक्षित नहीं होगा आपको सुधार नजर नहीं आयेगा। यह आपकी जो इस समय नीति है, यह गलत है। डाक्टर लोहिया ने हरिजनों, पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के लिये नौकरी में 60 फीसदी नौकरी सुरक्षित करने की बात कही थी। डाक्टर लोहिया सबसे ज्यादा समाजवादी थे। आप भी अपने को समाजवादी कहते हो तो क्यों नहीं डाक्टर लोहिया की नीति को अपनाते हो? आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। डाक्टर लोहिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

के सहयोगी आज आप के दल में भी हैं। हरिजनों को तरक्की आज कैसे होगी, पिछड़े वर्ग को तरक्की कैसे होगी ? उसके लिये एक उपाय है कि उनकी शिक्षा की तरक्की हो तभी उनकी आर्थिक और समाजिक तरक्की होगी । माननीय मंत्री बाराबंकी से आती हैं उनके सामने मैं एक नमूना देना चाहता हूं बाराबंकी में कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं, शिक्षण सामग्री नहीं है या अध्यापकों के बैठने के लिये सामान नहीं है ? इसके बारे में एक प्रश्न मंत्रालय को किया था तो उसका जबाब मिला कि 620 भवन प्राइमरी स्कूलों के नहीं है, 109 स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों के बैठने का समान नहीं है, 1097 स्कूल ऐसे हैं जहां पर विद्यार्थियों के बैठने का सामान नहीं है तो फिर कैसे उनकी तरक्की होगी ? आज हर एक गांव सभा मे स्कूल भी नहीं है । तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते है कि किस तरह की तरक्की हुई है ।

स्कालरशिप्स के बारे में जो इस विभाग द्वारा दिये जाते हैं उनके बारे मे कहना चाहता हूं पिछड़े वर्ग के लिये छात्रावृत्ति दी जाती हैं उसमें शिकायत है खास कर बाराबंकी में कि वह देहात के लोगों को नहीं मिलती है जो शहर के छात्र हैं उनको ही मिलती है । मेरे पास पूरी लिस्ट है उसमें कोटवाधाम, दरियाबाद, रामनगर बदोसराय वाले कोई भी छात्र को नहीं मिला । तो यह शहर के स्कूलों वालों को मिल जाता है । मैं मंत्री जी से तथा सरकार से निवेदन करूंगा कि आप पिछड़े वर्ग को, हरिजनों को और मुसमलानों को आरक्षण दीजिये तभी उनकी उन्नति हो सकती है तभी उनको ज्ञान हो सकता है। अभी तक आपके विभाग द्वारा सुधार नहीं हो सका है । इन शब्दों के साथ मैं जो श्री मलखान सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान आज सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और हमारे भाई मलिखान सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका विरोध करता हूं । अनुदान का समर्थन तो इस आधार पर करता हूं, ताकि जो बजट मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें कुछ ऐसी नई मदें बढ़ा दी हैं, विशेषकर शिक्षा पर, शिक्षा पर ज्यादा अनुदान खर्च हो रहा है। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि शिक्षा का स्तर बिना उठाए आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। इसलिये इस पर ध्यान देकर मंत्री जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। पहले भी मैंने कहा है यहां और बाहर भी कि इस समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये शैक्षिक स्थिति को जरूर ऊपर उठाना चाहिये। 5 महानगरों तथा बरेली और मेरठ में छात्रावास बनाए जा रहे हैं व लड़कियों के रहने के लिये जो भी प्राविधान किया गया है, वह भी सब एक अच्छी बात है। एक नई बात इसमें यह शामिल की गई है कि अब तक जो गरीब हरिजनों पर अत्याचार होते थे, उनको कानूनी सलाह देने के लिये भी प्राविधान किया गया है। इसके अलावा हरिजन वर्ग के लोग प्रशासनिक पदों पर बहुत कम है। पुलिस भर्ती में उनके नाण्य स्थान थे। अब हमारी सरकार ने इस पर ध्यान देकर कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती में इनको प्राथमिकता दी है और वह विशेष भर्ती करने भी जा रहे हैं। इसलिये सरकार बधाई की पात्र है। जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है वह कुछ मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा 27 सालों से जो सरकार अनुदान देती रही है बावजूद उसके अस्पृश्यता, भिक्षावृत्ति, अनैतिकता, आदि बढ़ी है। मैं नहीं जानता कि वह किस दुनियां में रहते हैं। यह वह मुल्क है जहां पहले इंसान-इंसान की परछाईं से घृणा करता था और आज जब वह एक जगह उठ-बैठ सकें और खा-पी सकें, तो फर्क कितना कम हुआ यह सोचने-समझने की बात है। 27 साल में जितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे मुल्क में पिछड़ापन था प्रत्येक वर्ग का, उनमें सबमें तरक्की हुई है और सुधार हुआ है और उस सुधार के लिये बराबर कांग्रेस सरकार द्वारा प्रयास किया गया है।

अब हरिजनों की सुधार की कुछ और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये यह सरकार शिक्षा पर तो व्यय करती ही है, किन्तु उसके अलावा कुटीर उद्योगों के लिये भी अनुदान देती है। इसमें मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिन कामों को समाज घृणित समझता है, उन्हीं कामों के लिये सरकार द्वारा हमें अनुदान दिया जाता है, अर्थात् उनसे वही काम कराये जा रहे हैं जैसे सुअर पालन, मुर्गी पालन या बकरी पालन आदि। तो मैं चाहता हूं कि ये भैंस पालन के लिये दिए जायं, होजरी के लिये दिए जायं, कपड़े की दूकान खोलने के लिये दिए जायं, शक्कर कोटे की दूकान के लिये दिए जायं। मैं बराबर इन बातों को उठाता आ रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर आज तक विचार नहीं किया गया है। हमें माननीय मंत्री जी से आशा है कि वह इस पर विचार करेंगी और जिन कामों से समाज घृणा करता है, वे कार्य उनको सुपुर्द नहीं किए जाएंगें।

एक निवेदन और है, कुछ जमीन वितरण की बात आई। उसके बारे में मंत्री जी ने एक पटेल आयोग बना दिया है, लेकिन निवेदन यह करूंगा इस समाज के लोगों को जमीन नहीं दो जा सकती है। आज बड़े-बड़े लटठ् वाले, बड़े-बड़े भूस्वामियों की जमीनों पर वे कैसे कब्जा कर सकते हैं? उन्हीं के यहां वह काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वही जमीन उनके कब्जे से आबंटित की जाती है। लट्ठ ले कर आते हैं। उनका कागज में कब्जा हो जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से उनका कब्जा नहीं होता। इस पर थोड़ा सा विचार करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि जमीनें इस तरह से नहीं बंट सकती हैं। नया तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। सहकारिता का आन्दोलन आपने चलाया। उसको आपको सफल करना चाहिये। आप चाहते हैं कि सहकारिता के आधार पर समाज के लोग मिल कर काम करें। वह नहीं हो सकता है तो वह गांव समाज में उसका प्रयोग होना चाहिये। व्यक्तियों में जमीन वितरित करने के बजाय सहकारिता के आधार पर चलते, उनकी व्यवस्था करते, उनको नये-नये कृषि उपकरण, खाद और बीज देते और काम करने में हरिजनों को लगाते तो अधिक उत्पादन होता और जरिया माश के साधन बनते।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री मन्नालाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदया अपना भाषण कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हरिजनों के ऊपर हलुआ, पूरी, मिठाई बरस रही है। लेकिन बाद में समझ में आया कि यह केवल मृग तृष्णा है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह एक बात की हमारी जांच करा लें। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि बाकई में हरिजनों का उत्थान चाहती हैं। मैंने 25 जुलाई को हरिजन कल्याण विभाग के ऊपर बोलते हुए मुख्य मंत्री जी से मांग की थी कि हरिजन विभाग में भ्रष्टाचार है उसके सम्बन्ध में आप जांच कराने की कृपा करें। भ्रष्टाचार यह था कि 1973–74 में हरिजनों को पुलिस में भरती होने के लिये दो लाख रुपया रखा गया था। लेकिन उसमें से केवल 5 हजार 5 सौ खर्च किया गया। इसी संदर्भ में मैंने यह भी मांग की कि इलाहाबाद जिले में 75 हजार रुपया विमुक्त जातियों के मकानों के लिये स्वीकृत हुआ था। वहां के जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने उसमें से एक भी पैसा नहीं लगाया। सब का सब वापस हुआ। इसी तरह से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजनों के लिये डेढ लाख रुपये की छात्रवृत्ति की योजना थी। उसमें सब का सब रुपया वापस हुआ। हरिजनों का कितना नुकसान हुआ? आज पूरे आठ नौ

[श्री मन्ना लाल]

महीने हो गये। अब तक जांच नहीं हुई। मैंने माननीय मंत्री जी को 21 अगस्त को लिख कर दिया कि इसकी जांच करके सदन में रखी जाय जिसमें करीब 14–15 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। लेकिन उसकी जांच सदन के पटल पर नहीं आयी। मैंने प्रश्न भी किया; उसका भी जवाब नहीं आया। कारण यह कि इस निदेशालय में कुछ भ्रष्ट और सबल कर्मचारी हैं जिनका एक गुट है। वह कुछ करना नहीं चाहते केवल अपना ही फायदा चाहते हैं। अभी जिस वक्त माननीय मलखान सिंह कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे उस वक्त भी रामायण राय और श्री काशीनाथ मिश्र इतनें शोरगुल में वैधानिक प्रश्न उठाया। वास्तव में बात यह थी कि जिन कुमारी पंत के सम्बन्ध में बात उठायी उन पर एक लाख से अधिक का गबन है। वहां के निदेशक ने आडिट का आर्डर किया। उन्होंने आडिट होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मंत्रियों की कृपा है आडिट किस चिड़ियां का नाम हैं क्योंकि उन मंत्रियों की उन के ऊपर महान कृपा है। इस तरह के जितने भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं होता। जब हरिजन कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद और बरेली ने वजीफे का एक पैसा भी खर्च नहीं किया तो जिलाधिकारी ने लिखा था कि इनको सस्पेंड करना चाहिये। लेकिन कांग्रेसी साथियों की सहायता से सस्पेंड होने के बजाय उनको पदोन्नति मिली।

जो बार-बार हरिजनों के लिये कहा जाता है कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। मेरी समझ में दो जातियां हैं अमीर और गरीब। लेकिन कांग्रेसियों ने तीसरी जाति पैदा कर दी है हरिजन [* * *] हमको आगे चल कर न जाने किस गड्ढे में रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इन शब्दों को भाषण से निकाल देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे देख लिया जायेगा। अगर गलत है तो निकाल दिया जायेगा।

श्री मन्ना लाल—

अपना अनुदान ले लीजिये, वजीफे ले लीजिये लेकिन हमें केवल 10/10 एकड़ जमीन दे दीजिये। हमारे लड़के लड़कियां काम करेंगे, हमारी स्त्री काम करेगी और इतना पैदा कर लेंगे कि वजीफे के लिये भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमें मकान बनाने के लिये हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगें। सुरक्षित स्थानों के लिये बार-बार कहा जा रहा है। अभी लखनऊ मेडिकल कालेज में जो चुनाव हुआ उसमें एक ऊंची जाति का और एक मुस्लिम लड़का हरिजनों की सीट से चुना गया। हरिजनों का कोटा पूरा करायें।

(व्यवधान)

श्री हरिराम (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन अनुदान पर बोलने का मौका दिया। इन 27 वर्षों में हरिजनों को काफी तरक्की हुई है। सहारनपुर जिले में भूमिहीनों को काफी जमीन बांटी गई है। 1325 गांव हैं जिनमें मकानों के लिये 775 हरिजनों को जमीन मिली है। वजीफा भी दुगना कर दिया गया है।

हरिजन कल्याण समिति जो हैं उसके संबंध में मैं सुझाव पेश करना चाहता हूं। सहारनपुर जिले में जो हरिजन अधिकारी है उसको मैंने एक लिस्ट देनी चाही। लेकिन नान हरिजन लोगों ने मीटिंग करके ऐसे लोगों को वजीफे दिये गये जिनको नहीं मिलने

नोटः—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चाहिए थे। इस हरिजन कल्याण समिति में हरिजन एम0एल0ए0 ही होने चाहिए। हरिजन अधिकारी को लिस्ट दी जाए तो वह उसको एप्रूव नहीं करते हैं और जिनसे पैसा लेते हैं उनको ही स्वीकृत एप्रूव करते हैं सरकार तो बहुत कुछ दे रही है लेकिन हमारे साथी उसको सही तरीके से नहीं बांटने दे रहे हैं। मेरे सर्किल में एक छात्रावास रामपुर में है। उसकी दशा बहुत खराब है। जो हरिजन निगम बना है उसमें हरिजनों को नुकसान होगा। यह नहीं बनना चाहिए था। सहारनपुर जिले में काफी हरिजन हैं और जो बरवादी को हमारे साथी कहते हैं, उनको तो मैं नहीं जानता। सरकार का तो ऐसा काम है जैसे मस्जिद में जाते हैं, तो भी फल मिलता है और मन्दिर में जाते है, तो भी फल मिलता है। मैं इस हरिजन बजट का समर्थन करता हू। मैं उस जगह का रहने वाला हूं। जो साथी लोग उधर बैठे कह रहे थे कि सरकार बहुत निकम्मी है। सहारनपुर जिले के हरिजन को कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारा वोट मान लिया, आप घर जाइए, बैठिए। वह जो उधर के साथी लोग बोल रहे थे, हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है लेकिन उसमें हमारे अधिकारीगण जितने होते है ज्यादातर हरिजन नहीं हैं, जोकि हरिजनों का ही शोषण करते हैं। इस तरह से हरिजन हरिजन को चूसता है। जो हमारी कान्स्टीट्यूंसी है उसमें जो पटवारी है वह भी हरिजन को लूटता है। इत्फाक से एक है, उसमें हरिजन पटवारी, प्रधान, एम0एल0ए0 सभी हरिजन हैं। उसने बड़ा रुपया ले लेकर मीटिंग में कहा कि खर्चा नहीं है हरिजन अधिकारी यही लूटते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि हरिजन बजट में कुछ बढ़ोत्तरी कर दी जाय और मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जंग बहादुर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मलखान सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे एक साथी ने हरिजन को अनैतिक बताया। हरिजन शब्द ऐसा है हरी और हरी का आदमी। हरिजन के नाम के पीछे राम जरूर लगता है। दूसरा नाम रहता है हरिजन। हरिजन बस्तियों में तो हरिजन के नाम पर पुजारी सब हड़प लेता है। वही हाल इस सरकार का है, हरिजन को दिखाकर सब हड़प जाता है। अगर थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वही सक्षम हरिजन कांग्रेसी सदस्य को मिलता है। यह सरकार सर काट कर बाल की रक्षा करती है। यह कभी हरिजन की रक्षा नहीं करती है। चले जाइए बड़े शहरों में; हर ब्लाक में 15-16 ग्राम सेवक रहते हैं। हर विभाग में जिलाधिकारियों को जीप मिली हुई हैं लेकिन हरिजन अधिकारी को कुछ भी नहीं। जहां पर वह हरिजन अधिकारी है, उन्नति के नाम पर तो कुछ नहीं है, महज कहने के लिए यह तो वाइसकोप का तमाशा है। जैसे वाइसकोप में कहते हैं दिल्ली की कुतुबमीनार देखो, दिल्ली की बाजार देखो? वही हाल इस सरकार का है। यह सरकार कहती है कि देखो भाई देखो, जगजीवन राम देखो, बन रही जमीन, बन रहा मौकाम देखो। संविद के जमाने में हरिजन 4 मन्त्री रहे और अब तो 2 ही हैं। हमारे आजमगढ़ में तो एक हरिजन सीट कम हो गई। तो हर जगह आप से बताऊं हरिजन की उपेक्षा है। हरिजन को ऐसा बना दिया गया है कि उसके कल्याण की कोई बात ही नहीं है। जब ब्लाक से कुएं के लिए पैसा मिलता था तो ढाई हजार में बी0 डी0 ओ0 बनवाएगा और हरिजन कल्याण से मिलेगा तो एक हजार। मान्यवर, यह उनकी उपेक्षा है। कैसे मैं मान लूं यह करते हैं? परसाल यहीं पर बड़ा शोर था कि स्कालरशिप दुगुनी हो रही है। प्राइवेट संस्थायें है, हरिजन के नाम पर उनको ग्रान्ट मिलती है लेकिन कहीं पर किसी विद्यालय में हरिजन अध्यापक को नहीं रखा जाता है। चपरासी की भी जगह हरिजन को नहीं दी जाती है। अगर उनको रखा भी जाता है तो महीने दो महीने बाद निकाल दिया जाता है क्योंकि मेम साहब का पानी छूआ जाएगा। गरीबी और भुखमरी बहुत है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंग बहादुर]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कर्जे का बिल माननीय बहुगुणा जी ले आए इससे तो और भी हरिजन कठिनाई में पड़ गए हैं।

श्री सुक्खन सिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो आज हरिजन एवं समाज कल्याण बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए में आपका बड़ा आभारी हूं। सरकार ने हरिजनों के लिए इमारतें बनवायीं, कृषि के लिए जमीनें दीं यह ठीक है, परन्तु इनमें बहुत घपला हो रहा है हरिजनों को जो मकान दिए गए हैं, उनमें लेखपालों ने बहुत पैसा लिया है और जब उनको पैसा मिल गया तभी उनको दिया। जिन लोगों के माध्यम से इन इमारतों का निर्माण कराया गया है उन लोगों ने बहुत पैसा खा लिया है जितना रुपया इनको इमारतें बनाने के लिए मिला है उतना खर्च नहीं किया है और बहुत सा पैसा अपने पास रख लिया। श्रीमान् जी, हरिजनों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में दुगुनी वृद्धि की गयी यह बहुत ही अच्छा कदम है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहें।

श्री सुक्खन सिंह—

सरकार ने जगह-जगह पर दस्तकारी के स्कूल खोले हैं। उससे हरिजन बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर बातचीत करना ही चाहते हैं तो सरकार ने उसके लिए लाबी की व्यवस्था की है।

श्री सुक्खन सिंह—

हरिजनों को सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान करते हैं और उनको किसी तरह से राहत नहीं देते हैं। सरकार ने आवास के लिए जो मकान बनाए हैं वे हरिजनों को नहीं दिए गये हैं, उनसे काफी पैसा लेकर दिया गया है। हरिजन बहुत गन्दी जगहों पर रहते हैं, उस जगह को देख कर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह रहने की जगह है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, कि आप ने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विषय पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है।

मान्यवर, गत 27 वर्षों से हरिजनों के कल्याण के नाम पर उनसे वोट ली जाती है लेकिन सबसे ज्यादा पिटाई भी उनकी ही होती है। इस प्रदेश में उनकी इतनी पिटाई होती है कि शायद ही किसी और प्रदेश में होती हो। अखबारों में रोज ही हरिजनों के कत्ल किए जाने की सूचना निकलती रहती है। जब बांदा जिले की स्थिति के बारे में पढ़ता हूं तो बड़ा ही अफसोस होता है। वहां पर रोज ही हरिजनों की लड़कियों को जबरदस्ती बेचा जाता है। एक बार एक हरिजन बालक की हत्या की गई। हरिजनों में से ऐसे लोग हैं जो जिस प्रकार से कुत्ते जूठन को खाने के लिए दौड़ते हैं उसी प्रकार से वे भी दौड़ते हैं। बहुत से ऐसे भी हरिजन लोग हैं जो मूसरों द्वारा अपने बिल में ले जाए हुए अनाज को निकाल कर सुखा-सुखा कर खाते हैं। उनके खाने और रहने के लिए आज 27 वर्ष बीतने के बाद भी यह सरकार कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाई है। इस तरह से इन हरिजनों में एक मेहतर जाति है जो अधिकतर शहरों में रहते हैं और वे हम लोगों की गन्दगी को अपने सिर पर ढो-ढोकर ले जाते हैं। वे या तो पेड़ों के नीचे बसे हुए हैं या छोटी-छोटी झोपड़ियों में निवास करते हैं। उनके निवास के लिये कोई भी व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। मेरा सुझाव है कि नगरपालिकाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं, वे बड़े-बड़े और पूंजिपतियों को न देकर आधे अनुदान पर इन हरिजन मेहतरों को दिए जायं ताकि शहरों में बसने वालों का उद्धार हो सके। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि उनकी दिक्कतें कुछ दूर हो सकें।

कहा जाता है कि हरिजनों को बैल खरीदने के लिए 500 रुपए का अनुदान दिया है लेकिन यह बैल खरीदने के लिए नहीं बल्कि बीज खरीदने के लिए और कृषि यन्त्रों को खरीदने के लिए उसे कहा जाता है। इस प्रकार के जो 2 या ढाई सौ रुपया बचता है, उसमें बैल किस प्रकार से खरीदा जा सकता है। अगर वह बैल खरीदेगा भी तो 2 बिस्वा या 4 बिस्वा जमीन को बेच कर ही खरीद सकता है। नहीं तो न उसका मकान बनेगा और न वह बैल ही खरीद सकेगा। ऐसा भी होता है कि जब उसे रुपए की आवश्यकता होती है तो वह अपने लड़के को किसी बड़े आदमी के यहां पर हलवाहे के रूप में रख देता है जब जाकर कहीं उसका मकान बन पाता है।

मान्यवर, हरिजनों की पिटाई पुलिस द्वारा भी खूब होती है, पिटाई के साथ-साथ उनसे रुपया भी ले लिया जाता है। मेरे क्षेत्र में सराय ममरेंज के थानेदार जो श्री राम नारायण जो मड़वा का रहने वाला है, और श्री मूल धन पासी जो सिरकटा का रहने वाला है, पहले पुलिस ने इनकी पिटाई की और फिर उनसे 500-500 रुपया लेकर छोड़ा। मैंने डी0 एस0 पी0 और एस0 पी0 को शिकायत की लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही उस दरोगा के विरुद्ध नहीं की गई। और वह वहीं पर बना हुआ है। उसका कहना है कि मैंने रुपया पैदा करने के लिए ही तो दरोगाई की है। वह यह भी कहता है कि आजकल हरिजन बहुत ऊंचे अपने आपको समझने लगे हैं मैं उनको भंगी बना कर रखूंगा ताकि ये सवर्णों के यहां पर हलवाही करते रहें। जिस दरोगा की यह भावना हो, तो सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है? डाक्टर लोहिया ने कहा था कि हरिजनों की नौकरियों में प्रतिशत 60 कर दी जाय। उन्हें नौकरी तो कुछ मिली है लेकिन साथ-साथ उन्हें निकाला भी जा रहा है। रोडवेज निगम में उनको 2 या ढाई सौ रुपए पर रखा गया है लेकिन साथ-साथ कुछ को निकाला भी गया है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपके बैठने पर ही जरा बोलने का मौका मिलता है। आप भी "न" कर देंगे तो कैसे काम चलेगा।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की चर्चा में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और वह भी इस वजह से कि जितने भी बजट प्रस्तुत हुए जिन-जिन विभागों के हमारा जौनपुर जिला ऐसा भाग्यहीन है इस मामले कि कभी उसका नाम सुनाई नहीं पड़ा, आज बड़ी प्रसन्नता हुई जब यह किताब मिली हरिजन कल्याण विभाग की तो मालूम हुआ कि शिशुओं के लिए एक स्कूल खोलने की योजना है। मैं खासतौर से इसके लिए माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि कम से कम उस अभागे जिले की ओर गयी तो।

हमारे जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिया उनमें से अधिकांश ने हरिजन समस्या पर जोर दिया है और सही भी है। मैं जो एक दूसरा पहलू इस बजट का है उस ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो समाज कल्याण वाला हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं हरिजन वाले भाग के महत्व को कुछ कम समझता हूं लेकिन हमारे इधर के और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने हरिजन वाले हिस्से पर ही प्रकाश डाला है इसलिए मैं समाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव]

कल्याण वाले हिस्से की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके पहले कि मैं और कुछ कहूं इसी किताब में पृष्ठ 20 पर लिखा हुआ है कि जो महिलाओं से सम्बन्धित संस्थायें हैं उनमें बहुत से दूषित मनोवृत्ति के लोग आ गए हैं इसकी वजह के एक ऐक्ट सरकार ने बनाया कि उन संस्थायों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले सके। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो आपके विभाग के सेक्रेटरी महोदय हैं, मैं और साब कांड वगैरह की बात तो नहीं करूंगा, केवल इतना जरूर कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति का ऐसे विभाग का सचिव होना जिसका ताल्लुक महिलाओं से हो और उसके बारे में उस सचिव की रेपुटेशन इतनी गन्दी हो उसको एक मिनट भी इस विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान दें क्योंकि इसका ताल्लुक उनकी जाती जिन्दगी से नहीं है ....

चौधरी पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न। माननीय विधायक जी से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसी व्यवस्था को है कि ऐसे अधिकारी को एक मिनट नहीं रहना चाहिए ऐसा आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें। व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैंने एक नीति का प्रश्न उठाया था। मेरा कोई व्यक्तिगत बात कहने का मतलब नहीं था। मैं तो उनको जानता भी नहीं, लेकिन रोज अखबारों में पढ़ता रहता हूं इसलिए जिसे कहते हैं कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी एवव ससपिशन (लाल बत्ती होने पर।) अभी मुझे कुछ समय और दें।

श्री उपाध्यक्ष—

5 मिनट से अधिक समय नहीं दे सकूंगा। मैं प्रत्येक सदस्य को केवल 5 मिनट दे रहा हूं ताकि ज्यादा के ज्यादा सदस्य बोल सकें। यदि आप पसन्द करें तो 5 मिनट बोलें। (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें, क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव—

वेश्यावृत्ति उन्मूलन के सिलसिले में इस किताब में लिखा है, मैं संयोग से एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिसमें वेश्याओं की एक अच्छी खासी तादाद है। आज से तीस साल पहले मैंने अलेग्जांडर कुपरिन की किताब पढ़ी थी तब से मैं समझता हूं कि कितना क्रूर व्यवहार इन महिलाओं के प्रति है। आज रूस और चीन आदि जो भी साम्यवादी देश हैं वहां आजादी मिलने के बाद सबसे पहला काम उन देशों ने महिलाओं के उद्धार का किया। मुझे अफसोस है कि आजादी मिलने के 27 वर्ष बाद भी आज महिलायें कोठों पर बैठकर अपना शरीर बेचती हैं। प्रीवेन्शन आफ इम्मारेल ट्रैफिक इन वीमेन ऐक्ट बना हुआ है, मगर उसका पालन कहीं नहीं होता। यह नुमायशी है। आज लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, किसी भी शहर को ले लीजिए, इस ऐक्ट का पालन नहीं हो रहा है। आप इसे मुस्तैदी से लागू करें। पुलिस इन महिलाओं को परेशान करती है और उनसे फायदा उठाती है। माननीय मन्त्री जी एक महिला हैं। उन्हें महिलाओं की भावनाओं को समझना चाहिए। बिहार में के0 वी0 शाह के जमाने में अन्तर्जातीय विवाह करने पर दो-दो हजार रुपया दिया जाता था, इसी प्रकार आश्रम गृहों में रहने वाली महिलाओं के साथ यदि कोई शादी करता है तो उसे इनाम मिलना चाहिए तथा अन्य सुविधायें मिलनी चाहिए। इससे आज का नवयुवक आगे आएगा और महिलाओं का उद्धार होगा।

श्री भीषम (जिला बस्ती)--

माननीया मन्त्री जी नारी हैं। नारियों का हृदय बड़ा विशाल और दयालु होता है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो अपने सुझाव दिए हैं यदि उन पर अमल किया जाए तो काफी सुधार हो सकता है, मगर मुझे आशा नहीं है। मान्यवर, हरिजनों को दो अर्थ मैंने लगाए हैं। वैसे तो जिसके पास न घर हो, न जमीन हो; न रोजगार हो; न खाने का कोई साधन हो, वह हरिजन हैं। लेकिन मैंने दो अर्थ लगाए हैं। विधान सभा में तो उसका अर्थ है "सत्ता का स्रोत"। विधान सभा के बाहर उसका अर्थ है "मनुष्य रूपी जानवर"। 27 वर्षों में जाने कितनी बार जमीन की सीमायें बंधी, हरिजनों को जमीन देने की बात कही गयी; मगर आजतक उन्हें जमीन नहीं मिली। उनके लिये छात्रवृत्ति देने की बात कही जाती है, वे छात्रवृत्ति कैसे पायेंगे जब हरिजन के बच्चे पढ़ने जा ही नहीं पायेंगे ? हरिजन मां बाप खेत पर या काम पर यदि जाते हैं तो बच्चे घर रखाते हैं, वे पढ़ने जाते ही नहीं है। तब छात्रवृत्ति कैसे पायेंगे। उनकी आज बड़ी दुदर्शा हो रही है। उनकी हालत का पता इसीसे चलेगा कि एक गाय है। 5 आदमी उसको दुहते हैं और वह गाय दूध केवल तीन पाव ही देती है। तो क्या एक व्यक्ति पायेगा यही हरिजन की औसत आय है। जो अनुदान स्कूलों आदि के लिए दिया जाता है उसे स्कूलों के मैनेजर और प्रधानाचार्य ही खा जाते हैं और कहना नहीं चाहता हूं कि स्कूलों के मैनेजर अधिकतर हमारे कांग्रेस के लोग हैं। (लाल बत्ती होने पर) बस।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आपके दो मिनट हैं।

श्री भीषम--

जार के सम्बन्ध में था कि वह बड़ा शक्तिशाली है, पुराने राजाओं ने भी अपने को समझा था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं लेकिन हरिजन या हरिजनों के समकक्ष जितनी भी जातियां है या लोग हैं अगर उनका निरादर करते रहेंगे तो क्या होगा यह सब जानते हैं कि ये लोग भी अब समझ चुके हैं और अब ज्यादती वे अपने ऊपर नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि उससे हरिजनों को उद्धार नहीं होने वाला है।

श्री भूपसिंह केन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं। और उनको धन्यवाद भी देता हूं। मान्यवर; आज इस सदन में हरिजनों के लिए अनुदान की मांग प्रस्तुत की गयी है वह बहुत कम है किन्तु कहा बहुत कुछ गया है और बहुत कुछ किया जा रहा है। बहुत से साथियों ने कहा कि 27 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हरिजनोद्धार कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सदियों से इस देश में हरिजन उद्धार नहीं हुआ। एक समय था जब इस समाज को शूद्र के नाम से पुकारा जाता था और तब भी इसी प्रकार की बात होती थी कि इस समाज का उद्धार होगा। इसके बाद समय आया जब इस समाज का नाम शूद्र के स्थान पर अछूत इसे कहा जाना शुरू हुआ और उसके नाम पर इस समाज के उद्धार का खूब प्रचार हुआ। इतना ही नहीं कि इस देश में अछूत शब्द का भी काफी प्रचार हुआ इस देश के बाहर भी बहुत काफी प्रचार किया गया था। कि इस देश में अछूतों का उद्धार किया जा रहा है। उसके बाद अब हरिजन शब्द का प्रचार किया जाता है कि हम लोग इसका बहुत बड़ा उद्धार कर रहे हैं। तो हरिजनोद्धार 27 वर्षों से नहीं बल्कि जब से हरिजन शब्द का प्रचार हुआ इसका इस्तेमाल हुआ तब से निरन्तर इस समाज का उद्धार हो रहा है और इस देश का प्रत्येक नर-नारी आज जानता है कि आज इस हरिजन शब्द का प्रचार न केवल यहां फैला हुआ है बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में हरिजनों के लिये चारों तरफ से जो भी प्रचार होता है, बाहर जब सुनते हैं, मैदानों में हों, चाहे पहाड़ों में, चाहे गांवों में यही प्रचार होता है कि हरिजनों का बहुत बड़ा उद्धार किया जा रहा है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि कहां उद्धार हो रहा है ? यह

[श्री भूपा सिंह कोन]

तो फाइलों पर हो रहा है या इस सदन में दोनों पक्षों की ओर से आज किया जा रहा है। जब यहां पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की मैं बातें सुनता हूं कि हरिजनों का उद्धार होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वह सारा का सारा इस सदन के अन्दर ही पुकार बनकर रह जाता है लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तब मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो टीस उनके दिल में उभरती है, जो दर्द हरिजनों के लिए पैदा हो जाता है वह चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के हों क्या वे अपने क्षेत्र में जाकर उसको भल जाते हैं, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में कितने हरिजनों का उद्धार किया है ? कितने लोगों के सुख-दुख बांटने में समर्थ हुए हैं, कितनों की आर्थिक स्थिति में सहायता की है, कितनों को मकान के आवास के लिए भूमि दिलायी है ?

मान्यवर, इस सरकार ने जितना वह कर सकती थी उसने किया है लेकिन उनके विकास हेतु जितना प्रचार हुआ है क्या उतना हुआ है ? अभी एक अधिवेशन कांग्रेस का नरौरा में जो हुआ था उसके अन्दर एक प्रस्ताव भी हुआ कि हरिजनों के मकान के आवास के लिए जमीन दिलाई जाएगी। प्रस्ताव पास हुआ लेकिन आज तक किसी भी रूप में आवास के लिए हरिजनों को जमीन नहीं दी जाती है। केवल प्रचार है। अगर किसी को आवास के लिए जमीन दी भी गयी है तो वह या तो मेड़ पर दी गयी है या पोखर पर दी गयी है और उनको कब्जा भी नहीं मिला है। हरिजनों के नाम से आबंटित जमीन केवल कागज पर रह गयी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, अगर बाढ़ ही खेत खाने लगे तो मेरी समझ में नहीं आता उद्धार कैसे होगा। एक विभागीय अधिकारी है उनका नाम कुमारी सरोज पन्त है जो कि यहां पर हैं और यहां एक महिला कर्मशाला है जिसकी वे सुपरिन्टेंडेन्ट हैं। पिछले साल की आडिट रिपोर्ट में आया है कि वहां एक लाख रुपए का घोटाला है। जब इस तरह का आडिट रिपोर्ट हो कि इस तरह से घोटाला है और फिर भी उसकी जांच न हो तो यह बड़ा अन्याय है। उसकी एकदम खुली इन्क्वायरी होनी चाहिए। इनके सपोर्ट करने वाले एक हरिजन कल्याण अधिकारी हैं जिनका नाम श्री दया शंकर राय है जो उनसे सम्बन्धित हैं। तीन महीने हुए उनका ट्रान्सफर हुआ था लेकिन चूंकि उनकी दोनों की सांठ-गांठ से काम हो रहा है, वे यहां से जाना पसन्द नहीं करते। वे उस घोटाले में भी शामिल हैं।

मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता लेकिन एक बात चारों तरफ देखने में आती है अगर और किसी बिरादरी का कोई आदमी कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता लेकिन अगर किसी गरीब हरिजन समाज के किसी अधिकारी या कर्मचारी का जाने अनजाने कोई गलत कदम पड़ जाता है तो सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता है, पेपर और समाचार-पत्रों में निकलता है। मैं इस बात को डिनाई करता हूं। यह ठीक है जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन समाचार-पत्रों में निकला है कि ऐसे 50 अधिकारी हैं जिनमें आई० ए० एस, पी० सी० एस० और बड़े-बड़े नेता और मन्त्री तथा विधायक हैं। चाहे कोई भी हो लेकिन मान्यवर, अगर इन्साफ का कदम उठाना चाहते हैं तो आपके जरिए माननीय मुख्य मन्त्री जी से मेरी दरख्वास्त है और समाचार-पत्र के साथियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि उन 50 अधिकारियों के नाम अपने समचार-पत्र में प्रकाशित करें। यह बड़े दुःख की बात है कि एक गरीब आदमी चाहे वह कोई भी हो अगर चारों तरफ के इसी तरह से उसके पीछे लोग पड़ जायेंगे तो क्या इसी तरह से समाज का सुधार होगा ? यह और भी दुख की बात है कि विभाग के अन्दर जो रिजर्वेशन का कोटा है वह भी पूरा नहीं होता। मैं अपने जिले की बात कहता हूं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी मेरे ही जिले के हैं, मैं सदन के जरिए उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से वे हरिजन समाज का उद्धार करना चाहते हैं। अपने विभाग में भी कोटा पूरा नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें। अब सम्भव नहीं है समय देना।

श्री भूपसिंह केन—

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय मलखान सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं माननीया मन्त्री जी की नियत पर कोई शक नहीं करता क्योंकि वे बहुत शरीफ हैं। गांधी जी की मृत्यु पर जार्ज वर्नाडशा ने कहा था—"हाउ डेंजरस इट इज टु बी टू गुड" यानी बहुत शरीफ होना भी कितना खतरनाक है। मेरा निवेदन है कि इस विभाग में जो भी प्रयोग या दुरुपयोग हो वह केवल कांग्रेस पार्टी के लिए न हो। हरिजन हिताय :हरिजन सुखाय : या बहुजन हिताय : बहुजन सुखाय : होना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक प्रादेशिक हरिजन एवं पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड बना है। यह बोर्ड गत वर्ष 1974 में बना था। उसमें लिखा है कि संसद के सदस्यों का नामांकन होगा। लेकिन कितने बड़े दुख की बात है कि उसमें संसद के सदस्यों का आज तक नामांकन नहीं किया गया है। इसमें 37 नानआफिशियल मेम्बर हैं जिनमें कुछ एम0एल0ए0 और सार्वजनिक कार्यों के से सम्बन्धित लोग हैं। इन 37 में सिवाय श्री शिव सम्पत्ति जी के जो मिर्जापुर से आते हैं; बाकी 36 के 36 कांग्रेस पार्टी के हैं। तो मेरा यह आरोप है कि हरिजन कल्याण विभाग का दुरुपयोग, केवल कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरह से न किया जाय। मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन करें क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही हरिजन समाज का ठेका नहीं उठा रखा है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आडिट रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उसके पृष्ठ 50 से लेकर 53 तक हरिजन विभाग के सम्बन्ध में है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराये जायं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। हमारी जो एक समिति है जिसके अध्यक्ष श्री माता प्रसाद जी हैं। इनके लिखे हुए लेख के सबन्ध में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लिखा है कि। :"उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से 22.5 फीसदी अनुसूचित जातियों के लोग हैं और यदि अनुसूचित जन जातियों के लोगों, ग्रामीण शिल्पकारों व विमुक्त जातियों के लोगों को भी शामिल कर लिया जाय तो इनकी संख्या 30 फीसदी हो जाती है। इस जमात के 95 फीसदी लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर की जिन्दगी गुजार रहे हैं। बेकारी और गरीबी तो इन्हें बरदान में मिली है, पैर पसारने के लिए भी इनके पास अपना झोपड़ा-मड़ैया नहीं है। जहां कहीं इनके मकान झोपड़े बने भी हैं, जमीन इनकी अपनी नहीं है।"

तो मान्यवर; यह लिखा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति समिति के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद के लेख से सम्बन्धित उक्त वाक्य उनका लिखा है। इस सम्बन्ध में इन्होंने इसमें 15 शासकीय आदेशों की चर्चा की है और अन्त में यह लिखा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं इन आदेशों का पालन नहीं करते हैं।

माननीय विद्याधर जी ने जो भाषण दिया है; उन्होंने कहा ह कि "नौकरशाही नहीं करना चाहती"। उनका कहना है कि मुख्य मन्त्री जी का प्रयास जरूर है कि कमजोर लोगों का कल्याण हो, कल्याण करना चाहते हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौकरशाही निर्णय का पालन नहीं करती। बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐसे मुख्य मन्त्री के ऐसी कांग्रेस पार्टी के सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं कि जो मुख्य मन्त्री अपने 14-14 आदेशों का पालन न करा पाये। ऐसे मुख्य मन्त्री को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। "मीठा-मीठा गप्प, कड़ुवा-कड़ुवा थू थू।"

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां बड़ी संख्या में भिखारी हैं। भिखमंगों के लिए हमारे यहां एक नवीन सेवाश्रम करेला बाग, इलाहाबाद में है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के सहयोग से स्थापित हुआ था। बहुत अच्छा काम करता है। इसकी पर्याप्त सहायता की तरफ ध्यान देना चाहिये। विवरण जो हैं उसमें है कि लावारिस लोगों के शव की व्यवस्था के लिये प्रथम श्रेणी के शहरों में 25 रुपए और द्वितीय श्रेणी के शहरों में 15 रुपए दिये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना की जाय, जहां भी सम्भव हो सके। यह जो विभाग है देखें इसको कितने निम्न स्तर पर रख दिया गया है। इसका उदाहरण यह है कि केवल 35 हजार रुपए विभागीय मन्त्री जी के विवेक कोष पर रखे गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि हरिजन समाज कल्याण मन्त्री जी के विवेक कोष की जो धनराशि है इसमें समुचित वृद्धि की जाय। 1973-74 में केवल 33,418 रुपए खर्च हुए हैं। जैसा कि आडिट रिपोर्ट में कहा गया है। तो 35 हजार रुपए जो एलाट किए गए उसमें से 33,418 रुपए ही क्यों खर्च किए गए ? और जो 1,582 रुपए बचे तो जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

हरिजनों के आवास के बारे में विशारद जी की समिति बैठी थी। लेकिन जो उसकी संस्तुतियां है उनका कार्यान्वयन इस कारण से आप नहीं कर रहे है क्योंकि कांग्रेसी कहते हैं कि उसके अध्यक्षएक हरिजन थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जितनी संस्तुतियां हैं उनका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आज हरिजन भाइयों को हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर अपना हक मांगने से नहीं मिलता तो उसको अधिकार लड़कर लेना चाहिये।

डाक्टर लोहिया कहते थे, "दाढ़ी-चोटी और जनेऊ इनका खात्मा होना चाहिये। हरिजनों के सुधारने का ठेका केवल कांग्रेस ने ले रखा है यह समझना आपकी भूल है। पिछले 27 सालों से हरिजनों के नाम पर वोट लेने के लिये कांग्रेस ने चाहे वह प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी हों और चाहे वह श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा हों, हरिजनों का इस्तेमाल किया है, एक्सप्लाइट किया है। इसके लिए आवश्यकता है कि हरिजन लोग अपने अधिकारों को जानें। अन्त में थोड़े शब्दों के साथ जो माननीय मलखान जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और उस पक्ष के लोगों से भी इस हरिजन हिताय, हरिजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" की बात कहकर अनुरोध करता हूं कि जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

एक सदस्य—

मान्यवर यह चोटी की बात कह रहे हैं। चोटी हमारे धर्म का सिंबल है।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं हरिजन कल्याण अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज यहां जितने भी मैंने विचार सुने चाहे वह इधर के हों या सामने के तरफ के हों, लेकिन सभी के विचार इस तरीके से है कि सारी जिम्मेदारी हरिजनों के उद्धार की सरकार पर डाली है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे बराबर में कोई ब्राह्मण बैठा है या दारुलशफा के अन्दर या रायल होटल के अन्दर बराबर में चाहे बाल्मीकि का कमरा हो तो कोई भेदभाव नहीं रहता है। तो जिस प्रकार यहां पर कोई भेदभाव नहीं है उसी प्रकार विधायक जब अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वह इस प्रकार का प्रचार करें, जिसे मैं समझता हूं कि जो जुल्म हरिजनों के साथ होते है उसमें कमी आयेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां कहने के लिये सब है और क्षेत्र में उनकी हिम्मत कहने की नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का ताज्जुब होता है और जनसंघी और बी0एल0डी0 के भाइयों पर तरस आता है कि उन्हें पिछला अनुभव नहीं है। मैं दलील के साथ कहना चाहता हूं कि जब से बहुगुणा

जी मुख्य मन्त्री हुए हैं, लगभग 2 साल हुए, इस समय को देखें और लगभग इतने ही दिनों में शासन संविद का रहा और उतना ही जनसंघ और बी0 के0 डी0 का शासन रहा। तो उस समय में और बहुगुणा जी के समय में अन्तर देखेंगे। बहुगुणा जी ने कितने हरिजनों को अधिकारियों के पदों पर पदासीन किया। यदि यह कहें कि हरिजन अधिकारी के साथ भेद-भाव होता है तो मैं उसको मानता हूं। इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि चाहे बड़ा या छोटा कर्मचारी या अधिकारी हो यदि वह हरिजन है तो उनके साथ अनेकों तरीके के भेदभाव किए जाते हैं और कोशिश रहती है कि उसको यहां से हटाया जाय या ऐसे इलाके में भेजा जाय जो पिछड़ा इलाका हो।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हरिजन समाज कल्याण विभाग है उसमें 55 जिले हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण नहीं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रेवती शरण मौर्य—

मैं कह रहा था कि 55 जिले हैं और 55 अधिकारी हैं। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यह सब के सब पिछड़ी जाति के हरिजन जाति के असलियत में होने चाहिए। उच्च जाति के नहीं होने चाहिए चूंकि यह हरिजन के कल्याण के लिये बनाया है।

मान्यवर, एक और निवेदन करूंगा कि इस बजट में जो हरिजन नवबौद्ध हो गए हैं उनको भी इसमें सुविधायें दी जायं। उनके लिए भी विचार किया जाय। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जाति-पांति और वर्ण व्यवस्था जिसका विकृत रूप चल रहा है इसके कारण और धन-धरती व सेवायें जो नहीं बंटी हुई है इन्हीं के कारण हरिजन और पिछड़े लोगों का बहुत अहित हो रहा है। जब तक यह नहीं होगा तब तक हरिजनों का हित साधन नहीं हो सकता। यह सही है कि हरिजनों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अन्य समाज के अंग भी पिछड़े हुए हैं, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। लिहाजा हरिजनों के साथ साथ समाज के अन्य अंग भी जो पिछड़े हुए हैं उनका भी ध्यान रखा जाय। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैं हरियाणा प्रान्त के गुड़गांव स्थान पर गया था। एक नाइयों का डेलीगेशन मिला और उसने कहा कि उनके सभापति ने तय किया था कि धोती नहीं छांटेंगे। (इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।) वहां के लोगों ने उनको मजबूर किया कि धोती छांटनी पड़ेगी। ऐसा न करने पर बंशीलाल के आदमियों ने नाई सभा के मन्त्री की पीट-पीट कर हत्या कर दी। दूसरा किस्सा देवरिया का है। वहां रामकोला थाने में थानाध्यक्ष ने एक आदमी से पान मंगवाया। पान लाने पर जब पूछा गया कि किस जाति के हो तो उसने कहा कि वह जाटव है। उन्होंने पान थूक दिया और उसको मार-मार कर अधमरा कर दिया। इस पर संगठन कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहां तेज सिंह विधायक गए और यहां लखनऊ के इशारे पर वहां के थानेदार ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से मारा और उनको थाने में बन्द कर दिया।

जमीन बांटी जा रही है हरिजनों को या अन्य लोगों को जो लैन्डलेस हैं मेरा निवेदन है कि यह इतना बड़ा काम है मुझे शक है कि यह सरकार उसे कर पायेगी या नहीं कर पाएगी। न जाने कितने वर्ष धरती बांटने में लग जायेंगे। इसके लिए यही एक चीज समझ

[श्री गोरे लाल शाक्य]

में आती है कि प्राइवेट ओनरशिप मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई पब्लिक ओनरशिप। कोआपरेटिव फार्मिंग होना चाहिए। इससे हरिजनों का ही नहीं समाज के अन्य पिछड़े हुए वर्ग का भी भला इससे हो सकेगा।

इसके साथ ही नारी कल्याण हेतु नारी निकेतन खोले जा रहे हैं। जो केन्द्र इसके बनाए जा रहे हैं वे एक तरह से भ्रष्टाचार के केन्द्र बनाए जा रहे हैं। मेरी समझ में यह आता है कि इस तरह से इसको केन्द्रीयकरण नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो भी नारियां हैं उनको अपने गांव में ही साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए।

इसके साथ-साथ सुजाता कांड आता है। वरुण जो सचिव बैठा हुआ है मैं पूछना चाहता हूं जब उसकी पिछली हिस्ट्री खराब थी तो उसको सचिव कैसे बनाया गया है। मुझ को इस बात की गन्ध आती है कि उसको सचिव बना कर इसीलिए रखा गया है ताकि सरकारी अधिकारियों को, नेताओं को औरतें सप्लाई की जा सके। उसका रिकार्ड इतना खराब है कि वह वरुण देवता नहीं है बल्कि सेक्स का देवता है। उसे तुरन्त हटा देना चाहिए।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो अन्तर्जातीय विवाह करें उन्हीं को सरकारी नौकरियों में रक्खा जाय अन्य को नहीं हरिजनों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है बिलकुल ढकोसला है। सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं उनको केवल दो मास की ही छात्रवृत्ति दी जाती है। रामराज कोरी जो नेविलगंज अछल्दा जिला इटावा का रहने वाला है उसके साथ यही किया गया है। सामाजिक सुरक्षा में यह नियम होना चाहिए कि जो अनएम्पलाइड है उसके लिए रोजगार व्यवस्था होनी चाहिये बीमारी की हालत में इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सामाजिक सेक्योरिटी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप संसदीय चातुर्य का प्रयोग करते हुए समय लेना चाहते हैं।

*श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस माननीय सदन में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस देश और प्रदेश में दो वर्ग विशेष का दुर्भाग्य रहा है—एक हरिजन का और दूसरे महिलाओं का। इन दोनों वर्गों का हर जगह शोषण होता रहा है और इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से हमेशा देखा जाता रहा है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर महिलाओं की और हरिजनों को समाज से अलग कर दिया जाय तो पूरा समाज पंगु हो सकता है। आजादी मिलने के 27 वर्षों के इतिहास में इस सरकार ने हरिजनो के उत्थान के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं। इसपर भी यदि यह कहा जाय कि हरिजनो के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, उसके लिए मैं राजी नहीं हूं। यह सही है कि मन्त्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है और इस हेतु जो धनराशि सदन द्वारा मांगी गई है वह बहुत कम है। सरकार ने 1975-76 के बजट में विधवाओं की पेन्शन दूनी कर दी जिससे 2200 निराश्रित विधवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं के लिये 2 करोड़ 25 लाख की व्यवस्था की है और ऐसा करके उसने सबसे क्रान्तिकारी कदम उठाने का परिचय दिया है। इससे 80 हजार छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचेगा। विशेष रूप से कमजोर वर्ग और हरिजनों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। वर्ग 3 में इस सरकार ने 1036 और वर्ग 4 में 1632 अभ्यर्थियों को भरती किया है। इसके अतिरिक्त सभी बाल्मीकि छात्रों को जो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, सरकार ने अनिवार्य छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे जिले का दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी पिछड़े जिलों में एक है—वह है सुल्तानपुर। वहां पर 5 महाविद्यालय हैं। एक अर्से से वहां से यह मांग की जाती रही है कि इन पांचों महाविद्यालयों में अनुसूचित और हरिजन जाति के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। एक छोटा सा छात्रावास है जिसमें मुश्किल से 25 छात्र ही रह सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे जनपदीय स्तर पर एक राजकीय छात्रावास का निर्माण कर दें।

अभी गत वर्ष मैंने देखा है कि ब्लाकों के माध्यम से जो कूपों का निर्माण किया गया है उसमें आधा पैसा खा लिया गया। जहां पर 1/5 का मसाला लगना चाहिए था वहां 1/12 का मसाला लगाया गया और लाखों रुपया खाया गया। यही हालत मकानों की भी है। जैसिंहपुर क्षेत्र में जहां से हमारे शिव कुमार जी पांडेय आते हैं उसमें हरफ नामक हरिजन है। मैं चाहूगा कि मन्त्री जी उसका नाम अवश्य नोट कर लें। वहां के बी0 डी0 ओ0 ने कहा कि तुम्हारें कूप निर्माण की स्वीकृति आ गई है। इस पर उस बेचारे ने अपने दो बीघ खेत बेचकर कूप निर्माण का कार्य करवाया लेकिन आज तक भी उसको एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी या कर्मचारी हरिजनों के नाम पर शोषण कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर हरिजनों को उठाना है तो परती बंजर जमीन जो है मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव समाज की परती जमीन है जो बंजर पड़ी है जिसे बड़े-बड़े लोग हथियाए हुए हैं उसे भूमिहीनों को दिया जाय। आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में समय दिया मैं माननीय समाज कल्याण मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री राम पति (जिला गोंडा)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मलखान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार 27 वर्षों से हरिजनों को खाली आश्वासन देती आई है लेकिन आज तक कुछ किया नहीं। हमने देखा है कि यहां पर सरकार ने जो कुछ कहा वह नहीं किया। नरौरा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ जिसमें तय किया गया था कि 3 महीने के अन्दर हरिजनों को मकान तथा जमीन दे दी जाएगी। वह तीन महीने बीत गए अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह केवल झूठे आश्वासन देती है। सरकार केवल हरिजनों को बेवकूफ बना कर वोट लेती है। आज तक जितने भी आश्वासन दिए गए उससे में कुछ भी नहीं किया। मैं जहां तक देखता हूं कि न तो आज तक हरिजनों को जमीन की वह व्यवस्था कर पाई है और न मकानों की व्यवस्था कर पाई है। यहां तक कि पीने के पानी की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पाई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जितने आपने आश्वासन दिए हैं उनका आधा ही पूरा कर दें।

मान्यवर, मैंने देखा है कि हर जगह पुलिस डिपार्टमेंट भी हरिजनों की सहायता नहीं करता है। पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उसमें भी उनकी मदद नहीं की जाती है। तो इनकी बातों पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम हरिजनों के उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने जो कहा था उस को भी आपने खाली आश्वासन देकर टाल दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और हमने देखा है कि किस तरह से उनकी उपेक्षा की जाती है। आपको एक उदाहरण देता हूं दिनांक 28 मार्च, 1973 को एक राम अवतार को दिन दहाड़े बांदा जिले में कचहरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामरति]

के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई लेकिन आज तक सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाई। हर जगह सरकार कहती है कि हम हरिजनों को अनुदान दे रहे हैं लेकिन मैंने देखा है कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जिसकी जनसंख्या 23 लाख है, उसमें से आधी संख्या हरिजनों की है। इसलिये वहां पर केवल 78 हजार रुपया मकान बनाने के लिए दिया गया। इस प्रकार केवल 78 हजार मकान भी नहीं बन पायेंगे। तो मान्यवर; अगर सरकार इस तरह से सहायता देगी तो हरिजनों का उत्थान नहीं हो पाएगा। हरिजन आज इनकी बातों को समझ गए हैं कि यह केवल कोरे नारे देते हैं। अब हरिजन कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं और कुछ दिनों में वह सरकार को बिलकुल नष्ट कर देंगे यह आप समझ लीजिए।

मान्यवर, मैं आखिर में एक शेर आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं :—

हर सितारा चमकता गगन के लिए;
रूप का मोह भी है, नयन के लिए,
हमें उस चमन से भी क्या वास्ता,
हम तरसते रहे दो सुमन के लिए।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं और इस जनकल्याणकारी और समाजवादी सरकार में पिछड़ी जातियों के लिए मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए दिया है कि राज्य सरकारें विशेष व्यवस्था करेगी उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए। मान्यवर, मैं आपका ध्यान फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार सन् 1953 ई० में पिछड़ा वर्ग कमीशन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने बनाया था। वह पिछड़ा वर्ग कमीशन 2-3 साल तक पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति का अध्ययन करता रहा और उसने सन् 1955 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कमीशन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। उस कमीशन ने यह रिपोर्ट दी है कि इस हिन्दुस्तान में और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे हैं और उसने रेकमेन्ड किया है कि इन जातियों के लोगों के लिए विशेष कानून बनाया जाय, इनकी उन्नति के लिए, उत्थान के लिए विशेष कानून बनाया जाय उस कमीशन के अन्तर्गत जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके वालूम सेकेन्ड जो मेरे पास है, उसमें से मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें कमीशन ने रिपोर्ट किया है कि यहां पर पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत पाई गई अत्यन्त पिछड़ी (Most Backward) जातियां निम्न है— केवट, मल्लाह चाई, बिन्द, सोरहिया, धीमर, धीवर, माझीया मझवार, तियर, भर या राजभर, कहार और धरू। यह सब जातियां शैक्षिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से बहुत पीछे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा और मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में विशेष व्यवस्था करें उनके उत्थान के लिए। पिछड़ी जाति के जो प्रथम श्रेणी के छात्र हैं, उनको अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जाए, इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाए और अत्यन्त पिछड़ी जातियों के लिए एक अलग कमीशन यहां बनाया जाय जिसके लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(4) में उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है, उनका सर्वतोन्मुखी विकास किया जाय। मैंने मुख्य मन्त्री जी को आवेदन-पत्र देकर निवेदन किया था कि जो अत्यन्त पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनकी उन्नति के लिए यहां व्यवस्था की जाए। इस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था और इस सदन में जब गवर्नर जी के अभिभाषण पर बहस खत्म

हो रहा था, उस दिन उन्होंने सदन में भी कहा था कि मैं अत्यन्त पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए चिन्तित हूं। मुझे आशा थी कि इस समाज कल्याण बजट पर विचार के समय मन्त्री जी घोषणा करेंगी कि यह सरकार अत्यन्त पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए कुछ कर रही है। किन्तु इसे देख कर आज मुझे निराशा हुई है कि आपने कोई घोषणा उनके लिए इस सदन में नहीं की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार का ध्यान आप इस ओर आकर्षित करावें और भविष्य में उनके भावी विकास के लिए संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार यहां पर विशेष कानून बनाकर उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का बजट जो पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जहां आपने हरिजनों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए तमाम कार्य किए हैं और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, किन्तु इन पिछड़ी हुई जातियों के लिये जिनकी आबादी 60 प्रतिशत से कम नहीं है, कुछ नहीं किया है, उनके लिए भी बहुत कुछ करने की सरकार कृपा करेगी। इससे मुझे निराशा है कि सरकार ने 27 सालों में इस जन कल्याणकारी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। मैं आशा करता हूं और इस विश्वास के साथ आशा करता हूं कि उनके लिए भी सरकार अवश्य कुछ करेगी। जिससे अत्यन्त पिछड़ी हुई जातियां भी समझें कि हमारे साथ भी न्याय हो रहा है। जब संविधान में इसकी व्यवस्था है, फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो यह संविधान का उल्लघंन है। इसलिये इसका पालन अवश्य कराया जाय।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट पेश है, उससे साफ है कि हरिजन तो बढ़े, लेकिन बजट घटा है। अब मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा 2-3 बातें, खास तौर से हमारे बहुत से साथियों ने हरिजनों की दुर्दशा का चित्रण किया है। चाहे उधर के बैठे साथी हों, जो उन के वोटों पर चुनकर चले आते हैं। तकलीफ तो उनके मन में है। लेकिन कटौती का प्रस्ताव पेश होगा तो उन्हीं जुल्म करने वाले लोगों के साथ वे वोट करेंगे। इधर की ओर नहीं आएंगे। मन में पीड़ा जरूर है। आज प्रदेश में ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जिनके ऊपर आज भी गांव के प्रभावशाली लोगों का नाम दर्ज है। जबरदस्त लोग हैं हरिजनों से कहते हैं हरी-बेगारी करो। आज भी हमारे इलाके में चार आने, आठ आने में हरिजन से काम लेते हैं। अगर वह काम नहीं करता है तो उनके घरों को उजाड़ देना चाहते हैं और काम करने के लिए विवश करते हैं। अगर कोई संगठन बनता है तो दीवानी और न्यायालय में तबाह करने के लिए लड़ाने का काम किया जाता है। यह सरकार हरिजनों के बसने के लिए आज तक जमीन नहीं दे सकी। लेकिन कागज में घोषणा हो गयी कि हरिजन को बसाने के लिए जमीन दी गयी। हकीकत में ऐसा नहीं है? मैं चाहूंगा मन्त्री जी से कि ईमानदारी से हरिजनो को जमीन उनके घरों के लिए देने के लिए कोई ऐसी कार्यवाही करें जिससे जो हरिज़न बसा हो वहां उसको मिले और जहां नहीं मिली है वहां मिल सके।

जहां पानी पीने का सावाल है। 85 हजार से अधिक हरिजन बस्तियों में पानी पीनें के लिये व्यव था नहीं कर पाये। आपके पहले बजट में बलदेव सिंह आर्य ने यह कहा था। हरिजन पानी कहां से पीता है? नदी से पानी पीता है या दूर से लाकर पीता है। पानी की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पायी है। जहां उनके बसाने का सवाल है, वहीं उनका उत्पीड़न, जुल्म होता है। हरिजनों को कौन मारता है? प्रभावशाली लोग। रोज जुल्म होता है। हरिजन जब थाने में जाता है तो थाने का दरोगा उसको दुत्कार कर निकाल देता है। उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखता है। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि हरिजनों की हिफाजत के लिए कमसे कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी हिफाजत हो सके।

दूसरी बात यह कि यह कहा गया है कि हरिजनों को गांव में जिन्होंने कज दिया है यह माफ कर दिया गया। लेकिन सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की कि जब उनको आवश्यकता हो तो उनको कर्ज कहां से मिले। मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करें। गांव

[श्री हरिकेवल]
के लोग तो शंका में पड़ गए हैं। वे हरिजन को कर्जा देने के लिये तैयार नहीं हैं। उसकी पूर्ति कहां से होगी? आप इसकी व्यवस्था करें।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब हरिजन उद्योग के लिए कर्जा लेने जायगा तो उसकी मालियत जोड़ी जाती है। उसके पास मालियत है नहीं। उसको कर्जा मिल नहीं पाता। इस लिए मैं कटौती का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन और समाज कल्याण विभाग का बजट आप देखेंगे कि इन 27 वर्षों में 35 गुना बढ़ गया है। लेकिन 35 गुना समाज कल्याण घटा होगा। यह विभाग समाज कल्याण के लिए नहीं है। जितने मुलाजिम लगे हुए हैं नीचे से लेकर सचिव तक, सारे लोग ऊपर से नीचे तक, खाने कमाने का धंधा चला रहे हैं। यहां पर जो समाज कल्याण का सचिव है, जिसकी इन्टिग्रिटी ऐट स्टेक हो, उसको इस विभाग पर सरकार ने लादा हुआ है। बेगर्स होम चला रहे हैं। उसमें होता क्या है? चिल्ड्रेन होम चला रहे हैं। बेगर्स ऐक्ट आपने बनाया नहीं। बेगर्स के नाम पर किस को बसाते हैं। यह खाने पीने कमाने वाले अफसर हैं। यह गरीब लोगों को रख देते हैं और झूठे नाम लिखकर रुपया निकाला करते हैं जो स्कूल मान्यवर, चलते, मैं उनकी बात जानता हूं। बलिया और बनारस में जो स्कूल चलते हैं उनमें लड़के नंगे रहते हैं और ऐसे लड़के उनमें रखे जाते हैं जो जेब काटते हैं। यही आपका समाज कल्याण है, यह आपका हरिजन कल्याण है जैसी गुटबन्दी वहां है वैसी ही मैंने सदन में देखी है। इस विभाग के सचिव जिस तरह से विभाग में धांधली चलाते हैं उसी तरह से वे यहां लोगों को तैयार करते हैं कि हमारी तारीफ कीजिएं। यह बड़ा हास्यास्पद और निन्दनीय कृत्य है। सरकार इसके सम्बन्ध में एक समिति बिठाए कि यह क्या चीज हो रही है। प्रोटेक्टिव होम्स की बात कही गई। इनमें रेड लाइट एरिया से हमारी बहनें लाकर रखी जाती हैं, जो वीमेन अड्डे चल रहे हैं वे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। मैं मन्त्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहती हैं तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन कीजिए वरना इस विभाग को तोड़ दीजिए। अब स्थिति उस बिन्दु पर पहुंच गई है कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि या तो विभाग का आमूलचूल परिवर्तन करना होगा या फिर इस विभाग को तोड़ना ही होगा। इस विभाग को खाने कमाने के लिए न रहने दें।

डाक्टर मलखान सिंह—

अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बड़ा खेद है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

सूची के हिसाब से आप देखिए माननीय एदल सिंह, नन्दराम, बेनी प्रसाद वर्मा, अठई राम और मालवीय जी बोल चुके हैं। सूची के अलावा मैं आठ आदमियों को मौक दे चुका हूं। बीच में लोग खड़े हो जाते हैं उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। आपका नाम भी सूची में नहीं है। (व्यवधान)।

एक सदस्य—

हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप मौका नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरे दिन।

डाक्टर मलखान सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कुमारी सरोज पन्त के भ्रष्टाचार का जिक्र करना शुरू किया तो माननीय काशीनाथ मिश्र और रामायण राय जी ने आपत्ति की थी। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

एक सदस्य—

आपने हरिजनों के साथ अन्याय किया है। माननीय सदस्य श्री वरुण का नाम लेते हैं लेकिन आपने एक बार भी व्यवस्था नहीं दी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी को इजाजत नहीं है। माननीय काशीनाथ जी का नहीं लिखा जायेगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इधर के पक्ष के और उधर के पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण को सुना। मान्यवर, जब मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए, तीन बच्चों की मां कु0 सरोज पन्त के भ्रष्टाचार और व्यभिचार का जिक्र किया था तो कांग्रेसी सदस्य माननीय रामायण राय तथा माननीय काशीनाथ मिश्र द्वारा आपत्ति की गई। उन माननीय सदस्यों ने विपक्ष तथा पक्ष के सभी माननीय सदस्यों के लगभग विचार सुने होंगे जिन्होंने एक मत से हरिजनों पर अत्याचार बाल अपराध, वेश्यावृत्ति भिक्षावृत्ति, महिलाओं पर अत्याचार, विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं के भ्रष्टाचार का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। कु0 सरोज पन्त का गुणगान किया गया। यहां तक बतलाया गया कि 4 मार्च को अकबरपुर थाना में एक हरिजन अध्यापक श्री धनीराम ने रिपोर्ट लिखाई कि कानपुर के डिप्टी इन्स्पेक्टर ने उसके हाथ से दिया हुआ पानी भरा ग्लास फेंक दिया तथा अपमान किया। यहां तो मन्त्री जी के जिले बाराबंकी तक के ग्राम—सरांय पाण्डेय तथा भीलवाल में माह मार्च फरवरी में हुए अत्याचारों का जिक्र किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो नई चीज आप कह रहे हैं। यह पहले कहना चाहिए था। आपको अब जवाब देना है जो बहस हुई है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मलखान सिंह जी यहां पर लेख पढ़ रहे हैं, कोई लेख यहां पर नहीं पढ़ा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो कह रहा हूं कि नई चीज आप कह रहें हैं। आप जवाब दें।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, देख कर पढ़ना कोई मना नहीं है।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह तो उन्हीं का लिखा हुआ है, जो माननीय मलखान सिंह जी पढ़ रहे हैं।

नोट—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

डाक्टर मलखान सिंह—

माननीय गौरी शंकर जी एडवोकेट ने अति प्रशंसनीय भाषण दिया तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण पूरा न किए जाने पर गहरा खेद प्रकट किया तथा मजबूरी में बजट का समर्थन किया। मेरा सुझाव है कि जिन अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में आदेशों की अवहेलना की है, सुरक्षित कोटा पूरा नहीं किया है, तो उन्हें दन्डित किया जावे। एक सदस्य श्री राही ने कहा बहुत कुछ तरक्की हुई। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कुछ भी तरक्की नहीं हुई, प्रश्न यह है कि जो काम इस कांग्रेसी सरकार ने दस वर्ष में पूरा करने का वायदा किया था आज 25 वर्ष बाद भी पूरा नहीं कर पाए। सामाजिक समानता लाने में यह सरकार पूर्ण असफल रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय..... (श्री शकील अहमद के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप बैठिए। आप दोनों अव्यवस्थित हैं। माननीय काशी नाथ मिश्र और माननीय शकील अहमद आप दोनों बैठिए। आप इस प्रकार क्यों खड़े होते हैं।

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, सरकारी सेवाओं में, पदोन्नतियों में संरक्षण का जिक्र आया। सिंचाई विभाग में गत वर्ष हुई जिलेदारी की पदोन्नति में हरिजनों को नहीं लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी से पूर्व जो कुछ भर्ती हो रही थी, सो हो रही थी लेकिन बहुगुणा जी ने 45 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करके भर्ती करने का आदेश जारी किया किन्तु उसे बाद में 25 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत में बदल दिया। बहुगुणा जी ने नई भर्ती पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया है ताकि एक प्रतिशत भी परिगणित उम्मीदवार नौकरियों में न जा पावे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि सभी माननीय सदस्य और माननीय सदन हमारे कटौती के प्रस्ताव को समर्थन देंगे।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जितना बजट रखा गया है वह हरिजनों को समस्याओं को देखते हुए कम है। लेकिन अपने सीमित साधनों को देखते हुए इस बजट का प्राविधान किया गया है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछले 27 वर्षों में हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया गया है मैं अर्ज करना चाहती हूं कि ह और कहीं न जायं यहीं सदन में देखें कि जो इतने हरिजन भाई बैठे हुए हैं, ये कैसे आ गए, अगर हमने इस ओर कुछ तरक्की नहीं की। एक जगह पर तो हमने रिजर्वेशन पूरा किया, इतना तो मान लीजिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो यह कहा जाता है कि हरिजनों के लिए हमने कुछ किया नहीं तो सभी जगह से यह मांग कैसे आ रही है कि हरिजनों के लिए छात्रावास बनने चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जागृति आयी है उसी का यह परिणाम है। बहुत कम किया है लेकिन आगे हमें बहुत कुछ करना है। बहुत से भाइयों ने कहा कि भ्रष्टाचार है। लेकिन यह मान लेना कि जितने इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं सभी भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकती हूं। लेकिन में कहना चाहती हूं कि चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी हो अगर उसके खिलाफ करप्शन के चार्जेज फ्रेम हो जायेंगे तो किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखायी जायेगी। 18 प्रतिशत का कोटा जो है वह कम है वह पूरा होना चाहिए उसमें कमी है उसी लिए यह किया जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस विभाग के लिए बहुत कुछ किया है। जब हम काम करना चाहती हैं तो विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि यह इलेक्शन के कारण किया जाता है। पिछले

साल हमने पुलिस मे कानिस्टेबिल की भर्ती में 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन किया तो यह कहा गया कि पोलिटिकल स्टन्ट है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार की नियत बिलकुल साफ है, इरादा बिलकुल मजबूत है।

हमारे कई भाइयों ने कहा कि आश्रम टाइप स्कूल होने चाहिए, खास कर लड़कियों के लिए मैंने पहले कहा था कि इसकी जरूरत है, लेकिन इसमें एक कमी है कि उसके साथ कोई उद्योग जुड़ा नहीं है। इस कारण उनमें इसके प्रति आकर्षण नहीं होता है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि यह सरकार बेकारी के खिलाफ कोशिश कर रही है कि इसको बन्द किया जाए। मेरा इरादा है कि इसके लिए कुछ किया जाए। मैं समझती हूं कि बच्चों की यह बात भी हम पूरी कर दें। तो उसके लिए भी आइन्दा कदम उठाए जायेंगे।

प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय ग्राइस मेरे पास आए और कहा कि अगले साल से आप इनकी ग्रान्ट भी बन्द कर रही हैं और इन्हें भी बन्द करने जा रही हैं। मेरा यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी चीजें चल रही हैं जिनकी आज से 25 वर्ष पहले जरूरत थी लेकिन अब उनमें डुप्लीकेशन हो रहा है। शहरों में जो प्राइमरी स्कूल्स हरिजन बच्चों के लिए खुले हुए हैं वे बन्द नहीं होंगे। मैंने इस मंशा से यह बात नहीं कही थी।

कार्पोरेशन के बारे में कहा गया कि धन बहुत कम है। मैं भी समझती हूं कि यह कम है लेकिन ये कार्पोरेशन जिस उद्देश्य से खोले जा रहे हैं, अगर वे पूरा करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। कहा गया कि 2 करोड़ रुपए से कोई दूसरा कार्पोरेशन खोला जा रहा है। मैं मानती हूं कि पैसा बहुत कम है लेकिन ऐसा मेरा भरोसा है, यकीन है, कि अगर ये कार्पोरेशन ठीक से काम करेंगे, तो पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन काम ठीक और सही तरीके से हो, हमारा यह मकसद है और वह पूरा होगा।

माननीया शकुन्तला जी ने कहा था कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं, उनको स्टाइपेन्ड नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि उनको भी अनुदान मिलता है। 1 से 5वीं क्लास के बच्चों को 9 रुपया, पांच से ऊपर वाली क्लास के बच्चों को 12 रुपया और उस से भी ऊपर वालों को 18 रुपया दिया जाता है। बेसिक परिषद् की तरफ के 3 रुपया महीना जो बच्चे बेसिक शिक्षा में पढ़ते हैं, उनको दिया जाता है।

हमारे 3 कार्पोरेशन्स हैं अनुसूचित जन जाति वगैरह की। हमारा इन्हें पहाड़ी क्षेत्र में खोलने का इरादा है जो सरकार के विचाराधीन हैं इसके अलावा माननीय मालवीय जी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं, उन पर विचार किया जायगा। मैं समझती हूं कि इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की नियत बिल्कुल साफ है और हमारा प्रयास होगा कि हम भरसक प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 38 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,59,61,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय ओम प्रकाश सिंह की जैदपुर, जिला बाराबंकी में साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न संकट के बारे में जो सूचना है उसको पहले वक्तव्य के लिए स्वीकृत सूचनाओं के साथ जोड़ दिया जायगा, यह स्वीकार की गई है।

अग्नि कांड के सम्बन्ध में माननीय हरिकेबल प्रसाद, माननीय दल सिंह यादव, माननीय बाबा राम नाथ, माननीय जगदीश नारायण त्रिपाठी, और माननीय अम्बिका प्रसाद सिंह की जो सूचनायें हैं उनके नाम भी जोड़ दिए जायेंगे।

एक माननीय मोहन लाल कपूर की सूचना है। इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। शेष अस्वीकृत हैं।

अब हम उठते हैं और सोमवार दिनांक 14 अप्रैल, को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 59 मिनट पर सोमवार, 14 अप्रैल, 1975 के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा;
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
11 अप्रैल, 1975।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 977 पर)

आज दिनांक 6–12–73 को श्रीमान् वन बन्दोबस्त अधिकारी आदेश पत्रांक ज्ञाप, व0 व0 का0/सीमांकन, 3 दिसम्बर 1973 जो कि उप अरण्यपाल, तराई भावर वन खंड हल्द्वानी को प्राप्त हुआ। इसके मुताबिक श्रीमन् ए0 सी0एफ0 सेटिलमे ट तराई भावर वन विभाग हल्द्वानी के देखरेख में निम्न कर्मचारियों द्वारा आनंदपुर नवाड दक्षिण व पूर्व पश्चिमी बौन्ड्री सीमा की जांच की व लामाचौड़ ब्लाक के सीमा व संख्या 12, 12, 13 व 13 जो ग्राम आनन्दपुर नवाड में दक्षिण व पूर्वी सीमा पर लगे हैं उनकी भी जांच की।

खसरा प्लाट सं0 47 जो कि ग्राम आनंदपुर नवाड की सीमा स्तम्भ संख्या 12, 12, 13 व 14 के पश्चिम की ओर आता है वन विभाग ने इस ग्राम का कोई क्षेत्र वन में शामिल नहीं किया है खसरा प्लाट सं0 47 जो दीवाल के पश्चिम की ओर है उसमें काश्त हो रही है इस प्लाट के पूर्वी सीमा पर वन विभाग के उपरोक्त सीमा स्तम्भ सही-सही लगे हैं।

(1) श्री नंदकिशोर पन्त, रेन्ज अफसर लामाचौड़।
(2) के0 अन्सारी, सर्वे अमीन वन बन्दोबस्त कार्यालय हल्द्वानी।
(3) श्री जनार्दन, हल्का पटवारी लामाचौड़;
(4) श्री हरीश चन्द्र, फा0 गा0 लामाचौड़;
(ह0) वी0 डी0 काण्डपाल, ए0 सी0 एफ0;
6–12–73
(ह0) रा0 अ0 भाकड़ा
(ह0) सर्वे अमीन।

प0 ब0 अधिकारी महोदय
महोदय,

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या मैमो/26-रा0 स0, दिनांक 9 अगस्त 1974 के आदेशानुसार आज दिनांक 22-8-74 को ग्राम चांदनो चौक गरवाल तहसील हल्द्वानी में वन विभाग को सीमा स्तम्भ संख्या 73 से 78 तक संयुक्त निरीक्षण श्री बाबूसिंह सर्वेकानूनगो श्री मनवर अली खां हल्का पटवारी श्री नंदकिशोर राजि अधिकारी भाकड़ा राजि लामाचौड़ तराई भावर वन खंड तथा श्री अमरनाथ फा0 गार्ड की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया।

ग्राम चांदनी चौक गरवाल में वन विभाग की सीमा स्तम्भ संख्या 73 से 78 तक इस ग्राम की खसरा प्लाट सं0 न0 88 366 व 124 की पश्चिमी सीमा पर लगे हैं को मौके पर सही लगे हैं, इसके साथ-साथ वन विभाग द्वारा अपनी सीमा में नाली खुदी है।

इस ग्राम का खसरा प्लाट स0 364 पार्ट क्षेत्रफल 135 बीघा वन विभाग में लिया गया है जो माल विभाग कागजात पटवारी में वन विभाग के नामदर्ज है और जो विज्ञप्ति संख्या 23 3/181 14-1-6, दिनांक 1 नवम्बर 1966 जो उत्तर प्रदेश गजट 3 दिसम्बर, 1966 के भाग 1 में प्रकाशित हुआ है इसके अतिरिक्त इस ग्राम की कोई भूमि व : विभाग में नहीं ली गई है।

संयुक्त रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है
(ह0) नंद किशोर पन्त, द0 अ0
22-8-74

(ह0) सर्वे मीन 22-8-74
(ह0) अमरनाथ, फो0 गार्ड 22- -74
(ह0) अस्पष्ट खमी0 22-8-74
(ह0) हल्का पटवारी 22-8-74
(ह0) अस्पष्ट ।

प्रतिलिपि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22–10–74
वन बन्दोबस्त अधिकारी महोदय,

महोदय,

श्रीमान्, जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0 मेमो/26-रा0 सा0 दिनांक सितम्बर, 1974 के अनुसार आज दिनांक 22 10-74 को ग्राम मीठा आंब ा, तहसील हल्द्वानी रामनगर वन खण्ड (फतेहपुर राजि) की सीमाओं पर वन विभाग द्वारा लगे हुए सीमा स्तम्भों का संयुक्त निरीक्षण श्री विशनसिंह विष्ट, ड्राफ्टमैन. रामनगर वन खंड, श्री भीमसिंह नेगी, वनविद्, फतेहपुर राजि, श्री हरीदत्त पाण्डे, वन रक्षक, भाकड़ा बीट, श्री चन्द्र प्रकाश हल्का पटवारी तथा श्री खलील अहमद सुपरवाइजर कानूनगो, तहसील हल्द्वानी के साथ किया।

इस ग्राम में जो वन विभाग द्वारा पलिर (सीमा स्तम्भ) लगाये गये हैं वह मौके पर सही हैं और इस ग्राम की भूमि जिनका क्षेत्रफल 151.08 बीघा है, वन विभाग में गजट नोटिफिकेशन सं० 2046 14–ख–20(223)–69 दिनांक 4–7–70 के अनुसार प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कोई भूमि वन विभाग में नहीं ली गई है। मौके पर गजट न टिफिकेशन सं0 2046 14–ख–20(223–69) दिनांक 4–7–1970 के अनुसार सही है।

रिपोर्ट उचित आदेश हेतु सेवा में प्रेषित है।

(ह0) विशन सिंह विष्ट ड्राफ्टमैन
22–10–74.

(ह0) चन्द्र प्रकाश, पटवारी, फतेहपुर
22–10–74

(ह0) खुर्शीद अहमद, सर्वे अमीन
22–10–74

(ह0) भीमसिंह नेगी वन विद
22–10–74

(ह0) खलील अहमद
22–10–74

(ह0) हरीदत्त पाण्डे, फो0 गो0
22–10–74

अनुबंध "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 994 पर)

संलग्नक

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	वितरित धनराशि (रु०)
1	2	3
1-	डी० ए० वी० डिग्री कालेज, आजमगढ़	73,867.50
2-	श्री दुर्गाजी डिग्री कालेज, चन्डेसर, आजमगढ़	38,768.50
3-	गांधी डिग्री कालेज, मालटारी, आजमगढ़	9,850.50
4-	गांधी स्मारक डिग्री कालेज, बरदह, आजमगढ़ ..	4,059.00
5-	जनता डिग्री कालेज, रानीपुर, आजमगढ़	8,464.50
6-	एस० एस० डिग्र कालेज, तेरही, आजमगढ़ ..	7,920.00
7-	एस० एन० कालेज, आजमगढ़	80,401.50
8-	गांधी शता दी डिग्री कालेज, कोचलसा आजमगढ़ ..	6,930.00
9-	डी० सी० एस० के० डिग्री कालेज, आजमगढ़ ..	21,384.00
10-	अग्रसेन महिला डिग्री कालेज, आजमगढ़	2,079.00
11-	सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी, आजमगढ़	847.00
12-	कूवा महा विद्यालय, लालगंज, आजमगढ़ ..	4,752 .00
	योग	2, 59, 323.50

पी० एस० यू० पो०--एल० 122 वि० सभा (537)--1976--840 I